लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र]

Thirteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-6-97
Fumigated
On 12-83
Parliament Library

[खंड 49 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XLIX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 22—शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1965/12 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 22—Friday, December, 3 1965/Agrahayana 12, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
624	सोवियत संघको जूतों का निर्यात	Export of Shoes to U.S.S.R. .	1977–79
625	रेल गाड़ियों में अंधेरा	Black-out in Trains . . .	1979–82
626	दिल्ली के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे	Ring Railway Around Delhi .	1982–83
627	इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता	Capacity of Steel Plants . .	1983–87
628	खनिज तथा धातु व्यापार निगम	Minerals and Metals Trading Corporation .	1987–88
631	कोयला विकास के लिये रुसी सहयोग	Russian Collaboration for Coal Development . . .	1988–89
632	पन्द्रह वर्षीय इस्पांत योजना	15-Year Steel Plan . . .	1990–91
633	विद्युत चालित करघों के लिये लाइसेंस देना	Licensing of Powerlooms . .	1292
634	कपड़ों का निर्यात	Export of Textiles . . .	1992–94
635	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स, बम्बई	India United Mills, Bombay .	1994–96
638	एशियाई साझा व्यापार	Asian Common Market . .	1996–97

प्रश्नो के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
629	कच्चे लोहे की कमी	Shortage of Pig Iron . .	1997
630	छटा इस्पात कारखाना	Sixth Steel Plant . .	1997
636	कोयला कम्पनियों को आर्थिक सहायता	Subsidies to Coal Companies	1998
637	भाप चलित रेलवे इंजिन	Steam Locomotives . . .	1998
639	बेबी फूड का उत्पादन	Manufacture of Baby Food	1999
640	आसाम में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Assam .	1999
641	सोवियत संघ को केलोंका निर्यात	Export of Bananas to U.S.S.R. .	2000
642	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण	Credit from I.D.A. . . .	2000

---

*किसी नाम पर अंकित यह+ चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
643	पाकिस्तान इण्टरनेशनल एयरवेज के कर्मचारियों के दावे	Pakistan International Airways Employees Claims . . .	2000
644	उद्योगों पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Industries . .	2001
645	बन्दूकों का निर्माण	Manufacture of Guns . .	2001
646	राजस्थान के सीमान्त जिलों में रेलवे लाइने	Railway Lines in the Border Districts of Rajasthan . .	2001
647	रुसी ट्रैक्टर	Russian Tractors . . .	2002
648	तैयबपुर स्टेशन के निकट रेलवे पुल	Railway Bridge near Taiabpur Station	2002
649	मिश्रधातु, औजार तथा स्टेनलेस स्टील का उत्पादन	Production of Alloy Tool and Stainless Steel . . .	2003
650	खान मालिकों को वित्तीय सहायता	Financial help to Mine-Owners	2003
651	एल्यूमीनियम का प्रयोग (सब्स्टीटयूशन)	Substitution of Aluminium .	2003-04
652	पूर्वी क्षेत्रों में रेलवे का विकास	Railway Development in the Eastern Regions . . .	2004
653	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car .	2004

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1756	जवाहरात का निर्यात	Export of Jewellery . . .	2005
1757	आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक एकक	Industrial Units in Andhra Pradesh	2005-06
1758	केरल में मैदे के कारखाने	Starch Factories in Kerala .	2006
1759	लखनऊ दिल्ली डाकगाड़ी में बैठने का स्थान	Seating Capacity in the Lucknow-Delhi Mail Train . . .	2006-07
1760	पामबन पुल, मद्रास	Pamban Bridge, Madras . .	2007-08
1761	मध्यप्रदेश में रेशमकीट पालन उद्योग का विकास	Development of Sericulture in M.P.	2008
1762	उदयपुर-हिम्मतनगर मीटर गेज रेलवे लाइन	Udaipur-Himmatnagar Metre-Gauge Railway Line . .	2008-09
1763	अहमदाबाद में एयर रायफल बनाने का कारखाना	Air-Rifle Manufacturing Factory, Ahmedabad	2009
1764	दस्तकारी की चीजों का निर्यात	Export of Handicrafts . .	2009-10
1765	रेलवे स्टेशनों पर खोमचे वाले	Vendors on Railway Stations .	2010
1766	लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर रेल दुर्घटना	Railway Accident at Charbagh Station, Lucknow . . .	2010
1767	कच्चा लोहा उद्योग समूह	Pig Iron Complex . .	2011
1768	निर्यात घर	Production of Paper . .	2011

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1769	कागज का उत्पादन	Production of Paper . . .	2011–12
1770	कोयला धोने के कारखानों के उपोत्पाद	By-Products of Coal Washeries .	2012
1771	ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textiles of U.K.	2012
1772	अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी की दुर्घटना	Accident to Ahmedabad-Delhi Express Train	2012–13
1773	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में दुर्घटना	Accident in Durgapur Steel Plant	2013
1774	इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड	Indian Oxygen Limited . .	2013–14
1775	संगणकों (कम्पूटरों) का निर्माण	Manufacture of Computers .	2014
1776	भिलाई इस्पात कारखाने में मजदूरों की छटनी	Retrenchment of Bhilai Steel Workers	2014
1777	आसाम में पटसन के स्टॉक का जमा होना	Accumulation of Stocks of Jute in Assam.	2014–15
1778	केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली	Centralised Traffic Control System.	2015
1779	अत्तर रेलवे स्टेशन से सीमेन्ट के बोरों की चोरी	Theft of Cement Bags from Atter Railway Station . . .	2015–16
1780	सस्ते रेडियो का निर्माण	Manufacture of Cheap Radio Sets	2016
1781	चीन से अफगानिस्तान को चाय का निर्यात	Import of Tea from China to Afghanistan	2016
1782	आलपिनों और क्लिपों का निर्माण	Manufacture of Pins and Clips	2017
1783	आटा पीसने की मशीनों का आयात	Import of Flour Milling Machinery	2017
1784	घड़ी के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Watch Components.	2017–18
1785	जाजपूर में फैरो-क्रोम का कारखाना	Ferro-Chrome Plant, Jaipur .	2018
1786	दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार	Corruption on S.E. Railway .	2018–19
1787	उड़ीसा को सीमेंट का आवंटन	Allotment of Cement to Orissa .	2019
1788	भीमवरम रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	Over-Bridge at Bhimavaram Railway Level Crossing . .	2019
1789	काकिनाडा-कोटिपल्ली रेलवे लाइन के लिए जमीन	Land for Kakinada-Kotipalli Railway Line . .	2020
1790	लखनऊ डिवीजन में डीजल फोरमैन	Diesel Foremen in the Lucknow Division	2020
1791	मसूर राज्य में एल्यूमिनियम का कारखाना	Aluminium Plant in Mysore State.	2020
1792	भिलाई इस्पात संयत्र के कर्मचारियों के लिये बसों की व्यवस्था	Buses for Bhilai Steel Plant Employees.	2020–21
1793	संसद् सदस्यों के लिये कारों का नियतन	Allotment of Cars to M. Ps. .	2021

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1794	स्थानीय तथा सस्ते रेडियो का निर्माण	Manufacture of Local and Cheap Radio Sets	2021
1795	रोरो सिंचाई योजना	Roro Irrigation Scheme . .	2021–22
1796	रेलवे के सामान का आयात	Import of Railway Equipment .	2022
1797	जादवपुर और गाड़िया (पूर्व रेलवे) के बीच फ्लैग स्टेशन	Flag Station Between Jadabpur and Garia.	2022
1798	सियालदाह-सोनारपुर सेक्शन पर रेलवे लाइन के नीचे जल निस्सारण पुलिया	Drainage Culvert under Railway Line on the Sealdah-Sonarpur Section	2022–23
1799	मैसूर राज्य में रायचूर और गड़ग बीच रेलवे लाइन	Railway Line Between Raichur and Gadag in Mysore	2023
1800	रोडेशिया के साथ व्यापार	Trade with Rhodesia . .	2023
1801	कैलशियम कार्बाइड की कमी	Shortage of Calcium Carbide .	2023–24
1802	कोटा रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरैन्ट	Restaurant at Kota Railway Station	2024
1803	रेलवे कर्मचारियों की आय पर कर	Tax on the Earnings of Railway Employees.	2025
1804	इज्जत नगर के रेलवे कर्मचारियों पर लगाया गया कर	Tax Imposed on Railway Employees of Izatnagar . .	2025
1805	रेलवे डिस्पेंसर तथा मरहमपट्टी करनेवाले कर्मचारी (ड्रेसर)	Railways Dispensers and Dressers	2025–26
1806	जस्ते के स्टॉक का बन्धन	Freezing of Zinc Stock .	2026
1807	तिण्डिवनम रेलवे स्टेशन	Tindivanam Railway Station .	2026
1808	आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा किया गया जर्माना	Penalties imposed by Chief Controller of Imports and Exports.	2026–27
1809	राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ व्यापार	Trade with Commonwealth Countries.	2027
1811	इस्पात कारखानों में ईरानी इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना	Training of Iranian Engineers in Steel Plants . . .	2027
1812	राजस्थान में ऊन का कारखाना	Woollen Factory in Rajasthan .	2027–28
1813	आसाम और आन्ध्र प्रदेश की कोयला खानें	Assam and Andhra Pradesh Collieries	2028
1814	औद्योगिक दृढ़ीकरण (कंन्सोलिडेशन)	Industrial Consolidation . .	2028
1815	चकोस्लोवाकिया को लौह अयस्क का सम्भरण	Supply of Iron Ore to Czechoslovakia.	2029
1816	कपड़ा तैयार करने की मशीनों का निर्यात	Export of Textile Machinery .	2029
1817	जी० टी० तथा दक्षिणी एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए डीजल इंजन	Diesel Locomotives for G. T. and Southern Express Trains .	2029

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1818	वाराणसी मुगल सराय यार्ड में इंजन की टक्कर	Collision of Engine in Varanasi-Mughal Sarai Yard . .	2030
1819	राखा में तांबे का कारखाना	Copper Factory at Rakha .	2030
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
	(एक) नागा विद्रोहियों द्वारा पूर्वोत्तरी सीमा रेलवे की सवारी गाड़ी पर गोली चलाये जाने के समाचार—	(i) Reported Firing by Naga hostiles on passenger train of NEF Railway—	
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	2030
	डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh .	2031–34
	(दो) राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के जमाव के समाचार—	(ii) Reported concentration of Pakistan army with tanks in Barmer sector of Rajasthan—	
	श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam chand Kachhavaiya.	2045
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . .	2045–48
	(तीन) भारत और पाकिस्तान के बीच माल की समस्या को समाप्त करने की ब्रिटेन की योजना को भारत द्वारा स्वीकार किये जाने के समाचार—	(iii) Reported acceptance by India of British plan to end cargo problem between India and Pakistan—	
	श्री दाजी	Shri Daji .	2048
	श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur . .	2048
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re: Calling Attention Notice (Query).	2034
	विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill . .	2034
	अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के बारे में याचिका—	Petition re: Advocates Act, 1961—	
	श्री दाजी	Shri Daji . . .	2035
	सभा पटल पर रख गये पत्र	Papers Laid on the Table .	2035
	सभा का कार्य—	Business of the House—	
	श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satyanarayan Sinha .	2036, 2038
	विधेयक पुरस्थापित—	Bills Introduced—	
	(एक) आपराधिक विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक	(i) Criminal Law Amendment (Amendment) Bill . .	2038
	(दो) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	(ii) Indian Tariff (Amendment) Bill . . .	2039
	सीमेंट से नियंत्रण हटाने के बारे में प्रस्ताव—	Motion re : Decontrol of Cement—	
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	2039–40
	श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	2040
	श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani . .	2041

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur.	2041–42
श्री बड़े	Shri Bade	2042
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah . .	2043–44
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	2044
श्रीमती सावित्री निगम	Shrimati Savitri Nigam .	2044–45
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
पंचहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-fifth Report . .	2948–49
भारतीय सशस्त्र सेना कार्मिक (अनिवार्य बीमा) विधेयक—(श्री म० ल० द्विवेदी का) पुरस्थापित	Indian Armed Forces Personnel (Compulsory Insurance) Bill—*Introduced*—	
	By Shri M. L. Dwivedi .	2050
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक के बारे में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक (धारा 24 और 55 का संशोधन) श्री वै०च० पारासर का—अस्वीकृत	Re: Hindu Marriage (Amendment) Bill	2550
	Advocates (Amendment) Bill—*Negatived.* (Amendment of-Sections 24 and 55) by Shri Parashar	2050
संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रथम अनसूचि का संशोधन) श्री हरी विष्णु कामत का—वापस लिया गया—	Constitution (Amendment) Bill—*Withdrawn.* (Amendment of first Schedule) by Shri Hari Vishnu Kamath.—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	2050–52, 2059
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit . . .	2052
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo . . .	2052
श्री निरंजन लाल	Shri Niranjan Lal . .	2053
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	2053
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	2053–54
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya .	2054
श्री बड़े	Shri Bade	2054
श्रीमती सावित्री निगम	Shrimati Savitri Nigam .	2055
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee . .	2055
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi . .	2055
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	2055
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya .	2056
डा० मा० श्री अणे	Dr. M. S. Aney . . .	2057
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh .	2057
श्री हेम राज	Shri Hem Raj . . .	2057–58
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	2058–59

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अखिल भारतीय सेवाये (संशोधन) विधेयक (नई धारा 3क का रखा जाना)—	All-India Services (Amendment) Bill (*Insertion of New Section 3A*)—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya .	2060
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
बयालीसवां प्रतिवेदन	Forty-Second Report. . .	2060
"टिस्को" और "इस्को" द्वारा ऋण की अदायगी के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion re: Repayment of Loan by TISCO and LISCO—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	2060–61
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy .	2060–62

लोक–सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 3 दिसंबर, 1965/12 अग्रहायण, 1887 (शक)
Friday, December 3, 1965/Agrahayana 12 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Shoes to U. S. S. R.

+
*624. **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether an agreement for the purchase of shoes from Agra has been concluded by Russia;

(b) if so, the total value of shoes to be purchased by Russia under this agreement;

(c) whether India will also purchase certain goods from Russia under this agreement; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) M/s. Raznoexpert, the purchase organization of the Soviet Union in the U.S.S.R. have placed orders for 8.27 lakh pairs of shoes and 10.79 lakh pairs of Chappals on a number of Indian firms including S. T. C. The contracts do not specify supplies from a particular region but the bulk of supplies of hand-made shoes would come from Agra which is the main centre of fabrication.

(b) The total value of shoes contracted for is for Rs. 214 lakhs and for chappals Rs. 64.35 lakh making a total of Rs. 2.78 crores.

(c) and (d). The sales contracts are not linked with import of any other items from the Soviet Union.

The overall Trade Agreement with the U. S. S. R. provides for items of export and import between the two countries.

Shri Madhu Limaye : At present negotiations are going on to double the trade with Russia. May I know whether there is any proposal that the export of shoes under this agreement will be doubled, tripled or still made more?

Shri Manubhai Shah : Certainly there is. We think that the number of shoes to be exported will be increased to three or four times at least.

Shri Madhu Limaye : What is the ratio of shoes made by big factories like Bata and also of those made on small scale particularly by cobblers, in the total number of shoes which are supplied to Russia? Is any proposal to export the hand-made shoes to Russia with a view to decrease the widespread unemployment in our country due to the installation of huge factories?

Shri Manubhai Shah : Normally 80 per cent supply is from the small producers and 20 per cent from the big ones, and the Bata is perhaps not included in it. It is merely a question of shoes and chappals made of leather. The big question is that of unemployment and it is not desirable to link the same with it. Goods will be purchased from those whose quality and prices are liked and accepted by the purchasers. But efforts are made by the Government that the maximum number of shoes is purchased from the small producers.

श्री कपूर सिंह : इन जूतों के कुल मूल्य की गणना अन्तर्देशीय बाजार की मांग तथा पूर्ति की स्थिति के आधार पर की जाती है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार-मूल्य के आधार पर?

श्री मनुभाई शाह : अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य ।

श्री दाजी : क्या यह सच है कुछ निर्यात किये गये जूते वापस कर दिये गये थे क्योंकि वे विशिष्ट ब्यौरे के अनुसार नहीं थे ; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की और पर्याप्त सावधानी बरती है कि किस्म नियंत्रण का पूर्णतः पालन किया जाये?

श्री मनुभाई शाह : ये सबसे बढ़िया किस्म के जूते हैं। मैं माननीय सदस्य तथा सभा से अनुरोध करुंगा कि वे छः साल पुरानी बात की ओर ध्यान न दें। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई है ।

Shri M. L. Dwivedi : Does the demand of shoes from Russia consist of gent's-shoes only or does it include ladies' shoes also? If the demand does not include ladies' shoes, is it because of the fact that India cannot make ladies' shoes of high quality?

Shri Sheo Narayan : May I know the number of Shoe factories running on co-operative basis?

Shri Manubhai Shah : It is not concerned with the running of factories on co-operative basis. In India, almost 150 million pairs are made and possibly the number might have reached 175 millions. The question is of purchasing two or three million pairs out of them. The question, therefore, is not of making them on co-operative basis. As the demand is increasing, we are considering to set up one or two factories in the public sector.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : रुसी सरकार ने गैर-सरकारी निर्माणकर्ताओं से सीधे खरीद करना कब से आरम्भ किया है और राज्य व्यापार निगम तथा गैर-सरकारी निर्माण कर्ताओ को कितने-कितने प्रतिशत आदेश दिये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : गत कुछ महीनों में हमने एक यह कानूनी अधिसूचना प्रकाशित की है कि जूतों का सभी निर्यात राज्य व्यापार निगम की मार्फत होगा। यह--एक ओर बढ़ती हुई आदेशों की बाढ़ को तथा होड़ के कारण मूल्यों में की जा रही कटौती--को तथा दूसरी ओर--किस्म में गैर-सरकारी निर्यातकों तथा अन्य लोगों द्वारा की जा रहीं कमी को रोकने की दृष्टि से किया गया। यथा समय, राज्य व्यापार निगम इसे अपने हाथ में ले लेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने इस बात का उल्लेख किया है कि अपने स्तर के कारण जिस किस्म के जूते बाटा बना सकता है--वे उसी के द्वारा बनाये जा रहे हैं और शेष किस्मों छोटे उत्पादकों द्वारा बनाई जाती हैं सरकार ने बड़े एकाधिकारी को सहायता देने के बजाये छोटे उत्पादकों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ताकि उनके व्यापार में वृद्धि हो सके।

श्री मनुभाई शाह : मुझे आश्चर्य है मैंने यह तो कभी नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने ऐसा कदापि नहीं कहा।

श्री मनुभाई शाह : इन सबका क्रय छोटे उत्पादकों से किया जाता है, यहां पर कुछ भ्रान्ति हो गई है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the difference between the purchase prices of shoes made by the small producers and those produced by big industrialists and the difference between the purchase prices and the prices at which they are exported by the Government?

Shri Manubhai Shah : All these are purchased from small factories.

Black-out in Trains

+

***625. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reason for observance of black-out in most of the passenger trains even when there is no need for that and also the reason for not making proper lighting arrangements in the passenger trains by the Railway Administration;

(b) whether Government are aware of the fact that difficulty about lighting arrangements is often experienced on branch-lines;

(c) whether any steps are being taken to improve the situation; and

(d) if not, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No black-out has been imposed in the passenger trains on the Indian Railways. However, during the recent Indo-Pakistan fighting, certain lighting restrictions were observed as a Civil Defence measure in trains running through vulnerable areas. These lighting restrictions have now been relaxed with arrangements to introduce them at short notice, if necessary. Otherwise, the Railways have provided proper lighting arrangements in all the passenger trains.

(b) As stated above, proper lighting arrangements in all passenger trains including branch lines have been made. It is true however, that difficulty is sometimes experienced in branch line trains.

(c) Yes.

(d) Does not arise.

Shri M. L. Dwivedi : The Hon. Minister has stated that difficulty is sometimes experienced in providing proper lighting arrangements in branch line trains. I want to know the cause of this difficulty and the steps being taken to remove the same?

Dr. Ram Subhag Singh : The main reason for this is that the lighting arrangements provided in the trains are based on power generated by dynamos. If a train runs at a speed less than 14 miles per hour it reduces generating capacity of dynamo and the battery gets discharged. The reduction in speed causes difficulty. The less is the speed, the more is the difficulty. But now arrangements have been made to remove this difficulty. We also propose to appoint fitters at big station so that proper care may be taken in this regard.

Shri M. L. Dwivedi : Is it not a fact that the minimum or the average minimum speed of a passenger train is 18 miles per hour and if so, the reasons leading to the defect in the dynamo?

Dr. Ram Subhag Singh : As the Hon. Member knows well on the basis of his personal experience also that these difficulties are experienced where a train requires some time to catch its speed or where the chain in a train is pulled. These are practical difficulties particularly experienced on branch lines. However, efforts are being made to over come these difficulties.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि रोशनी सम्बन्धी दोषयुक्त व्यवस्था के कारण लगभग सभी क्षेत्रो में स्थानीय रेल-गाड़ियों में रेलवे सम्पत्ति की चोरी तथा हानि होती रहती है, और यदि हां, तो रेलवे को गत वर्ष अथवा चालू वर्ष के अन्तिम तीन महिनों के दौरान कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

Dr. Ram Subhag Singh : As a matter of fact, small instruments are also stolen and other thefts are also committed. The total number of such cases reported in the hon. Member's zone was 1799. So far as the cost of electric goods and fitting charges of bulbs etc. are concerned, they come to Rs. 1,50,807. Something more can be said if more cases of thefts are reported.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि संघर्ष के दौरान लगाये गये ब्लैक-आउट सम्बन्धी प्रतिबन्ध अब हटा दिये गये हैं । केवल एक सप्ताह पूर्व जब मैं कलकत्ता और दिल्ली के बीच एक डाक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, तो मैंने देखा कि डिब्बों के अन्दर बल्ब अब भी काले रंग से पुते हुए थे और किसी चीज को पढ़ना संभव नही था । इसके अतिरिक्त मैंने यह भी देखा कि डिब्बों के उपर पढ़ने की रोशनी को स्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया था । क्या मंत्री महोदय को इन बातों का पता है और ये पाबन्दियां कब तक लगी रहेंगी ?

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न के पूर्व भाग में जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा उसे मैं मानता हूं क्योंकि यह व्यवस्था अभी तक लागू रखी गई है । जो बत्तियां नहीं जलाई जाती, अब वे जलाई जायेगी ।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know whether the Hon. Minister is aware of the fact that during the days of conflict with Pakistan, when there was black-out, many cases of decoity and thefts occurred in the trains near Ambala? In view of this fact may I know whether any measures are proposed to be taken to check the recurrence of such incidents?

Dr. Ram Subhag Singh : In fact, the number of theft cases had comparatively gone down during this period. However, what the Hon. Member has said about the theft cases is true. At the same time it is very difficult not to impose black-out restrictions in the area which is being bombed.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या खराब बत्तियों की देख-रेख के लिए कोई नियमित व्यवस्था है अथवा केवल शिकायत किये होने पर ही यह काम किया जाता है ?

डा० राम सुभग सिंह : नियमित व्यवस्था है और की भी जायेगी और हम इस व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : No proper arrangements are provided in the passenger trains. In spite of the complaints, no light is provided and thus it causes inconveinience to passengers. May I know whether the Government propose to make some special arrangements for the purpose?

Dr. Ram Subhag Singh : If the Hon. Member, Shri Kachhavaiya has had any complaint in respect of a particular train, we shall spare no time to make adequate light arrangements for the same. But we are not aware of any such thing.

Shri Sheo Narayan : Is it a fact that loop lines have condemned carriages and that is why this difficulty is there and if so, the reasons for giving this step-motherly treatment to these lines?

Dr. Ram Subhag Singh : On the N. E. Railway, there are as many as 77 percent carriages which are not condemned ones. The five or ten year old carriages, being fit for use, put there. As for step-motherly treatment, I cannot agree with this view because it is a separate zone which is almost alike other zones.

Shri Rameshwara Nand : The Hon. Minister has just now said that if there was any difficulty in a particular train, he would provide necessary arrangements. I would like to invite the attention of the Hon. Minister to two trains namely Delhi-Ambala train which leaves in the morning and Kalka-Delhi train which leaves a bit earlier at about 3.30 A. M. The position in both the trains is that the complaints, if lodged, are attended to and lights provided but for a short-while because the lights go off before the trains leave or arrive at Subzimandi or Narela.

Dr. Ram Subhag Singh : In fact, the old story does not continue in the Kalka Mail now. It is electric or desiel train and runs in time or before time between Mughalsarai and Howrah. The position, therafter, has improved a lot. As regards light, I do not understand as to why there is light in the train till it arrives in Delhi and why it goes off after it leaves Delhi. Anyway, if this is the complaint, it will be looked into.

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that there are not as many bulbs as the points are? When an express train leaves Dehra Dun it is full of light but all the bulbs go out of order after the train comes a distance of 20 miles.

Dr. Ram Subhag Singh : Possibly there might not be any shortage of bulbs. In case it is so, that shortage will be net. Efforts will be made to see that the difficulty is overcome whatsoever.

Shri Rameshwara Nand : Sir, the second part of my question has not been replied to.

Mr. Speaker : The Hon. Minister has already answered that.

दिल्ली के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे

+

*626. **श्री मधु लिमये :** श्री कृ० चं० पन्त :
श्री राम सेवक यादव : श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के इर्द-गिर्द एक वृत्ताकार रेलवे बनाने की योजना की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस परियोजना का कुछ काम शुरू कर दिया गया है; और

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : मंजूर परियोजना 'दिल्ली परिहार लाइनें और यातायात की सम्बद्ध सुविधाएं' (Delhi Avoiding Lines and Connected Traffic Facilities) कहलाती है । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि मालगाड़ियों को दिल्ली और नयी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले यार्डों से न गुजरना पड़े । लेकिन जब यह परियोजना पूरी हो जायेगी, तो इसकी विभिन्न सम्पर्क-लाइनों पर उपनगरी सवारी गाड़ियां चलाने में भी मदद मिलेगी । निर्धारित मार्गों पर मिट्टी डाली जा रही है और पुल बनाये जा रहे हैं । अब तक कुल मिलाकर लगभग 45 प्रतिशत काम हुआ है । इस परियोजना पर 6.25 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है ।

Shri Madhu Limaye : May I know by what time the scheme will be implemented fully?

Shri Sham Nath : It is likely to be completed by the 31st December, 1967.

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Government is aware that there are less facilities of cheap transport in Delhi as compared to big cities like Bombay? May I know whether tickets will be sold at low rates or passes etc., will be issued and more facilities will be provided to citizens of Delhi in the passenger trains which will be run around Delhi?

Shri Sham Nath : This is a separte question that people here are facing any difficulties. This question relates to suburban transfer station. But as I have said in reply to the question.....

Mr. Speaker : The Hon. Member says whether any concessional tickets will be provided so that might get facilities for travelling?

Shri Sham Nath : There is no question of providing concessional tickets. This project is meant for avoiding the goods train to pass through the congested yards.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या इस वृत्ताकार रेलवे के लिये बिजली से चलने वाले या भाप से चलने वाले इंजन प्रयोग में लाये जायेंगे ?

श्री शाम नाथ : जैसा मैंने बताया यह वृत्ताकार रेलवे नहीं है । इसको 'दिल्ली परिहार लाइन और यातायात की सम्बद्ध सुविधा' कहते है जहां तक 'ट्रैक्शन' का सम्बन्ध है ये परिहार लाइन मुख्यत: इसलिये है ताकि अम्बाला और फीरोजपुर से आने वाली मालगाड़ियों को दिल्ली और नई दिल्ली से न गुजरना पड़े परन्तु इन लाईनों पर यातायात उतना ही होगा जितना कि मुख्य लाइनों पर है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : प्रश्न का शीर्षक 'दिल्ली के इर्द-गिर्द वृत्ताकार रेलवे' है । परन्तु मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह वृत्ताकार रेलवे नहीं है ।

Shri A. D. Sharma : Train should run. How it runs, does not matter.

Capacity of Steel Plants

+

***627. Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) the annual production capcity of the three steel plants in the public sector; and

(b) the quantity of steel produced in these plants during 1965 so far and the corresponding figures for the same period during the last year?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi) :(a) The three steel plants in the public sector have a production capacity of 1 million tonne each, per annum.

(b) The quantity of steel ingots produced at these steel plants during the first nine months of 1964 and 1965 is indicated below:—

Name of the Producers	Jan. 1964 to September 1964	January 1965 to September 1965
Bhilai .	849,200	912,500*
Durgapur .	752,658	761,442
Rourkela .	614,382	808,163

*Part of this production has come out of the III Plan expansion of capacity at Bhilai which has been commissioned in 1965.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Had these figures been placed before the House prior to the reply, it would have been easier for me to ask the question. As he has just now stated the figures, how can I ask any question? I request that in future figures may be placed before the House prior to the reply.

Mr. Speaker : The Hon. Member wants that wherever figures etc. are involved statement may be laid on the table of the House.

Shri Madhu Limaye : So far as Durgapur and Bhillai Steel Plants are concerned it has been stated in last year's report of the ministry of Steel that their capacity has increased to 4, 10 or 11 percent but about Rourkela it has been stated

therein that it has not been upto the capacity, I do admit that there is a difference in the capacity of production in both the Steel plants. But my question is whether while determining the capacity of the plants it is determined in the right manner or less capacity is stated instead of the actual capacity of the plants and afterwards it is said that it has been produced more than the capacity?

Mr. Speaker : If it is so, who will agree?

Shri Sham Nath : Mr. Speaker, so far as the question of determining the capacity is concerned it is determined on the basis of production. There is nothing to be imagined.

Shri Madhu Limaye : Capacity and production are two different things .....

Shri M. L. Dwivedi : It is not good that you allow the running commentary.

Mr. Speaker : No regulation should come against me.

Shri Madhu Limaye : I would like to know that to what extent the targets of plants in public as well as private sector. I am asking about the plants in public sector. To what extent the targets have been achieved?

Shri Sham Nath : The work is going on according to the extention programme of the Third Five Year Plan. There is no hitch of any kind.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या लक्ष्य पूरे हो गये हैं या उनमें कुछ कमी रह गई है ।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक तीसरी योजना का सम्बन्ध है हम लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मन्त्री ने जो आंकड़े बताये हैं, यद्यपि वे मेरे पास नहीं है, उन से यह पता लगता है कि भिलाई को छोड़कर दोनों कारखानों ने बताई गई क्षमता के अनुसार 10 लाख टन का उत्पादन नहीं किया है। यदि मैं गलत हूं तो मुझे खेद है।

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : आप गलती कर रहे हैं। ये आंकड़े केवल 9 मास के हैं और दुर्गापुर और राउरकेला भी 10 लाख से अधिक उत्पादन कर लेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर भी क्या मैं जान सकता हूं कि ये कारखाने इतने वर्षों से घाटे में चल रहे उन की इस प्रवृत्ति में कुछ परिवर्तन हुआ है और क्या अब वे कारखाने लाभ पर चल रहे हैं या नहीं ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं आंकडे एक बार फिर पढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री संजीव रेड्डी : परन्तु ये आंकड़े केवल 9 मास के हैं और प्रत्येक कारखाना आने वाले तीन महीनों में 10 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लेगा और उत्पादन इस से कुछ बढ़ भी जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भिलाई कारखाने ने पहले ही इस से अधिक उत्पादन कर लिया है।

श्री संजीव रेड्डी : तीसरी योजना के विस्तार कार्यक्रम में सम्मिलित एक धमन भट्टी है और दो इस्पात पिघलाने की दुकानों ने उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है और इस भिलाई कारखाने ने 9 माह में 10 लाख टन से कुछ अधिक उत्पादन कर लिया है। विस्तार कार्यक्रम में सम्मिलित दूसरे कार्य भी किये जा रहे हैं और हमें आशा है कि दो या तीन माह में हम तीनों कारखानों

की विस्तार योजनाओं को पूरा कर लेंगे। जैसा आप ने आंकड़ों से देखा होगा कि राउड़केला ने 9 माह में 8,08163 टन इस्पात का उत्पादन किया है। इस कारखाने का उत्पादन भी 10 लाख टन से बढ़ जायेगा। तीनों कारखाने संतोषजनक ढंगसे कार्य कर रहे हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : प्रश्न लाभ का है।

श्री संजीव रेड्डी : इस वर्ष राउड़केला कारखाने ने काफी लाभ कमाया है। प्रथम बार हमें ब्याज और रक्षित निधि के लिए धन निकालकर काफी अच्छा लाभ हुआ है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : तीनों इस्पात कारखानों में ?

श्री संजीव रेड्डी : सभी कारखानों से।

Shri Raghunath Singh : I would like to know the ratio of production between steel plants in public sector and private sector?

Shri Sham Nath : Steel is being produced upto to the capacity in private sector also and we are also producing it upto the capacity.

Shri Raghunath Singh : It means the capacity in public sector.....

Mr. Speaker : You want to ask second question when I will permit only.

Shri Raghunath Singh : I could not get the reply to that question.

Mr. Speaker : That too you can ask when I permit. Now you may ask.

Shri Raghunath Singh : I would like to know whether more steel has been produced in private sector or public sector during the period stated by you?

श्री संजीव रेड्डी : स्पष्टता: आप का मतलब प्रतिशत से है। निजी क्षेत्र में छोटे एकक हैं। सरकारी क्षेत्र में 10,10 लाख टन के तीन कारखाने हैं। औसतन सरकारी क्षेत्र में उतना ही उत्पादन हुआ है जितना कि गैर-सरकारी क्षेत्र में।

श्री शिंकरे : जबकि ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के काम में कुछ प्रगति कर ली है, क्या सरकार ने बड़ी मात्रा में पुर्जों को खराब होने से बचाने के लिये जिनपर करोड़ों रुपये व्यय है, कोई उपाय किये है, यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं?

श्री संजीव रेड्डी : यह उन पहलुओं में एक है जिन पर समिति विचार कर रही है। हमने यह देखने के लिये कि भारत में न केवल सरकारी क्षेत्र में परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में भी इस्पात उत्पादन की लागत अधिक क्यों है। जहां तक फालतू पुर्जों का सम्बन्ध है हम उन को भारत में ही बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इनके आयात को कम कर रहे हैं।

श्री शिंकरे : मेरा प्रश्न भिन्न था। जो पुर्जे पहले ही आयात किये जा चुके हैं वे सड़ रहे हैं और उनको वर्षों तक प्रयोग में नहीं लाया जाता है।

श्री संजीव रेड्डी : हो सकता है कि ऐसे कुछ पुर्जे हों। ऐसा बड़ी मात्रा में नहीं है।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : माननीय मन्त्री ने अभी बताया है कि उन्होंने इस्पात के उत्पादन की लागत की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की है। क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में इस्पात के उत्पादन की लागत सरकारी क्षेत्र के कारखानों की अपेक्षा बहुत कम है और यदि हां, तो सरकार सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उत्पादन की लागत को कम करने के लिये क्या कदम उठाने की सोच रही है?

श्री संजीव रेड्डी : मैं नहीं समझता कि यह धारणा ठीक है। भारत में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन की लागत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसी लिये यह समिति न केवल सरकारी अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उत्पादन की लागत की जांच के लिये बनाई गई है।

श्री नाथ पाई : प्राप्त आंकड़ों से पता लगता है कि सरकारी क्षेत्र के तीनों कारखानों ने नाममात्र का लाभ दिखाया है। यह कुछ छल सा लगता है कि राउड़केला के कारखाने ने, जिस का कार्यसंचालन पहिले ठीक नही था, भिलाई के कारखाने से, जिस का कार्यसंचालन सर्वोत्तम था, अधिक लाभ दिखाया है? इस का क्या कारण है कि जिस कारखाने का कार्यसंचालन सब से उत्तम था वह लाभ में दूसरे कारखानों से पीछे है?

श्री संजीव रेड्डी : राउड़केला में चौरस उत्पादन और पूरी चीजें बनती हैं जो कि काफी महंगी होती हैं। एक्सल निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली चीजें आदि जैसी भारी वस्तुओं के निर्माण पर कम व्यय होता है। राउड़केला में अधिक लाभ और आय की प्रतिशत का यही कारण होगा। जब यह कारखाना पूरा उत्पादन आरम्भ कर देगा तो इस कारखाने में अधिक लाभ होना स्वाभाविक है क्योंकि यहां चौरस माल बनता है जो काफी महंगा है।

श्रीमती सावित्री निगम : परिवर्तित परिस्थितियों और प्रतिरक्षा की बढती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए क्या इन सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी कारखानों के उत्पादन की योजना में कोई परिवर्तन करने या उनको पुनर्गठित करने का विचार है?

श्री संजीव रेड्डी : मैं उनके प्रश्न को नही समझ सका हूं। क्या वह प्रश्न को दौहरा सकती हैं?

अध्यक्ष महोदय : औरत को समझना बहुत कठिन है।

श्रीमती सावित्री निगम : परिवर्तित परिस्थितियों और बढ़ती हुई प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या इस्पात कारखानों की उत्पादन योजना में कोई परिवर्तन करने या उनको पुनर्गठित करने का विचार है?

श्री संजीव रेड्डी : हमें और अधिक मिश्रत इस्पात के कारखानों की आवश्यकता है और प्रतिरक्षा के लिये पुनर्गठित उद्योगों के लिये मिश्रत इस्पात का उत्पादन करना आवश्यक है। इस लिये हम सरकारी और गैर-सरकारी कारखानों में मिश्रत इस्पात के उत्पादन को बढाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री दाजी : क्या सरकार को मालूम है कि यद्यपि राउड़केला के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु एक्सल बनाने वाले भाग में केवल 60 प्रतिशत उत्पादन हुआ है और ऐसा मान लिया गया है कि इस में कभी वृद्धि नही हो सकती। यदि हां, तो इस में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री संजीव रेड्डी : हमें आरम्भ में कुछ कठिनाई हुई थी हम उस कठिनाई को दूर करने और उत्पादन को बढाने का प्रयत्न कर रहे है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : प्रत्येक कारखाने में उत्पादन की लागत क्या है और यह लगाये जाने वाले छोटे कारखाने की उत्पादन लागत की तुलना में कम है या अधिक?

अध्यक्ष महोदय : वे भिन्न चीजें है। उन में तुलना नही की जा सकती।

श्री संजीव रेड्डी : उनमें तुलना करना कठिन है। यदि पृथक प्रश्न किया जाये तो मैं तुलनात्मक आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश करुंगा।

Shri Tulsidas Jadhav : Whether it is a fact that profit in the public sector will be reduced by deducting the expenditure incurred on facilities provided to the workers working therein while comparing this profit with that of the private sector?

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

+

*628. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को जो हानि हुई उस का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार इस हानि को कैसे पूरा करेगी?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : 1964-65 के वर्ष में खनिज तथा धातू व्यापार निगम ने 25.07 लाख रु० का शुद्ध लाभ कमाया।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का विचार बनिया की भांति कार्य करना कभी बन्द करने और उचित ढंग से कार्य करना आरंभ करने का है?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दिलवा सकता हुँ?

श्री कपूर सिंह : यदि आप मन्त्री को उत्तर देने के लिये कहें, तो वह इस का बड़ा अच्छा उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इस प्रश्न का अच्छा उत्तर दे सकते हैं, तो मैं उनको आज्ञा दूंगा।

श्री मनुभाई शाह : वहां लाभ हुआ है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उसको समझ नही सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार बनिया मनोवृत्ति से कार्य करना बन्द करेगी और उचित ढंग से कार्य करने की कोशिश करेगी।

श्री मनुभाई शाह : सभा चाहती है कि सरकार अवश्य उचित ढंग से कार्य करे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस निगम द्वारा 1964-65 में यदि अलौह धातु का आयात किया गया है तो उसकी मात्रा और मूल्य क्या है।

श्री मनुभाई शाह : यह मात्रा अलग अलग है, किसी समय 18,000 टन सीसे और किसी समय 13,000 टन ऐल्यूमिनियम का आयात किया जाता है। इस वर्ष विशेष में जस्ता और तांबे का आयात नहीं किया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन का मूल्य क्या है?

श्री मनुभाई शाह : लगभग 3 करोड 70 लाख रुपये।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मन्त्री ने बताया है कि 1964-65 में लाभ हुआ था। क्या इस निगम को गत चार या पांच वर्षों में हानि उठानी पड़ी थी ?

श्री मनुभाई शाह : नही उन को कभी हानि नही हुई थी। परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि विश्व में लोह अयस्क के मूल्य पहले जैसे नही रहे और हो सकता है हमें और हानि उठानी पड़े।

कोयला विकास के लिये रुसी सहयोग

\+

*631. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० सरोजीनी महिषी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रूसी प्रतिनिधि मंडल कोयला विकास निगम से, चौथीयोजना में भारत के कोकिंग कोक संसाधनों के विकास के लिये निगम की परियोजनाओं में सहयोग देने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये भारत आया था ;

(ख) क्या रूसी सहायता का उपयोग मुख्यत: मिट्टी खोदने वाली भारी मशीनों तथा अन्य खनन उपकरणों के लिये किया जायेगा ;

(ग) रूसी विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद द्वारा तैयार की गई विभिन्न परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये अपेक्षित सहायता का अनुमान लगाने के लिये उनका कितना अध्ययन किया; और

(घ) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोकिंग कोयला के अपने वर्तमान उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या प्रस्तावित योजना है ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कुछ कोकिंग कोयला खानों के विकास के लिये सहायता दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक रूसी प्रतिनिधि मण्डल भारत में है। मण्डल द्वारा अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सहायता की सीमा निर्धारित की जायगी।

(घ) केन्द्रीय झरिया, बोकारो और रामगढ़ कोयला खानों में नई कोकिंग कोयले की खाने खोली जा रही हैं। वर्तमान खानों का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh : The Government have stated time and again that we have got surplus stocks of coal. Even after the Budget Government had stated that they could supply coal more than the actual demand. So what happened just in 4-6 months that we had to call for aid from other countries?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : वे गल्ती कर रहे हैं। साधारण कोयला हमारे पास फालतू है लेकिन हमें कोकिंग कोयला का उत्पादन बढ़ाना है। मैं बराबर कहता रहा हूं कि इस्पात कारखानों के लिये कोकिंग कोयला नितान्त आवश्यक होगा और इसलिए हम केवल कोकिंग कोयले के लिए सहायता ले रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : How much demand of this special coal required for the steel plants is met from Indigenous sources, the quantity that has to be imported and when we would become self-sufficient in it?

श्री संजीव रेड्डी : हमारा विचार चौथी योजना में कोकिंग कोयला के उत्पादन में 250 लाख टन की वृद्धि करने का है। घटिया किस्म के कोयले के लिए हम नये गड्ढे नहीं खोदेंगे। चौथी योजना की आश्वश्यकता पूरी करने के लिये वर्तमान क्षमता के साथ हम काफी उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन कोकिंग कोयले के लिये हमें काफी गहरी खुदाई करनी पड़ेगी। हमें पोलैंड से सहायता मिल रही है; गहरी खाने बनाई जा रही हैं, और बाद में रूस से भी हमें सहायता मिल सकती है।

Shri Yashpal Singh : How much had to be imported?

संजीव रेड्डी : मैं तो आरम्भ में ही कह चुका हूं कि 250 लाख टन मंगाना पड़ा।

श्री स० चं० सामन्त : हमें बताया गया है कि यह निगम घाटे में चल रहा है। क्या पोलैंड के सहयोग से कुछ अतिरिक्त कोयले का उत्पादन होगा ताकि घाटा पूरा हो सके?

श्री संजीव रेड्डी : नई लाइने खोलने पर पूंजी व्यय हुआ और हम कोयले का उत्पादन कर सकते थे, लेकिन बाजार में मांग कम थी अब हम कोकिंग कोयले के उत्पादन पर ध्यान दे रहे हैं, और हमें कोकिंग कोयला खानों में अधिक धन लगाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि बादमें हमें लाभ हो सकेगा।

Shri M. L. Dwivedi : Machines will be used in the projects prepared by the National Coal Development Council. May I know whether most of them are indigenous or foreign and if a part of them is foreign, the percentage thereof and whether there is possibility of some machinery being imported in future also? What would be its value?

श्री तिम्मय्या : हम अधिक से अधिक देशी मशीनों का प्रयोग करेंगे। जो सामान भारत में नहीं मिलता है, केवल वही रूस द्वारा दिया जायेगा।

Shri Sarjoo Pandey : The Soviet delegation now in India would examine the aspect of machinery or improvement of some of the new mines?

श्री तिम्मय्या : हमने उन्हें सब आंकड़े और विवरण दे दिया है और यहां आये हुए विशेषज्ञ हमारे अपने विशेषज्ञों के साथ इसका अध्ययन कर रहे हैं।

Mr. Speaker : Are they examining the development of existing mines or of new mines?

श्री तिम्मय्या : इस परियोजना के अन्तर्गत हम 5 विद्यमान खानों तथा 7 नई खानों को लेंगे। कुल 12 खानों का विकास किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What development is proposed to be made with Soviet collaboration? How the present shortage of coking coal would be met?

श्री तिम्मय्या : हमें आशा है कि इन परियोजनाओं के आरम्भ होने पर लगभग 100 लाख टन अतिरिक्त कोकिंग कोयला का उत्पादन होगा।

पन्द्रह वर्षीय इस्पात योजना

\+ +

***632. श्री कपूर सिंह :** **श्री प्र० के० देव :**

श्री सोलंकी : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अक्तूबर, 1965 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार (पहला पृष्ठ, कण्डिकाएं 2-4) की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र विद्यमान इस्पात कारखानों में उत्पादन पद्धति में परिवर्तन करने के लिये पंद्रह वर्षीय इस्पात योजना तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) दस पन्द्रह वर्ष में लोहे और इस्पात उद्योग के विकास हेतु एक योजना के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है। ऐसी योजना में दूसरी बातों के साथ साथ प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामान्यतः यथाशीघ्र आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये आयोजन किया जायेगा।

श्री कपूर सिंह : क्या इस प्रस्तावित योजना से अधिक खाद्य उत्पादन की हमारी योजनाओं पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जी, नहीं; इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नाथ पाई : क्या अगले 15 वर्षों के लिये इस प्रस्तावित योजना में अधिक इस्पात तैयार करने पर जोर दिया गया है अथवा यह योजना मिश्रित और विशेष इस्पात जैसे आवश्यक क्षेत्रों में कमी को पूरा करने के लिये है और यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या है ?

श्री संजीव रेड्डी : 10 लाख टन की कमी को पूरा करने के लिये एक इस्पात कारखाना के आयोजना में भी 5 वर्ष लगते हैं और विस्तार करने में 5 वर्ष और लगते हैं। इसलिए जब तक आय 10 अथवा 15 वर्षों के लिए योजना नहीं बनाते, यह कठिन है। मिश्रित धातु के कारखानों को अधिक महत्व दिया जायेगा जिसके लिए स्वाभाविक रूप से हमें तकनीकी सहयोग प्राप्त करना होगा। न केवल सरकारी क्षेत्र में अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र में भी हम 10,000 अथवा 20,000 टन के मिश्रित इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिये लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने के अतिरिक्त हम एक अन्य मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। इन सब पहलुओं पर विचार किया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या 15 वर्षों में देश की आवश्यकताओं का अनुमान किया गया है और यदि हां, तो वे क्या हैं? क्या फ्रान्सिसी उद्यमी हमारे साथ मिलकर कारखाना स्थापित करने के लिए सहमत हो गये हैं अथवा और परियोजनाओं के लिये किन्हीं अन्य सहयोगियों को आमन्त्रित किया गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : जब तक हम अपनी योजना तैयार नहीं कर लेते तब तक विदेशों सहयोगियों से बात करने से कोई लाभ नहीं है। वे रुचि ले रहे है--आंग्ल-अमरीकी, फ्रांसिसी और जर्मन गैर-सरकारी क्षेत्र के समवाय हमारे साथ सहयोग करने के लिये सहमत हैं। लेकिन पहले हमें अपनी योजना तैयार कर लेनी चाहियें और केवल उसके बाद ही हम यह कह सकते हैं कि किस प्रकार का सहयोग होना चाहिये और कितने प्रतिशत सहायता की आवश्यकता होगी।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इन पन्द्रह वर्षों में कितने और किन स्थानों पर कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : इस समय में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : अभी मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि अपनी योजनायें अन्तिम रूप से तैयार किये बिना हम सहयोग नहीं कर सकते। इस प्रश्न में 6 अक्तूबर के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित लेख की जो व्याख्या की गई है क्या वह स्वप्न मात्र है अथवा ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव है, क्योंकि हमेशा यह कहा जाता है कि अभी हम सोच रहे हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : आखिरकार जब हम योजना बनाते हैं तो स्वप्न मालूम देते हैं लेकिन स्वप्न भी पूरे करने होंगे। हम अगले दस वर्षों में--पांचवी योजना के अन्त तक--लगभग 260 लाख टन उत्पादन करना चाहते हैं। यह कोई बहुत बड़ी, असंभव बात नहीं है। अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस्पात कारखानों के लियें हम सहयोग पर निर्भर करेंगे अथवा हम भारत में भी कुछ बना सकते हैं और कितने प्रतिशत तथा अन्य पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने में क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य में ही थोड़ा विलम्ब हो गया था। न केवल निर्माण संबंधी स्थानीय कमियां थी अपितु आरम्भ की अवस्थाओं में जापान अथवा कनाडा के साथ समझौता करने में विलम्ब हो गया था। मैं समझता हूं कि अब पुनरीक्षित समय-सूची के अनुसार काम हो रहा और अगले दो वर्षों में उत्पादन होने लगेगा--कम से कम एक लाख टन तो होगा ही।

श्री कृ० चं० पंत : जो इस्पात तैयार किया जायेगा क्या सरकार का विचार उस माल तैयार करने के लिये उद्योगों के सम्बन्ध में एक 15 वर्षीय योजना बनाने का है ?

श्री संजीव रेड्डी : मुझे नहीं मालूम; मैं इस्पात के बारे में विचार कर रहा हूं। अन्य उद्योगों के बारे में मेरे माननीय मित्र उत्तर दे सकते हैं।

श्रीमती विमला देशमुख : क्या महाराष्ट्र अथवा गोआ में कोई इस्पात कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है ?

श्री संजीव रेड्डी : इस स्थिति पर हम स्थान के प्रश्न पर विचार नहीं करते तथा कारखाने के स्थान पर हमने विचार नहीं किया है।

श्री लिंग रेड्डी : क्या 15 वर्षीय इस्पात योजना तैयार करते समय प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जायेगा; यदि हां, तो किस हद तक ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, हां; प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी यथा संभव ध्यान में रखा जायेगा।

विद्युत् चालित करघों के लिये लाइसेंस देना

+

*633. **श्री प्र० के० देव :**
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् चालित करघों के लिये लाइसेंस देने की व्यवस्था समाप्त करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसा कब से किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : प्रतिवेदन विचाराधीन है।

श्री प्र० के० देव : हम लाइसेंस, कोटा, परमिट सब के विरुद्ध हैं। विद्युत् चालित करघों के सम्बन्ध में ये सब कब तक समाप्त हो जायेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : मैं आशा करता हूं कि लगभग एक महीने में मंत्रीमंडल निर्णय कर लेगा।

श्री कपूर सिंह : क्या लाइसेंस पद्धति में सरकारी कोष पर भी किसी प्रकार का वित्तीय उत्तरदायित्व आता है ?

श्री मनुभाई शाह : ये तो विद्युत् चालित करघों की स्थापना के लिये लाइसेंस अथवा परमिट हैं जिसमें कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं है।

Shri Tulsidas Jadhav : The ban on powerlooms affects adversely the people dependent on power looms for their living. What are the reasons for such a ban instead of expanding this small industry which helps in decentralisation? Maharashtra is today affected by it. Are Government looking to this aspect?

Shri Manubhai Shah : We are only implementing the policy of protecting the handloom industry in the decentralised sector, approved by parliament. Then Government appointed a committee under the Charimanship of Shri Asoke Mehta to suggest measures for the development of powerlooms. The decision taken on its report would be placed before the parliament.

Shri Sarjoo Pandey : Why do Government intend to stop powerlooms which are run on a large scale by people with small means? Have the big mills brought pressure on Government to ban them?

Shri Manubhai Shah : We sympathise with them and want the powerlooms also wherever possible but people engaged in handloom industry are still poorer of the two. Big mills are not involved in it. It is a question of powerlooms and handlooms.

कपड़ों का निर्यात

+

*634. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बाजारों में कपड़े के माल के सम्बन्ध में हांग कांग हमारे सब से बड़े प्रतिस्पर्धियों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या हांग कांग में शत-प्रतिशत उत्पादन स्वचालित करघों से होता है; और

(ग) देश के करघों को स्वचालित करघों में बदलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग): सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

विदेशी बाजारों में कपड़े के माल में हांग कांग हमारे सब से बड़े प्रतिस्पर्धियों में से एक है । हांग कांग में लगभग 80 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन स्वचालित करघों से किया जाता है । श्रम को विस्थापित किए बिना उत्पादकता बढ़ाने के ध्येय से स्वचालित करघे लगाने की अनमति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं:--

(1) करघों के लिए कताई बुनाई के सम्मिलित मिलों में सीमान्त विस्तार योजनाओं तथा कताई मिलों में विशेष विस्तार योजनाओं के अधीन साधारण करघों की अपेक्षा स्वचालित करघे स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना है ।

(2) देश में स्वचालित करघों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ।

(3) आधुनिकीकरण के लिये कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात करने के उद्देश्य से उपयुक्त शर्तों पर विदेशी विनिमय ऋणों की यथासम्भव व्यवस्था की जाती है । इन मशीनों में वे स्वचालित करघे भी शामिल हैं जो देश में नहीं बनाये जाते ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या हमारे देश में स्वचालित करघों के निर्माण के लिए सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई प्रयास किये गये हैं और यदि हां, तो उन्हें क्या कठिनाइयां हुई हैं और उनको कैसे दूर किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : देश में पहले ही दो कारखाने स्वचालित करघों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन मांग इतनी अधिक है कि संगठित क्षेत्र में इस समय लगे हुए 2 लाख करघों के समुचित भाग को बदलने में कुछ वर्ष लगेंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : कपड़ों के क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धियों के नाम क्या हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जापान और अब चीन एवं पाकिस्तान भी बढ़ रहे हैं । विश्व में कपड़ों का बाजार, विशेष रूप से सूती कपड़ों का घटता जा रहा है ।

Shri M. L. Dwivedi : The Hon. Minister is aware that Chinese textiles smuggled into Hongkong are despatched to all parts of World as manufactured in Hongkong. Have Government of India approached the British Government to stop the entry of Chinese textiles in Hongkong so that sale of Indian textiles may go up?

Shri Manubhai Shah : What can I reply to it?

श्रीमती रेणुका रे : विदेशी मुद्रा की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वचालित करघों के लिए मंजूर की जा रही राशि सहित कपड़ा मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए अब कुल कितनी राशि प्रदान की जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : वर्तमान स्थिति सभा को भलीभांति विदित है । अभी तक मिलने वाले दीर्घ-कालीन ऋण नहीं हैं । चालू वर्ष में आधुनिकीकरण के हेतु आयात के लिए लगभग 11.2 करोड़ रुपए दिए गए है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कपड़ों का निर्यात 65 करोड़ रुपए से घटकर 38 करोड़ रह गया है, सरकार कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय करेगी ताकि विदेशी मुद्रा उपार्जित की जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य ने ये आंकड़े कहां से लिये हैं। यह सच है पहले छः महीनों में निर्यात 3 करोड़ रुपए कम हुआ है लेकिन 65 करोड़ रुपए से घटकर 38 करोड़ रुपए नहीं । लेकिन, नवम्बर के अन्त में कुछ सुधार हुआ है । सूती कपड़ों और उनसे बनी वस्तुओं के 59 करोड़ रुपए के कुल निर्यात की अपेक्षा चालू आंकड़े 61 करोड़ रुपए हैं तथा मैं आशा करता हूं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्थिति अच्छी रहेगी ।

India United Mills, Bombay

*635. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have set up a Committee to look into the affairs of the India United Mills, Bombay;

(b) if so, the reasons for constituting the said Committee; and

(c) the composition of the Committee?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c). The Government have set up an Investigation Committee consisting of Shri G.V. Bedekar, Chairman, Shri R. M. Bhandari, Member, Dr. U. Bhattacharya, Member, and Shri M. S. Srinivasan, Member-Secretary, to look into the affairs of the India United Mills, Bombay. The Committee was set up, because it was represented to Government that there had been gross mismanagement in the working of the mills and it was feared that the mills might close down adversely affecting production and throwing about 1,800 of workers out of employment. On the recommendation of the Committee, the Mills have been taken over by the Government on the 29th November, 1965 and an authorised Controller has been appointed to run the Mills.

Shri Yashpal Singh : Have Government considered the question of giving representation in the committee to the workers so that their interests may be safeguarded?

Shri Manubhai Shah : This is never done in case of technical or expert committee of this nature.

Shri Yashpal Singh : Then how the interests of workers would be protected?

Shri Manubhai Shah : It is constituted to look into the matters connected with management and other matters and is temporary. They have given the judgment that it is not functioning properly. Government have taken it over in the interest of workers.

श्री नाथ पाई : मैं इस बात की सराहना करता हूं कि मंत्री महोदय ने इन मिलों को हाथ में लेने के बारे में सभा को दिये गये आश्वासन को पूरा किया है । अब जबकि इन मिलों को ठीक स्थिति में लाने के लिये जनता का पैसा लगाया जायेगा, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि उनका प्रबन्ध उन व्यक्तियों के हाथ में नहीं रहने दिया जायेगा, जिनपर कुप्रशासन का आरोप है तथा सरकार इन मिलों का नियंत्रण अन्तिम रूप से अपने हाथ में ले लेगी ।

श्री मनुभाई शाह : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई वर्षों से हम इसपर विचार कर रहे हैं कि किसी ऐसी कम्पनी में संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत किस प्रकार सरकारी प्रबन्ध रखा जा सकता है क्योंकि सच यह है कि अपने हाथ में लेने के बाद हम प्रबन्ध में सुधार करके देश के सामान्य सम्पत्ति संबंधी अधिकारों के अन्तर्गत वह मूल स्वामियों को वापस कर दी जाती है। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री दाजी : संकटकालीन स्थिति और भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए ऐसी मिलों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सुधार करने के बाद वापस करने की अपेक्षा ऐसी मिलों का प्रबन्ध अन्तिम रुप से अपने हाथ में लेने के लिये भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए ?

श्री मनुभाई शाह : मैं अनेक माननीय सदस्यों को अनौपचारिक रूप से आश्वासन दिया था कि इस समिति द्वारा शीघ्र उचित नहीं मिला तो मैं भारत रक्षा नियमों का प्रयोग करने में नहीं हिचकूंगा लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि प्रतिवेदन बहुत शीघ्र प्राप्त हुआ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वर्तमान स्थिति में सरकार की नीति यह है कि वर्तमान मालिकों द्वारा वित्तीय कुप्रबन्ध के कारण अनिश्चित काल के लिये बन्द होने वाली कपड़ा मिलों को सरकार अपने नियंत्रण में लेकर चलायें ?

श्री मनुभाई शाह : हम प्रत्येक मामले में उसकी स्थिति के अनुसार इस विषय पर विचार करेंगे।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के अतिरिक्त सरकार कुप्रशासन के लिये ऐसे मालिकों के विरूद्ध सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक वित्तीय पक्ष का सम्बन्ध है सामान्यत: कुप्रबन्ध के लिये समवाय विधि बोर्ड कार्यवाही करता है; तकनीकी पक्ष के बारे में हम आधुनिकिकरण के दृष्टिकोण से विचार करते हैं और मिल को फिर से ठीक स्थिति में लाते हैं। वर्तमान कठिनाई न केवल कुप्रबन्ध और खराब मशीनों की है अपितु अत्यधिक ऋण के कारण भी यह कुछ बढ़ गई है। इन सब पहलुओं पर उचित रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा प्रश्न यह था कि सरकार कुप्रशासन के लिये प्रबन्धकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : यदि समवाय विधि बोर्ड को पता लगता है कि खयानत की गई है, तो उनपर अभियोग चलाया जायेगा।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या ये मिलें उद्योग विनियम अधिनियम के अन्तर्गत ली गई हैं और यदि हां, तो क्या उनकी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद वे फिर पुराने प्रबन्धकों को सौंप दी जायेंगी ?

श्री मनुभाई शाह : ये मिलें उद्योग अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत ली गई हैं; लेकिन वास्तव में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुप्रबन्ध, खयानत अथवा उचित वित्तीय प्रबन्ध न करने वाले मूल मालिकों को ये मिलें वापस क्यों दें।

श्री दे० द० पुरी : क्या सरकार का विचार इस मिल में कुछ धन लगाने का है; यदि हां, तो कितना ?

श्री मनुभाई शाह : लगभग $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए, लेकिन यह सीधे रूप में धन लगाने का प्रश्न नहीं है बल्कि कार्यकर पुँजी के लिए उधार वित्त की तरह है।

Shri Madhu Limaye : Has the attention of Government been drawn to the resolutions passed at a conference of Cotton Textile Mill Workers held in Nagpur recently, urging for the formation of a corporation? There is no need to

amend the constitution. Did Government receive the resolution passed there regarding formation of a corporation to take over the management of these mills suspending the fundamental rights?

Shri Manubhai Shah : Of course, proposal was received. The case differs from mill to mill. Therefore, one corporation is not going to help. One corporation can not look to the work of circumstances in different cases, the nature and dose required to remedy the situation. We cannot abrogate temporarily the rights of any body under the constitution.

Shri Madhu Limaye : During the emergency fundamental rights guaranteed under the constitution have been suspended. Right of civil liberty has been suspended, then why can't the property rights be suspended?

Mr. Speaker : He has stated that he cannot do it. I cannot allow discussion on this point.

एशियाई साझा बाजार

*638. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वयं अथवा किसी विदेशी राष्ट्र अथवा संगठन द्वारा रखे गये एक एशियाई साझा बाजार अथवा उसके स्थान पर एशिया के सभी लोकतंत्रीय देशों के लिये एक साझा बाजार बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अब किस स्तर पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि आज यूरोपीय साझा बाजार, अरब साझा बाजार जैसी गतिविधियों से विश्व दृष्टिकोण प्रकट होता है और यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार एशिया साझा बाजार बनाने के विषय में अन्य एशियाई देशों के साथ, कम से कम एशीया के लोकतंत्रीय देशों के साथ, अपनी ओर से बातचीत करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मनुभाई शाह : एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग के सम्मुख यह प्रश्न कई बार आया है । एशियाइ देशों का सामान्य मतैक्य यह रहा है कि साझा बाज़ार के लिए विकास और समृद्धि का एक समान स्तर होना चाहिए चूँकि एशिया के देशों की विकास की स्थिति भिन्न है जैसे भारत, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, लाओस अथवा कम्बोडिया, इस समय एक साझा बाज़ार बनाना व्यावहारिक नहीं समझा गया । यह सच है कि एक साझा अरब बाज़ार बनाने का प्रस्ताव है लेकिन हमें देखना यह है कि यह कहां तक सफल होता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय का ध्यान जापान के प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका देश व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में एशीया के अन्य देशों से घनिष्ठता बनाना चाहेगा और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह : जापान के माननीय प्रधान मंत्री श्री सातो द्वारा व्यक्त किये गये उद्गारो और भावनाओं में सहभागी है। हमने शीघ्र ही एक उच्च शक्ति प्राप्त जापानी व्यापारिक प्रतिनिधि-

मंडल को आमंत्रित किया है । इसी प्रकार भारत से दो प्रतिनिधि मंडल जापान जा रहे हैं ; हो सकता है कि वित्त मंत्री भी शीघ्र ही जापान जायें ।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री जी भी जायेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : बाद में घनिष्ठता तकनीकी एक आर्थिक सहयोग के लिए अन्य उच्चाधिकारी भी जापान जायेंगे ।

श्री के० दे० मालवीय : मंत्री महोदय ने एशियाई साझा बाजार के बारे में जो विचार व्यक्त किये, क्या सरकार का भी यही सुविचारित मत है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कच्चे लोहे की कमी

*629. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और मध्यम दज के ढलाईघरों को कच्चे लोहे की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या ऐसा वास्तव में कच्चे लोहे की कमी के कारण हैं अथवा उसके ठीक प्रकार से वितरण न होने के कारण ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : वर्गीकृत कच्चे लोहे की कमी होने के कारण उन ढलाईघरों को जो इंजिनियरिंग उद्योग के लिए आवश्यक कुछ खास किस्मों की ढलाई करते हैं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) संगठित स्पात कारखानों में उत्पादन की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके कच्चे लोहे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं तथा और नए कारखाने स्थापित करने के लिए भी लाइसेंस दिए गए हैं ।

छटा इस्पात कारखाना

*630. **श्री दासप्पा** :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 817 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी उद्यमियों ने अब सरकारी क्षेत्र में छटा इस्पात कारखाना खोलने के लिये कोई विशिष्ठ प्रस्ताव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला कम्पनियों को आर्थिक सहायता

*636. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1964 से अक्तूबर, 1965 तक महीनेवार, कोयला बोर्ड द्वारा कोयला कम्पनियों को देय आर्थिक सहायता की कितनी राशि देनी बकाया थी ;

(ख) क्या सरकार को पता चला है कि कोयला बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के भुगतान में विलम्ब किये जाने के कारण कोयला खानों की बड़ी कठिनाई हो रही है; और

(ग) क्या ठीक समय पर सहायता दिये जाने के लिये भुगतान संबंधी प्रक्रिया सरल बनाई जा रही है, ताकि उत्पादन कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव न पड़े ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5296/65।]**

(ख) हां, महोदय। कोल बोर्ड कोयला कम्पनियों की दी जाने वाली सहायता के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिये सक्रिय है तथा सरकार इस कार्य के लिये बोर्ड को अतिरिक्त धन राशि देने का प्रयास कर रही है।

(ग) यह विषय कोल बोर्ड के विचाराधीन है।

भाप चालित रेलवे इंजीन

*637. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक तापीय कार्यक्षमता लाने और कम अनुरक्षण की दृष्टि से भाप से चलने वाला कोई नये किस्म का रेलवे इंजन बनाया है अथवा वर्तमान डिजाइन में ही सुधार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने युरोपीय देशों में प्रयोग में लाये जाने वाले रेलवे इंजनों के परिचालन का आर्थिक दष्टि से अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) हाल के वर्षों में भाप चालित रेल इंजनों का कोई नया डिजाइन नहीं बनाया गया है। फिर भी, वर्तमान भाप चालित रेल इंजनों की दक्षता में सुधार करने के सम्बन्ध में बराबर जांच की जा रही है। नये तथा मौजुदा रेल इंजनों में, जहां कहीं व्यावहारिक होता है, सुधार किया जाता है ताकि वर्तमान डिजाइनों में अनुरक्षण सम्बन्धी काम को घटाया जा सके।

(ख) इस तरह का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

बेबी फूड का उत्पादन

*639. **श्री लिंग रेड्डी :**

श्री मुहम्मद कोया :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने कारखाने बेबी फूड तैयार कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस समय उत्पादन किया जाने वाला बेबी फूड देश की आवश्यकता के लिये पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त मात्रा में बेबी फूड का उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) चार कारखाने भारी क्षेत्र में तथा दो कारखाने लघु क्षेत्र में ।

(ख) तथा (ग): देश में शिशु खाद्य की आम कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने हाल ही में 5,000 मी० टन वार्षिक की क्षमता की चार योजनाओं के लिए लाइसेंस दिए हैं । चौथी योजना की अनुमानित मांग को पूरा करने के हेतु इसके अतिरिक्त और क्षमता के लिए यथा समय लाइसेंस दिए जाने की आशा है ।

आसाम में सीमेंट कारखाना

*640. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में चेरापुंजी में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये एक प्राइवेट पार्टी को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था;

(ख) क्या इस औद्योगिक एकक में राज्य सरकार ने भी पूंजी लगाई थी और यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या उक्त प्राइवेट पार्टी का विचार अब कारखाना स्थापित करने का नही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ) : अप्रैल, 1965 में मेसर्स आसाम सीमेंट्स लि०, शिलांग को चेरापुंजी में लगभग 84,000 मीट्रिक टन वार्षिक स्थापित क्षमता का एक सीमेंट कारखाना लगाने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया था । चुंकि कम्पनी के व्यवस्थापक इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर सके, अतः कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1963 से इस कम्पनी को एक सरकारी कम्पनी के रूप में बदल दिया गया है । आसाम सरकार ने इक्विटी अंशो के अधीन 15 लाख रु० देना स्वीकार कर लिया है तथा 40 लाख रु० का कुल ऋण भी कम्पनी को दे दिया है । आसाम सरकार ने प्रयत्न किया किन्तु उसे कोई ऐसी उपयुक्त पार्टी न मिल सकी जिसे इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रबन्ध एजेंट नियुक्त किया जा सकता हो । इसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र में ले लेने का निश्चय किया और 51 प्रतिशत से अधिक अंश अपने अधिकार में ले लिये हैं । आसाम सरकार ने इक्विटी अंशो के लिये 15 लाख रु० की तथा अधिमान्य अंशों के लिये 25 लाख रु० की और राशि (कुल 40 लाख रु०) देने का निश्चय किया है और पहले दिये गये 40 लाख रु० के ऋण को अंश पुंजी के रूप में बदल देने के लिये स्वीकृति जारी कर दी है ।

सोवियत संघ को केलों का निर्यात

*641. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को केलों का बड़े पैमाने पर निर्यात करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो 1965–66 में कितना निर्यात करने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : सोवियत रूस को 1965–66 में 1,000 से 1,200 मी० टन केलों का निर्यात करने का प्रस्ताव है । यह अभी शुरुआत ही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण

*642. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने भारत द्वारा विदेशी मुद्रा की बराबर की रकम की व्यवस्था किये बिना 10 करोड़ डालर का ऋण देना मान लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण देने की ठीक-ठीक शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इसका किस प्रकार उचित उपयोग किया जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5297/65 ।**]

पाकिस्तान इण्टरनेशनल एयरवेज के कर्मचारियों के दावे

*643. **श्री ही० ना० मुखर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक (कस्टोडियम) ने पाकिस्तान इण्टरनेशनल एयरवेज के कर्मचारियों को, भारतीय नागरिक होने पर भी, एक महीने का नोटिस दे कर नौकरी से हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों को उनके मालिकों के विरुद्ध उनके अधिकारों और दावों के बारे में कोई आश्वासन दिया गया है; और

(ग) क्या उन्हें अन्य स्थानों में उसी प्रकार के वेतन-क्रमों में काम दिया जायेगा जिन पर वे पहले कार्य कर रहे थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों के प्रति पाकिस्तान इण्टरनेशनल एयरवेज़ के जो दायित्व हैं उन्हें जहां तक सम्भव होगा और भारत में उस फर्म को जितनी पुँजी होगी उस सीमा तक पूरा किया जायगा ।

(ग) उन्हें रोज़गार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराने की सलाह दी गई है और सरकार उन्हें उपयुक्त नौकरी दिलाने में सहायता करेगी ।

उद्योगों पर से नियंत्रण हटाना

*644. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर से मूल्य, वितरण तथा लाइसेंस देने सबंधी नियंत्रण हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों पर से नियंत्रण हटाने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : उद्योगों पर नियंत्रण में ढील के प्रश्न पर सरकार समय समय पर विचार करती रही है । सीमेंट उद्योग के बारे में लिए गए एक निर्णय की घोषणा भी की जा चुकी है ।

बन्दूकों का निर्माण

*645. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** तथा **सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 12 बोर की बन्दूकों की जनता की बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो 12 बोर की बन्दूकों की कमी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या देश में नांगल के कारखाने की किस्म के कारखाने हैं जो ये बन्दूकें बना सकते हैं किन्तु उन्हें लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कारखानों की क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : देश में 12 बोर की बन्दूकों की मांग निरन्तर बढ़ रही है तथा अगले पांच वर्षों में मांग का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है ।

देश में वर्तमान कारखानों में आम तौर से पसन्द की जाने वाली समान किस्म की 12 बोर की बन्दूकों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। यदि मांग के अध्ययन से जो कि इस समय किया जा रहा है यह पता चला है कि वह इतनी है कि उसे पूर्ण करने के लिए आर्थिक दृष्टि से एक या अधिक एकक स्थापित करना आवश्यक हो तो इन एककों की सहायता के लिए आवश्यक साधनों की खोज करने की कोशिश की जायगी ।

राजस्थान के सीमान्त जिलों में रेलवे लाइनें

*646. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1965 में हुए संघर्ष तथा बाद की दुखद घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने राजस्थान के सीमान्त ज़िलों में नई रेलवे लाइनें बनाने के लिये कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है । अभी इसका ब्यौरा देना संभव नहीं है ।

रूसी ट्रैक्टर

*647. श्री सिंहासन सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयात-कर्त्ताओं अथवा उनके एजेंटों के पास पड़े हुए कुछ रूसी ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने ट्रैक्टर कब्जे में लिये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग): देशी ट्रैक्टरों और आयातित ट्रैक्टरों (जो केवल पूर्व योरपीय देशों जिनमें सोवियत संघ भी सम्मिलित है से भारत के राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात होते हैं) के विक्रम मूल्यों में काफी अन्तर है । भारत में ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्यों को युक्तिसंगत करने के लिये, यह विचार किया गया कि रा० व्या० नि० द्वारा आयातित ट्रैक्टरों के मूल्य बढ़ाये जायें और इस प्रकार से प्राप्त राशि से एक पूल बना कर देशी ट्रैक्टरों के खरीदारों को इसमें से सहायता उपलब्ध की जाये । रा० व्या० नि० से इस पूल का प्रशासन सम्हालने के लिये कहा गया था ।

कृषि से सम्बन्ध हितों से प्राप्त हुए कुछ अभ्यावेदनों के कारण, सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार किया और अब यह निर्णय किया गया है कि पहली स्थिति ही फिर से लायी जाय । अतएव आयातित ट्रैक्टरों के मूल्यों में अभी कोई वृद्धि नहीं की जायेगी ।

तैयबपुर स्टेशन के निकट रेलवे पुल

*648. श्री काजरोलकर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार-सिलीगुड़ी सेक्शन पर तैयबपुर स्टेशन के निकट के एक रेलवे पुल को रेलवे प्रशासन ने 16 नवम्बर, 1965 को कुछ तकनीकी खराबी के कारण असुरक्षित घोषित कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लखनऊ जाने वाली गौहाटी-लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी को रोक लिया गया था और क्या इस सेक्शन पर सीधी जाने वाली गाड़ियां बन्द कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : 16-8-1965 को 15 डाउन गोहाटी एक्सप्रेस को लगभग दो घंटे रोकना पड़ा और गाड़ियों का आना-जाना लगभग चार घंटे बन्द रखना पड़ा । इसका कारण यह था कि तीन फुट व्यास वाली एक पाइप पुलिया को बदलने के लिए अस्थायी व्यवस्था करनी थी । पुलिया की खुदी हुई नींव में पानी रिसने लगा था जिसका पहले से अन्देशा न था और इस वजह से पुलिया गाड़ियों के आने-जाने के लिए खतरनाक हो गयी थी ।

मिश्र धातु, औजार तथा स्टेनलैस स्टील का उत्पादन

*649. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में मिश्र धातु, औज़ार तथा स्टेनलैस स्टील का उत्पादन लगभग 85 प्रतिशत कम हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस कमी का देश की औद्योगिक प्रगति पर बुरा असर पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : तीसरी योजना अवधि के अन्त में 200,000 टन की अनुमानित मांग के मुकाबले में उस समय तक मिश्र और विशेष इस्पात का कुल उत्पादन 45,000–50,000 टन के लगभग होने की संभावना है । यह उत्पादन दुर्गापुर मिश्र- इस्पात संयंत्र, मैसुर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड और निजी क्षेत्र की इकाइयों का होगा । मिश्र और विशेष इस्पात के उत्पादन में सामान्यत: विशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है और बाहर से तकनीकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है । तकनीकी जानकारी के लिए बातचीत में बहुत समय लगता है । संयंत्र और उपकरण आयात करने में विदेशी मुद्रा की कठिनाई भी आती है ।

(ग) देश के मिश्र और विशेष इस्पात का उपयोग करने वाले उद्योगों की अनिवार्य आवश्यकताओं को यथासंभव मात्रा में आयात द्वारा पूरा किया गया है । प्रतिरक्षा की तथा अन्य अत्यावश्यक उद्योगों की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्पात के बड़े कारखानों तथा नरम इस्पात का उत्पादन करने वाली छोटी इकाइयों में विशेष इस्पात का उत्पादन करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं ।

खान मालिकों को वित्तीय सहायता

*650. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खान मालिकों को खानों का विकास करने के लिये वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : सरकार ने अभी तक कोई योजना तैयार नहीं की है । तथापि यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

एल्यूमीनियम का प्रयोग (सब्स्टीट्यूशन)

*651. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 10 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 547 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्तन बनाने तथा अन्य औद्योगिक कामों में पीतल तथा जस्ते के स्थान पर एल्युमीनियम का प्रयोग करने के कार्यक्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : आधुनिक डिजाइन के मोटी पेंदी वाले अल्युमिनियम के कुछ बर्तन, जो इस देश की खाना बनाने विशेषकर मसाले वाले खाने बनाने की अत्यधिक तेज आंच सहन कर सकते हैं, तैयार किये जा चुके हैं। इस प्रकार की मोटी पेंदी वाले वर्तन बनाने को प्रोत्साहन देने के लिये जिस प्रकार की आसानी से मुड़ने वाली खरादों की आवश्यकता होती है, उन खरादों के आम रूप तैयार करने के लिये लघु उद्योग सेवा संस्थान, लुधियाना तथा मशीनी औजार डिजाइन संस्था, बंगलौर की सहायता से कार्रवाई की जा रही है ।

जहां तक अन्य उद्योगों में दूसरी धातुओं के स्थान पर अल्युमिनियम का प्रयोग करने का सम्बन्ध है, निम्नलिखित उद्योगों में दूसरी धातुओं के स्थान पर अल्युमिनियम का प्रयोग काफी परिमाण में होने लगा है :—

1. अधिक और कम तनाव वाली ऊपरी लाइनें ।

2. जमीन के नीचे और वी० आई० आर० तथा पी० वी० सी० केबिल, तांबे के खुले कण्डक्टर ।

ए० सी० एस० आर० कोर वायर और बाल्टियां तथा हार्डवेयर की अन्य वस्तुएं भी अल्युमिनियम की बनाने की खोज की जा रही है ।

पूर्वी क्षेत्रों में रेलवे का विकास

*652. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भारत के दूरतम पूर्वी क्षेत्रों में रेलवे के विकास का एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिये अनुरोध किया है जो अगली कुछ दशाब्दियों के लिये उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और यह भी अनुरोध किया है कि रेलवे लाइन को नेफा तक बढ़ाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो आसाम सरकार द्वारा सुझाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से असम में रेलवे के विकास के लिए इस तरह की किसी बृहत्तर योजना के बारे में कोई विशेष आवेदन नहीं मिला है लेकिन असम सरकार उस क्षेत्र में कई नयी लाइने बिछाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन देती रही है ; खासतौर पर वह सिलीगुड़ी से जोगीघोपा तक की नयी बड़ी लाइन को गौहाटी तक बढ़ाने का अनुरोध करती रही है । असम सरकार के विचारों को नोट कर लिया गया है और चौथी योजना में रेलवे की प्रायोजनाओं को अन्तिम रूप देते समय इन पर समुचित विचार किया जायगा । हाल में योजना आयोग ने एक दल बनाया है जो परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का अन्दाज़ा लगाने के लिए असम और सारे पूर्वी क्षेत्र के लिए परिवहन सम्बन्धी सर्वेक्षण करेगा ।

छोटी कार का निर्माण

*653. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 10 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 559 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी मोटर कारपोरेशन रेनाल्ट ने भारत में छोटी कार के निर्माण के बारे में अपना संशोधित परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : इसकी अभी जांच की जा रही है ।

जवाहरात का निर्यात

1756. श्री कर्णी सिंहजी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जौहरी और विशेषतया जयपुर के जौहरी लोग सरकार के निदेशों के कारण जवाहरात उद्योग से संबंधित निर्यात संवर्द्धन योजना की लगातार अनिश्चित स्थिति से बहुत चिन्तित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि यह व्यापार आयात किये जाने वाले रूक्ष पत्थरों को काटने तथा उन पर पालिश करने के आधार पर कायम है तथा इनका निर्यात तभी हो सकता है जब अपरिष्कृत रूप में इन का आयात किया जाये;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इन का निर्यात करने वाले लोगों ने इस व्यापार से इस कारण अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि सरकार की इस घोषणा से कि प्रत्येक क्षेत्र में आयात कम किया जायेगा, उन्हें शंका हो गई है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस निदेश के परिणाम-स्वरूप विदेशी मुद्रा की अनुमानतः कितनी हानि होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मोती, हीरे, मूल्यवान और अर्द्ध-मूल्यवान रत्नों तथा संश्लेशित रत्नों के निर्यात सम्बन्धी निर्यात संवर्द्धन योजना में बताये गये प्रोत्साहनों में पिछले कुछ वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं किये कये हैं। सरकार ने ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया है जिसके कारण निर्यात सम्वर्द्धन योजना के चालू रखने के विषय में अनिश्चित स्थिति उत्पन्न हो। निर्यात संवर्द्धन योजना के कथित अनिश्चय के कारण जौहरियों में उत्पन्न हुई किसी चिन्ता का सरकार को पता नहीं है ।

(ख) सरकार को पूरी तरह ज्ञात है कि इस क्षेत्र का निर्यात व्यापार आयात किये हुये कच्चे रत्नों, हीरों, मोतियों, संश्लेशित रत्नों इत्यादि पर ही मुख्तः आधारित है और इसी लिए निर्यात संवर्द्धन योजना इस उद्योग को यह आवश्यक कच्चा माल प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गयी है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक एकक

1757. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश तथा दक्षिण मंडल के अन्य राज्यों में कुछ औद्योगिक एककों को हाल में बिजली की कमी के कारण बहुत हानि उठानी पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो उन एककों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन का कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) उर्वरक, रसायन, लकड़ी, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा मोटर गाड़ियों की वस्तुएं बनाने वाले एकक ।

(ग) ऐसी परिस्थिति में हानि का पता लगा सकना कठिन है । बहुत से उद्योग इस प्रकार अनिवार्य रूप से कारखानों के बन्द हो जाने की अवधि का उपयोग समय-समय पर होने वाली मरम्मत, सफाई और देख-रेख आदि में कर लेते हैं ।

(घ) अल्प-कालिक उपाय के रूप में इस बात पर सहमति हो गई है कि मैसूर राज्य में उपलब्ध कुछ फालतू बिजली का विभाजन आन्ध्र, केरल और मद्रास इन तीन राज्यों के बीच किया जा सकता है । मद्रास और केरल में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता करने के लिये भी प्रयत्न किया जा रहा है ।

केरल में मैदे के कारखाने

1758. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में मैदे के कितने कारखाने चल रहे हैं ;

(ख) क्या पालघाट (केरल) में मैदे का एक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इस में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है ; और

(घ) इसमें कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) केरल राज्य में बीस लघु और तीन मध्यम आकार के कारखाने टेपिओका स्टार्च का निर्माण कर रहे हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अब से लगभग एक वर्ष में ।

(घ) कारखाने से आशा की जाती है कि टेपिओका के तनों के उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से दिये जाने वाले रोजगार के अलावा लगभग 50 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा ।

Seating Capacity in the Lucknow-Delhi Mail Train

1759. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Utiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the seating capacity for the I, II and III class passengers in the Lucknow-Delhi Mail and Express trains;

(b) the number of I, II and III class tickets sold separately for the said trains for Delhi from Lucknow;

(c) whether Government propose to reduce the number of I Class seats and increase the number of III class seats; and

(d) whether Government also propose to increase the number of above mentioned trains or to introduce a Janta train between Delhi and Lucknow?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The seating capacity of Lucknow-Delhi Mail and Express trains are as under;—

29 Up/30 Dn. Mail	Capacity
I class Sleeping	48
Do. Seating	72
II class Sleeping	40

29UP/30 Dn. Mail	Capacity
II class Seating during night	16
Do. Seating during day	64
III class Sleeping during night	75
Do. Seating during night	400
Do. Seating during day	475

83 Up/84 Dn. Express	Capacity
I class Sleeping	48
Do. Seating	72
II class Seating	80
III class Sleeping during night	64
Do. Seating during night	400
Do. Seating during day	464

(b) Number of tickets sold during the month of October, 1965 is as under:—

I class	853
II class	801½
III class	9318

As the booking is continuous and no record about trainwise booking is maintained, it is not possible to give the number of passengers booked separately by 83 Up and 29 Up. Trains 83 Up and 29 Up leave Lucknow at 20-50 hrs. and 21-25 hrs. respectively.

(c) No.

(d) No.

पामबन पुल, मद्रास

1760. श्री मलाइछामी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तूफान के कारण मद्रास राज्य में टूटे हुए पामबन पुल की मरम्मत करने तथा उस पर पुराने काम के स्थान पर नया निर्माण करने का काम पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन से काम पूरे नहीं हुए हैं ; तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कामों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : दिसम्बर, 1964 के समुद्री तूफान में जो स्पैन बह गये थे या क्षतिग्रस्त हो गये थे, उन सबके बदलाव और मरम्मत का काम पूरा हो चुका है । केवल निम्नलिखित अनुषंगिक काम बाकी हैं जो किये जा रहे हैं :

(i) गर्डरों की आधार-पट्टियों को पायों के तल-ब्लाकों से जकड़ना ।

(ii) पुल पर रोक पटरी लगाना ।

(iii) ट्राली रखने के लिए स्थान की व्यवस्था ।

पुल जल्दी ही 1–3–65 को फिर चालू करने के लिए 51 स्पैनों पर अस्थायी गर्डर लगाये गये थे जिन्हें बाद में बदलना पड़ा और इस काम के समाप्त हो जाने के बाद ही उपर्युक्त आनुषंगिक काम शुरू किये जा सकते थे ।

(ग) जनवरी, 1966 के अन्त तक ।

मध्य प्रदेश में रेशम कीट पालन उद्योग का विकास

1761. **श्री लखमू भवानी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 और 1965–66 में अब तक रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उसको 1964–65 में दिये गये अनुदान की पूरी रकम का उपयोग किया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, स्वीकृत आयोजन कार्यक्रमों पर राज्य सरकारों द्वारा किये गये खर्च के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । इसी के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रेशम कीट पालन उद्योग विकास पर 1964–65 में किये गये खर्च के अस्थायी आंकड़ों के आधार पर, नीचे दिये अनुसार वित्तीय सहायता अस्थायी रूप में उस राज्य सरकार को उस वर्ष के लिये स्वीकृत की गयी :—

अनुदान	1.77 लाख रु० ।
ऋण	2.92 लाख रु० ।
योग .	4.69 लाख रु० ।

समंजन करना यदि आवश्यक हुआ तो, चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 1964–65 में किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर कर लिया जायेगा ।

राज्य सरकार के लिये 1965–66 के लिये स्वीकृत खर्च और केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

खर्च	केन्द्रीय सहायता		
	अनुदान	ऋण	योग
10.38	6.00	2.30	8.30

उदयपुर-हिम्मतनगर मीटर गेज रेलवे लाइन

1762. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर-हिम्मतनगर को मिलाने वाली नई मीटर गेज लाइन हाल में ही माल यातायात के लिये खोल दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह लाइन कितनी लम्बी है तथा उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ग) संबंधित क्षेत्र को इससे क्या लाभ होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 14-11-1965 को यह लाइन माल यातायात के लिए खोल दी गयी थी ।

(ख) यह लाइन लगभग 213 कि० मी० लम्बी है और इस पर लगभग 11.4 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । वस्तुत: इस लाइन पर कुल कितनी लागत आयेगी, इसका पता तभी लग सकेगा जब लेखे अन्तिम रूप से तैयार हो जायें ।

(ग) इस लाइन के निर्माण का औचित्य नीचे दिया गया है :—

(i) उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान के बीच सीधे और कम लम्बे रास्ते की व्यवस्था के लिए ।

(ii) उदयपुर और अहमदाबाद को राखाबड़े तथा शामलाजी (राखाबड़े जैनियों का और शामलाजी हिन्दुओं का महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है) और भूतपूर्व डुंगरपुर रियासत की राजधानी डूंगरपुर से मिलाने के लिए ।

(iii) राज्य के प्रमुख खनिज भण्डार, जैसे सीसा, जस्ता, लोह खनिज, यूरेनियम आदि के उत्पादन और उसके विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ।

(iv) राजस्थान और गुजरात राज्यों के पिछड़े और अर्धविकसित आदिवासी क्षेत्रों के सामान्य विकास के लिए ।

अहमदाबाद में एयर-रायफल बनाने का कारखाना

1763. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद में एयर-राइफल बनाने का प्रस्तावित कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या पंजाब में एयर-राइफल बनाने के कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने में प्रतिमास कितनी राइफलें बनाई गई हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द मिश्र) : (क) इस परियोजना के लिये अपेक्षित पूंजीगत उपकरणों का आयात करने के लिये प्रबन्ध पूरा हो चुका है । विदेशी सहयोग करार की अब सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) पंजाब में एयर-राइफल बनाने वाले कारखाने की स्थापना करने के लिये जो औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया था वह अब रद्द कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Export of Handicrafts

1764. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of handicrafts exported to the foreign countries during 1964-65; and

(b) the nature of these handicrafts and the countries to which exported?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Exports of Handicrafts during 1964-65 amounted to Rs. 2584·42 lakhs.

(b) Woollen carpets, rugs, and druggets; art metalwares; precious, semi-precious & synthetic stones; zari, handprinted textiles, woodenwares; woollen shawls, lohis travelling, shawls & scarves as artware are the principal items exported to the U. K., U. S. A., Switzerland, Belgium, France, West Germany, Hongkong, Canada, Malaya, Federation & Singapore, Australia, Aden, Kuwait, Italy, Saudi Arabia and Japan.

Vendors on Railway Stations

1765. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that vendors on certain important railway stations of the Northern Railway, Ghaziabad being one of them, sell sugar in blackmarket and serve tea prepared with gur to the passengers; and

(b) if so, the reasons for not taking preventive measures and also the reasons for not taking action against those indulging in blackmarketing in sugar?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Two complaints were received regarding sale of tea prepared with gur to passengers and appropriate action has been taken against contractors involved. Since the catering here is by contractors, the question of the vendors selling sugar in blackmarket does not arise.

A complaint regarding sale of Sugar in blackmarket by Catering staff at Lucknow station, has been received and this is under investigation. Severe action will be taken, if the complaint is substantiated.

Supervision is exercised at departmental catering units to ensure that sugar supplied to such units is properly utilized.

लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर रेल दुर्घटना

1766. श्री भानु प्रकाश सिंह : **श्री मधु लिमये :**
श्री यशपाल सिंह : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या रेलवे मंत्री चारबाग स्टेशन, लखनऊ में हुई दुर्घटना के बारे में 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 902 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

कच्चा लोहा उद्योग समूह

1767. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े आकार का एक कच्चा लोहा उद्योग-समूह, जो बाद में इस्पात संयंत्र के रूप में विकसित किया जा सके, स्थापित करने की एक योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग-समूह कहां पर स्थापित किये जाने का विचार है ;

(ग) इसकी कुल अधिष्ठापित क्षमता तथा अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(घ) यदि इस मामले में कोई निर्णय किया गया है, तो क्या ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए बड़े आकार की धमन भट्टियों के अवस्थापन के लिए शक्यता—अध्ययन कर लिए गए है और सरकार उन पर विचार कर रही है। ये भट्टियां इस प्रकार की होगी कि इनको बाद में विकास कर के सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने में बदला जा सकता है। जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) सिन्दरी-बर्मी-रामगड़ क्षेत्र (बिहार)
(ii) बाराजमदा-बाराकेट-बोनेगढ़-हीराकुड-तालचर क्षेत्र (उड़ीसा)
(iii) प्रादीप (उड़ीसा)
(iv) काकीनडा (आंध्र)
(v) रोघाट (मध्य प्रदेश)
(vi) नागपुर-चान्दा-पंचघाटी क्षेत्र (महाराष्ट्र)
(vii) जिल्लीमिल्ली क्षेत्र (मध्य प्रदेश)
हलदिया (प० बंगाल)

निर्यात घर

1768. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 827 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी सरकारी कार्यकारी दल द्वारा निर्यात घर तथा प्रेषण कार्यों के लिये पैकिंग करने के एकक स्थापित करने के लिये की गई सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच क्या निर्णय किया है ; और

(ख) उस दल की अन्य सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख) : लघु उद्योगों के कार्यकारी दल के विभिन्न सुझावों पर निर्णय सरकार द्वारा योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करने के उपरान्त किया जायगा । इन सुझावों की इस समय जांच की जा रही है और निर्णय करने में अभी कुछ समय लगेगा ।

Production of Paper

1769. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have placed an order with Russia for substantial quantity of wood-pulp used in the production of paper;

(b) if so, the quantity ordered; and

(c) the outcome thereof?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). Under the Trade Agreement with the U. S. S. R., import of a total quantity of 25,000 tonnes of wood pulp from that country has been contracted.

(c) A quantity of 20,000 metric tonnes has already been licensed in favour of the actual users, who are to import the goods directly themselves. The procurement of licences for a further quantity of 5,000 metric tonnes is under process.

कोयला धोने के कारखानों के उपोत्पाद

1770. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कोयले के क्षेत्रों में चालू कोयला धोने के कारखानों के फालतू उपोत्पादों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : कोयला धावनशालाओं के उप-पदार्थ प्राय: ऊष्म-विद्युत स्थानों के वाष्प-पात्रों में प्रयोग किए जाते हैं । बचे हुए अधिक उपपदार्थ इट जलाने में प्रयोग में लाए जाते हैं ।

ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात

1771. डा० सरोजिनी महिषी : क्या **वाणिज्य** मंत्री 17 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2368 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात करने के लिये उदारतापूर्वक लाइसेंस देने की व्यवस्था का अब तक कितना लाभ उठाया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : ब्रिटेन को सब प्रकार के सूती कपड़े निर्यात करने के लिये मुक्तरूप से लाइसेंस देना 6 सितम्बर, 1965 से शुरू किया गया है और तब से अब तक 353.6 लाख वर्ग गज कपड़े के लाइसेंस मुक्तरूप से दिये जा चुके हैं ।

Accident to Ahmedabad-Delhi Express Train

1772. Shri Brij Raj Singh : **Shri Ram Harkh Yadav :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ahmedabad-Delhi Janta Express met with an accident near Bombay on the morning of the 21st October, 1965;

(b) if so, the number of persons injured and killed; and

(c) the causes of the accident?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The accident occurred at Mehsana station of Western Railway and not near Bombay.

(b) No one was killed as a result of this accident. However, nine persons sustained minor injuries.

(c) The accident was due to the failure of railway staff.

Accident in Durgapur Steel Plant

1773. Shri Brij Raj Singh :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six workers died as a result of an accident that occurred in the Durgapur Steel plant on the morning of the 21st October, 1965;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the details of the help given by Government to the families of the persons killed?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Yes, Sir.

(b) While the workers of a contractor were trying to fit the big bell rod into the big bell of Blast Furnace No. 4 under erection as a part of expansion work, the bell along with the planks on which the workers were standing fell down through a height of about 100 feet.

(c) The workers concerned were employees of a contractor. However, the Project authorities are making arrangements to deposit the amount payable under the Workmens' Compensation Act within the stipulated period and to recover the same subsequently from the contractor concerned.

इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड

1774. श्री मुहम्मद इलियास :

श्री हीo नाo मुकर्जी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में मैसर्स इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता के द्वारा उत्पादित माल के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ;

(ख) क्या इस समवाय का निर्यात व्यापार भारतीय विदेश व्यापार संस्था के द्वारा किया जाता है ;

(ग) क्या इस समवाय को विपणन विकास निधि के अन्तर्गत 'मान्यता प्राप्त संस्था' के रूप में सहायक अनुदान प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त है ; और

(घ) क्या इस समवाय को निर्यात व्यापार में एकाधिकार प्राप्त है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मैसर्स इण्डियन आक्सीजन लिमिटड, कलकत्ता द्वारा निर्यात किये गये इलैक्ट्रोड का मूल्य, इंजीनियरी सामान निर्यात सम्वर्द्धन परिषद, कलकत्ता द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 2.05 लाख रु० रहा है । इसी फर्म द्वारा नाइट्रस आक्साइड का निर्यात पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, मूल रसायन, फार्मेस्युटिकल्स और साबुन निर्यात सम्वर्द्धन परिषद, बम्बई द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 8.52 लाख रु० मूल्य का रहा है । इस फर्म द्वारा 1962–63 से पहले निर्यात किये गये नाइट्रस आक्साइड के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) : जी, नहीं ।

(घ) यह माल किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्यात किये जाने की स्वतन्त्रता है और इस कम्पनी को इन वस्तुओं का निर्यात करने के लिये कोई एकाधिकार प्राप्त नहीं है ।

संगणकों (कम्पूटरों) का निर्माण

1775. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संगणकों (कंप्यूटरों) का विकास तथा निर्माण करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फंडामेण्टल रिसर्च तथा एटामिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, ट्राम्बे ने संगणकों (कम्प्यूटरों) का डिजाइन तैयार किया है और उनका निर्माण किया है । हाल ही में मेसर्स आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, बम्बई को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत संगणकों का निर्माण करने के लिये एक लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है ।

भिलाई इस्पात कारखाने में मजदूरों की छटनी

1776. श्री यशपाल सिंह : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने में लगभग 20,000 निर्माण कर्मचारियों की छटनी होने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो छंटनी न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : आजकल भिलाई कारखाने के विस्तार कार्य में, जिसमें इसकी क्षमता को 1 मिलियन टन से बढ़ाकर 2.5 मिलियन टन किया जायगा, लगभग 18,500 कर्मचारी निर्माण-कार्य में लगे हुए हैं । उन कर्मचारियों के अलावा जिन्हें नियमित सिब्बन्धी में रखा जायगा और जिनकी कारखाने के चौथी योजना के विस्तार कार्य में जरूरत होगी दूसरे कर्मचारियों को ज्यों 2 विभिन्न इकाइयां तैयार होती जाएगी धीरे धीरे छटनी की जायगी । वर्तमान अनुमानों के अनुसार 1966 की प्रथम तिमाही में 6,500 के लगभग कर्मचारियों के फालतू होने की संभावना है ।

रोजगार और प्रशिक्षण के महा निदेशक तथा राज्य सरकार से इन कर्मचारियों को रोजगार दिलाने में सहायता करने के लिए कहा गया है इन फालतू कर्मचारियों को उस क्षेत्र में अन्य सरकारी कम्पनियों में रोजगार दिलाने पर भी विचार किया जाएगा ।

आसाम में पटसन के स्टाक का जमा होना

1777. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में धुबड़ी तथा अन्य स्थानों में पटसन का बहुत स्टाक जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : हाल की संकटकालीन स्थिति के कारण पटसन को असम से कलकत्ता क्षेत्र की मिलों तक ले जाने में कठिनाइयां अनुभव की गई थीं। पटसन को निचले असम तथा सीमा केन्द्रों के अन्य भागों से कलकत्ता तक समस्त भारतीय रास्ते से, कुछ तो स्टीमर द्वारा और कुछ रेल द्वारा स्टीमर कम्पनियों तथा रेलों की सहायता से ले जाने के लिए तत्काल कदम उठाये गए थे। इन उपायों के परिणामस्वरूप पर्याप्त सुधार हो जाने की सूचना मिली है।

Centralised Traffic Control System

1778. Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Shree Narayan Das :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Centralised Traffic Control System has been introduced on the North-Eastern Railway;

(b) if so, since when and the names of the Railway stations between which it has been introduced;

(c) when it would be introduced on the remaining sections; and

(d) the total amount already spent and the total amount likely to be spent on this work?

The Deputy Minister for Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) Since 2-10-1965.

Centralised Traffic Control has been introduced at 5 stations between Gorakhpur Cantt. (excl.) & Gauri Bazar (incl.).

Relay Interlocking (first stage of Centralised Traffic Control) has been introduced at 3 stations between Gauri Bazar (excl.) & Bhatni (excl.) (excluding Deori Sadar).

(c) Centralised Traffic Control will be introduced at the remaining stations of Gorakhpur-Chupra sections, in stages, by February '66.

(d) (i) Amount already spent Rs. 2·67 crores.

(ii) Total amount likely to be spent on the entire project =Rs. 3·44 crores.

Theft of Cement Bags from Attar Railway Station

1779. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1277 on the 19th March, 1965 regarding the theft of cement bags from Attar Railway Station on the 17th March, 1964 and state :

(a) whether the theft took place in collusion with the Station Master of Attar Station and no action was taken against him in this connection;

(b) whether it is a fact that the Class IV employees are still being harassed in this connection; and

(c) the reasons why no assistance was given to the persons tracing the thieves and the nature of punishment awarded to the culprits?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The police investigation did not reveal complicity of the Station Master of Attar Station and question of taking action against him, therefore, does not arise.

(b) There has been no harassment of Class IV staff. But the police have arrested and prosecuted the following staff of the Attar Railway Station along with five other persons of Attar:—

Two Gangmen.

One Clerk.

Retired Assistant Station Master, Attar.

(c) The police Authorities have not reported whether any thieves were traced and arrested with the assistance of other persons; nor have the Police authorities made any complaint about want of assistance from Railway side. The case against the persons mentioned above is subjudice.

सस्ते रेडियो का निर्माण

1780. श्री यशपाल सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के मूल्य के सस्ते रेडियो बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार कम कीमत के रेडियो रिसीवरों के स्थानीय उत्पादन के ऐसे सुझाव पर विचार कर रही है जिसके अनुसार वह उपभोक्ता को 60 रु० या 65 रु० प्रति सैट के हिसाब से उपलब्ध हो सकेगा । वर्तमान एककों की निर्माण क्षमता, इस प्रकार के रेडियो सैटों के आयातीत पुर्जों के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा तथा उस विदेशी मुद्रा को कैसे उपलब्ध किया जाएगा ? इन सभी बातों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

चीन से अफगानिस्तान को चाय का आयात

1781. श्री यशपाल सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन-अफगान करार की ओर दिलाया गया है जिसके अन्तर्गत अफगानिस्तान चीन से चाय का आयात करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत से अफगानिस्तान को होने वाले चाय के निर्यात पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । इसके विपरीत अफगानिस्तान को भारतीय चाय का निर्यात जो कि 1962–63 में 4437 मी० टन था । 1964–65 में बढ़कर 4775 मी० टन हो गया ।

Manufacture of Pins and Clips

1782. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the machinery installed in the factory set up by Government in Madhya Pradesh for the manufacture of pins and clips is lying idle;

(b) whether it is also a fact that the machine procured by Government for a factory of a similar type in the private sector is second hand and is not working properly; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आटा पीसने की मशीनों का आयात

1783. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों को तथा किन-किन आटा पीसने की मिलों को 1 जनवरी से 30 सितम्बर, 1965 तक की अवधि में आटा पीसने वाली मशीनों के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये हैं, तथा प्रत्येक मामले में किन-किन देशों से मशीनें आयात की गई हैं अथवा आयात की जाती हैं और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है अथवा होगी;

(ख) क्या ये मशीनें पुरानी मशीनों को बदलने के लिये आयात की गई थीं अथवा नई मशीनें लगाने के लिये; और

(ग) किस तरीके से तथा किस प्राधिकार की सिफारिश पर ये लाइसेंस दिये गये थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : एक विवरण जिसमें 1 जनवरी 1965 से 30 सितम्बर, 1965 की अवधि में, आटा पीसने की मशीनों के आयात के लिये जारी किये गये आयात लाइसेंसों का तथा यह ब्यौरा कि इन मशीनों को प्रतिस्थापन के लिये अथवा अन्यथा मंगाया गया है और वह प्राधिकार जिसकी सिफारिशों पर लाइसेंस दिये गये, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए सख्या एल० टी० 5298/65 ।]**

घड़ी के पुर्जों का निर्माण

1784. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीने में कुल कितनी घड़ियों का आयात किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि में इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : अगस्त, 1965 को समाप्त हुई छमाही में आयात की गई घड़ियों की संख्या और मूल्य इस प्रकार हैं :—

विवरण	संख्या	मूल्य '000 रु० में
(1) क्लाई की घड़ियां	10,884	193
(2) जेब घड़ियां .	194	6
(3) स्टाप वाचें	1,320	30
(4) अन्य घड़ियां जिनमें जहाज़ चलाने के क्रोनोमीटर आदि भी शामिल हैं	8,580	97
योग	20,978	326

जाजपुर में फैरो-क्रोम कारखाना

1785. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 2 अप्रैल 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1878 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि जाजपुर रोड (उड़ीसा) में फैरो-क्रोम कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : स्थल पर सिविल इंजीनियरिंग का कार्य आरम्भ हो चुका है । स्वीडन से उपकरण आयात करने के लिए आस्थगित अदायगी की शर्तें अनुमोदित कर दी गई हैं । कारपोरेशन आयात-लाइसेंस के लिए आवेदन कर रही है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार

1786. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1965 तक दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने और कैसे मामले अनिर्णीत थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

मामलों की संख्या .	169
मामलों की किस्म	
(1) रिश्वत मांगना और स्वीकार करना . . .	20
(2) झूठे ब्यान और झूठे प्रमाण-पत्र देकर नौकरी और पदोन्नति पाना .	8
(3) धोखाघड़ी से पास तथा सुविधा टिकट आदेश-पत्र लेना और उनका दुरुपयोग करना	12
(4) रेलवे रोकड़, सामान आदि का दुर्विनियोग . . .	28
(5) झूठा हाजिरी-रजिस्टर रखना, सरकारी रिकार्ड में फेर-बदल करना, झूठा यात्रा भत्ता लेना	19

(6) सेवा आचरण नियमों तथा विभागीय प्रक्रिया सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन करना	22
(7) प्रतिरूपण (impersonation) के आधार पर नौकरी प्राप्त करना	2
(8) झूठा प्रमाण-पत्र पेश करके मकान किराया भत्ता लेना . .	3
(9) अनानुपातिक परिसम्पत्ति	20
(10) उड़ीसा सरकार से संबंधित जाली जेल अधिपत्रों पर रेलवे टिकट लेना .	1
(11) रेलवे ठेकेदार द्वारा विशिष्टि से नीचे स्तर का निर्माण-कार्य करना, अधिक सामान जारी करना या अधिक मजदूर लगाना . . .	19
(12) विविध	15
जोड़	169

उड़ीसा को सीमेंट का आवंटन

1787. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आठ महीनों में उड़ीसा को कितने सीमेंट की आवश्यकता थी; और

(ख) इसी अवधि में वास्तव में कितना सीमेंट दिया गया ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : राज्य कोटा के अधीन पिछले आठ महीनों के दौरान अर्थात् मार्च से अक्तूबर, 1965 में उड़ीसा की सीमेंट की मांग और उसको किया गया संभरण नीचे दिखाया गया है :—

इण्डेण्ट की गई आवश्यकता	6,83,527 मी० टन
नियत किया गया परिमाण	1,33,600 मी० टन
वास्तविक संभरण	1,20,694 मी० टन

भीमवरम रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

1788. **श्री द० ब० राजू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के निड़ादवोलू-नवसापुर रेलवे लाइन पर भीमवरम रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर एक ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव दक्षिण रेलवे के 1958–59 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। बाद में राज्य सरकार ने लागत के अपने हिस्से की रकम देने में असमर्थता प्रकट की और कहा कि यह काम चौथी योजना के लिए मुल्तवी रखा जाये। राज्य सरकार से अभी इस आशय के निश्चित प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है कि वह किस वर्ष लागत के अपने हिस्से की रकम की व्यवस्था कर सकेगी।

काकिनाडा-कोटिपल्ली रेलवे लाइन के लिये जमीन

1789. **श्री द० ब० राजू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर काकिनाडा-कोटिपल्ली रेलवे लाइन के लिए अर्जित की गई जमीन अब रेलवे विभाग के कब्जे में है ;

(ख) क्या लाइन को दोबारा बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जमीन बेकार क्यों पड़ी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं। ज़मीन अन्तिम निबटारे के लिए 1959–60 में आन्ध्र प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग को दे दी गयी।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

Diesel Foremen in the Lucknow Division

1790. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) the number of Diesel Foremen working in the Lucknow Division on the North-Eastern Railway;

(b) the number of those among them who have been granted extension of service after the age of superannuation; and

(c) when they would retire from service?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) One in Lucknow District.

(b) None.

(c) Does not arise.

मैसूर राज्य में एल्यूमिनियम का कारखाना

1791. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने उस राज्य में एल्यूमिनियम का एक कारखाना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Buses for Bhilai Steel Plant Employees

1792. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether some buses have been provided for the transport of the employees of Bhilai Steel Plant;

(b) if so, the number of buses provided and whether all those buses are roadworthy;

(c) if not, the number of buses which are not in working order and whether it is a fact that many parts of those buses have been stolen; and

(d) the steps being taken by Government to remedy the situation?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). 37 buses have been provided for the purpose. All the buses are roadworthy. 8 out of them are under capital repairs. The number of buses under running repairs varies from day to day. 4 cases of theft of the parts of buses, costing Rs. 1,920 have occurred during the financial year 1964-65. Cases have been registered with the Police.

(d) Normal vigilance and security arrangements are in force.

Allotment of Cars to M. P.'s

1793. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state the number of Members of Parliament who applied for motor-cars and the number of those among them as have been allotted cars during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : 527 applications for allotment of cars from the Central Government quota were received from the Members of Parliament during the period from 1-12-1962 to 30-11-1965, and 443 cars have been allotted to them during this period.

स्थानीय तथा सस्ते रेडियो का निर्माण

1794. **श्री गुलशन** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 125 रुपये से कम लागत के स्थानीय और सस्ते रेडियो के निर्माण के लिये लाइसेंस फीस समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों को सस्ते रेडियो का निर्माण बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऐसे रेडियो के निर्माण के लिये उन्हें व्यापारी लाइसेंस शुल्क से छूट देने का सरकार का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द मिश्र) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं ।

रोरो सिंचाई योजना

1795. **श्री ह० चं० सोय** : क्या **रेलवे** मंत्री 4 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (दक्षिण-पूर्व रेलवे) की राज खरसावां-गुआ लाइन पर पाण्डरासोली स्टेशन के निकट स्थानीय रोरो सिंचाई योजना की मुख्य नहर तक एक रास्ता बनाने के मामले पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) इस काम के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च की मंजूरी दे दी गयी है और आशा है कि इसे जल्द शुरू किया जायेगा और अगले मानसून के पहले पूरा कर दिया जायेगा ।

Import of Railway Equipment

1796. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether Government have decided to decrease the import of railway equipment; and

(b) if so, the details thereof?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. Government is making every effort to keep the import of railway equipment to the inescapable minimum.

(b) The drive for achieving self-sufficiency is being accelerated. All Zonal Railways and Production units have been instructed to take special steps to keep a close watch on imports, and to use indigenous substitutes wherever possible. Special machinery has been set up in the Railway Board to review the position periodically, coordinate the efforts of the Zonal Railways and Production units, and to assist and advise them in the matter as necessary.

जादवपुर और गड़िया (पूर्व रेलवे) के बीच फ्लैग स्टेशन

1797. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पूर्व रेलवे के सियालदाह डिविजन के दक्षिण सेक्शन में जादवपुर और गड़िया रेलवे स्टेशनों के बीच पड़ने वाले गांवों की जनता की ओर से राजापुर में, जो जादवपुर और गड़िया के लगभग बीच पड़ता है, एक रेलवे फ्लैग स्टेशन बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सम्बन्धित रेलवे प्रशासन ने प्रस्तावित स्थान पर संभावित यात्री यातायात के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी; हां ।

(ख) अनुमान है कि दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 2,000 होगी, जिसमें से लगभग 1800 यात्री ऐसे होंगे जो इस समय जादवपुर से आते-जाते हैं ।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

सियालदाह-सोनारपुर सेक्शन पर रेलवे लाइन के नीचे जल निस्सारण पुलिया

1798. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार के नमक झील सुधार (रिक्लेमेशन) बोर्ड तथा सिंचाई और जलमार्ग विभाग के शहरी जल-निस्सारण डिविज़न ने पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में सियालदाह-सोनारपुर सेक्शन पर टेलीपोस्ट संख्या 9/60 और 9/7 के बीच वर्तमान रेलवे लाइन के नीचे जल-निस्सारण पुलिया का शीघ्रतापूर्वक निर्माण करने के लिए प्रार्थना की है, ताकि राज्य सरकार अपनी टोली गंज-पंचनांगमनी जल-निस्सारण योजना को पूरा कर सके ;

(ख) रेलवे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) इस मामले में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार के साल्ट लेक्स एण्ड एलाइड स्कीम के विशेष इंजीनियर ने सोनारपुर शाखा पर मील 9/6 और 9/7 के बीच एक नयी रेलवे पुलिया बनाने का अनुरोध किया था। जून, 1963 में 4×6 फुट स्लैब टाप पुल बनाने का प्रस्ताव अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया और बाद में विशेष इंजीनियर ने नक्शे और अनुमान तैयार करने की लागत की स्वीकृति रेलवे को दे दी। जब नक्शे और अनुमान अन्तिम रूप से तैयार किये जा रहे थे, तो अधीक्षक इंजीनियर ने पुलिया का स्थान बदल कर तार खम्भा नं० 9/10-11 पर कर दिया। तदनुसार एक संशोधित नक्शा तैयार किया गया और अक्टूबर, 1965 में अधीक्षक इंजीनियर को अनुमोदनार्थ दिया गया। इस महीने अधीक्षक इंजीनियर ने फिर पुलिया का डिज़ाइन बदलने का प्रस्ताव रखा है ताकि उसमें से अधिक पानी निकल सके और अब 4×6 फुट के बदले, जैसा कि शुरू में प्रस्ताव था, 2×25 फुट का निकास मार्ग बनाने का सुझाव दिया है। अधीक्षक इंजीनियर से तकनीकी विवरण देने को कहा गया है ताकि रेलवे पुल का नया डिज़ाइन तैयार करने का काम शुरू किया जा सके। इस विवरणों की अभी उनसे प्रतीक्षा की जा रही है।

मैसूर राज्य में रायचूर और गड़ग के बीच रेलवे लाइन

1799. श्री लिंग रेड्डी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में रायचूर और गड़ग के बीच एक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक रेलवे लाइन बन जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रोडेशिया के साथ व्यापार

1800. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महम्मद कोया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रोडेशिया के साथ आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद हो जाने के पश्चात् भारतीय निर्यात में हुई कमी का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : 1964-65 के वित्तीय वर्ष में भारत से रोडेशिया को लगभग 2 करोड़ रु० का माल भेजा गया। रोडेशिया से आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद कर लेने के कारण मोटे तौर पर हमारे निर्यात में इतनी ही हानि हो सकती है।

कैलशियम कार्बाइड की कमी

1801. श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री युद्धवीर सिंह :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कैलशियम कार्बाइड वैल्डिंग कार्यों के लिये अत्यावश्यक वस्तु है और विशेष रूप से इस का उपयोग लोहे की जंजीरें और वाहक नाली (कंड्यूट पाईप) बनाने के लिये किया जाता है ;

(ख) क्या यह दिल्ली में आसानी से नहीं मिलता है और चोर बाजार में बिकता है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में इस उद्योग में लगे हुए मजदूर बेरोजगार हो गये हैं तथा उद्योग को धक्का पहुंचा है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) क्या इसे अत्यावश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल करने का सरकार का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

Restaurant at Kota Railway Station

1802. Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Yudhvir Singh :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tenders were invited for the Restaurant at Kota Railway Station, Rajasthan;

(b) if so, the reasons for the cancellation of these tenders as also for returning the deposits;

(c) whether it is also a fact that M/s. Raj and Company is running that Restaurant for the last about 6-7 years; and two trollies and one tea stall have also been given in the name of the same Company which have been sub-let;

(d) if so, the reasons therefor and whether it is also a fact that the term for which extension was given to the said Company for running the Restaurant is over; and

(e) the reasons for not inviting tenders again?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (e). Messrs. Raj and Company have been running the Non-vegetarian Refreshment Room at Kota Railway Station with two Vending trollies attached to it, since 1961. As a result of a representation made by them about poor sales in this establishment, the matter was enquired into by the Western Railway and they were granted the facility of an attached Tea Stall in August, 1964. Enquiries have been made into the allegation of sub-letting of the Tea Stall and Trollies but it has not been substantiated.

Applications were invited by the Railway for allotting the contract, on the expiry of the present term of contract of Messrs. Raj and Company. In view, however, of a representation made by them against the non-renewal of the contract, the matter is under further investigation. Pending a final decision, Messrs. Raj and Company have been allowed to continue upto 31-3-1966. The applications received in respect of this contract have, therefore, been treated as cancelled and the deposits made by the applicants have been refunded to them.

रेलवे कर्मचारियों की आय पर कर

1803. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अगस्त, 1965 को रेलवे उपमंत्री को पूर्वोत्तर रेलवे कालोनी, इज्जतनगर में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों की आय पर जिला परिषद द्वारा लगाये गये कर के बारे में तब एक अभ्यावेदन मिला था, जब वह एन० ई० आर० वर्कशाप, इज्जतनगर देखने गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

इज्जतनगर के रेलवे कर्मचारियों पर लगाया गया कर

1804. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कालोनी, इज्जतनगर (बरेली के निकट) रहने वाले पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों पर जिला परिषद ने कुछ कर लगाया है ;

(ख) यदि हां तो कर की प्रतिशतता क्या है तथा ये कब से लगाया गया है ; और

(ग) इसकी वसूली रेलवे कर्मचारियों से होगी अथवा रेलवे प्रशासन से ?

रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) 1962-63 से परिस्थिति और सम्पत्ति कर लगाया गया है और सम्बन्धित व्यक्तियों की वार्षिक आमदनी के तीन प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाता है ।

(ग) इसकी वसूली रेल कर्मचारियों से भी की जाती है ।

रेलवे डिस्पेंसर तथा मरहमपट्टी करने वाले कर्मचारी (ड्रेसर)

1805. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर दिल्ली में किशनगंज स्थित स्वास्थ्य एकक में कुल कितने डिस्पेंसर तथा मरहमपट्टी करने वाले कर्मचारी काम कर रहे है और स्वास्थ्य एकक में प्रतिदिन अनुमानत: कितने रोगी आते हैं ;

(ख) कितने डिस्पेंसर और ड्रैसर पारियों में काम करते हैं अथवा कितने कर्मचारी एक से अधिक बार थोड़े थोड़े समय के लिये काम करते हैं, जो आठ घंटे की सामान्य ड्यूटी के बजाय केवल पांच घंटे की ही होती हैं ;

(ग) क्या डिस्पेंसरों और ड्रैसरों को, जिन्हें अपनी पारी में रात को काम करना पड़ता है, रात्रि का यह भत्ता दिया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) (i) दवा देने वाले 7 (ii) मरहमपट्टी करने वाले 5 (iii) रोगियों की दैनिक औसत संख्या 776 ।

(ख) कोई भी कर्मचारी एक दिन में आठ घंटे से कम ड्यूटी नहीं करता लकिन चार दवा देने वाले और दो मरहमपट्टी करने वाले कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी दो पारियों में देनी होती है जो चार-चार घंटे की होती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ये कर्मचारी इस सम्बन्ध में लागू वर्तमान नियमों के अन्तर्गत रात की ड्यूटी के लिए भत्ता पाने के हकदार नहीं है, क्योंकि रात की ड्यूटी में उन्हें लगातार रात भर काम नहीं करना पडता।

जस्ते के स्टाक का बन्धन

1806. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 नवम्बर, 1965 के 'स्टेट्समेन' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार द्वारा जस्ते के स्टाक का बंधन किये जाने के परिणामस्वरूप इस्पात नल (ट्यूब) उद्योग को उत्पादन के विषय में बहुत कठिनाई अनुभव हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बताई गई कठिनाइयों से उद्योग को छुटकारा दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्रा) : (क) इस उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कुछ कठिनाइयों की सूचना मिली है।

(ख) निर्माताओं को उनकी पिछली खपत के आधार पर अक्तूबर, 1965 के लिये जस्ता नियत कर दिया गया है। नवम्बर और दिसम्बर के लिये उन्हें जस्ते का नियतन अक्तूबर, 1965 से मार्च, 1965 की अवधि में किये गये औसत नियतन के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निर्माताओं को निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन उनके द्वारा अर्जित जस्ते का भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है।

तिण्डिवनम रेलवे स्टेशन

1807. श्री रेड्डियार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की छोटी लाइन पर तिण्डिवनम रेलवे स्टेशन का दर्जा हाल में घटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस स्टेशन की आय बढ़ रही है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस स्टेशन का दर्जा फिर से ऊंचा करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) सवाल नहीं उठता।

आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा किया गया जुर्माना

1808. श्री राम सेवक यादव :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई भी अपराधिक दण्ड (पीनल पनिशमेंट) पिछली तारीख से नहीं दिया जा सकता ; और

(ख) यदि हां, तो आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा मई, 1954 में जारी किये गये उन आदेशों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनमें कुछ फर्मों को, व्यक्तिगत सुनवाई के बिना, 31 दिसम्बर, 1953 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लाइसेंस लेने से वंचित किया गया था ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : आयात (नियन्त्रण) आदेश के अन्तर्गत कोई कार्रवाई करने से पूर्व सुनवाई का अवसर देने का आरम्भ 7 दिसम्बर, 1955 से किया गया है। किन्तु व्यय के हित में, ऐसा कोई उपबन्ध न होने पर भी, मुख्य नियन्त्रक आयात तथा निर्यात द्वारा, 7 दिसम्बर, 1955 से पूर्व भी, ऐसी फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व अभ्यावेदन देने के लिये उन्हें उचित अवसर दिये जाते थे। जांच अवधि में जिन आवेदनों से सम्बद्ध आयात लाइसेन्स विचाराधीन थे उनका निर्णय इन जांचों के प्रकाश में किया गया है। ऐसी समस्त फर्मों को जिन्हें आगामी अवधियों में लाइसेन्स प्राप्त करने से वर्जित कर दिया गया था अथवा जिनके आयात आवेदन जांच की अवधि में विचाराधीन थे, उनको अभ्यावेदन के लिये उचित अवसर दिया गया तथा तदनुसार वैध नियमों के अनुसरण में आदेश दिये गये थे। ऐसे मामलों में, इस लिये अब कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ व्यापार

1809. श्री वी० चं० शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 में राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप इन देशों के साथ हमारे व्यापार में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० संख्या 5299/65।]**

इस्पात कारखानों मे ईरानी इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना

1811. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरानी इंजीनियरों को इस्पात कारखानों तथा अन्य बुनियादी औद्योगिक एककों में प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण कब दिया जायेगा और किन शर्तों पर ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नीलम संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जुलाई, 1965 में ईरान में हमारे राजदूत ने यह पूछा था कि यदि ईरान सरकार एक इस्पात कारखाना स्थापित करे तो क्या भारत सरकार ईरानी तकनीकी कर्मचारियों को अपने इस्पात कारखानों में प्रशिक्षण की सुविधाएं देने को तैयार होगी। हमने ऐसी सुविधाएं देना सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था। अपेक्षित प्रशिक्षण के ब्यौरे अभी तक ईरान सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

Woollen Factory in Rajasthan

1812. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2355 on the 17th September, 1965 and state :

(a) the progress made in regard to the setting up of a Woollen Factory in Bikaner Division of Rajasthan;

(b) when this factory would be completed; and

(c) the total expenditure to be incurred thereon?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) A licence has been issued for setting up of a Woollen factory in the Bikaner Division of Rajasthan.

(b) The factory is likely to be completed in about two years time subject to availability of necessary foreign credit for import of machinery.

(c) The total expenditure is expected to be about Rs. 2,33,60,000

आसाम और आन्ध्र प्रदेश की कोयला खानें

1813. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियम 49 के अन्तर्गत आसाम और आन्ध्र प्रदेश में कोयला खानों को सहायता का लाभ नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को आसाम की कोयला खानों से वहां की कोयला खानों में भी सहायता योजना लागू करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) आसाम और आंध्र प्रदेश की कोयला खानें, जो विपरीत कारकों से बाधित हैं, उनमें सहायता की योजना लागू नहीं की गई है लेकिन इन राज्यों में क्षेप्य भरण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिये सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) : आसाम की कुछ कोयला खानों से विपरीत कारकों के कारण सहायता/कीमत बढ़ाने की व्यक्तिगत प्रार्थनाएं प्राप्त हुई थी। इन पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

औद्योगिक दृढीकरण (कंन्सोलिडेशन)

1814. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा पिछले महीने समाप्त किये गये प्रारम्भिक अध्ययन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि चौथी पंच वर्षीय योजना में उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने की बजाये विद्यमान क्षमता का पूर्ण प्रयोग करके औद्योगिक आधार को और दृढ़ बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विमुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : जी, हां, भारत से औद्योगिक क्षमता का अधिक उपयोग करने के लिए आयात में ढील देने के प्रश्न पर अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा प्रारम्भिक अध्ययन किया गया है।

चैकोस्लोवाकिया को लौह अयस्क का सम्भरण

1815. **श्री हिम्मत सिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया के साथ उस सरकार को लौह अयस्क देने के बारे में एक करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस करार के अंतर्गत चैकोस्लोवाकिया को कितना लौह अयस्क दिया जायेगा ; और

(ग) करार की शर्तें तथा निर्बंधन क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : खनिज और धातु व्यापार निगम लि० ने चैकोस्लोवाकिया को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए जो नवीनतम करार किया है उसके अनुसार मार्च, 1967 को समाप्त होने वाली अवधि में 10 लाख टन से अधिक माल भेजा जायेगा। तय हुए मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक हैं। एक व्यापारी सौदे का इस से अधिक विवरण देना सार्वजनिक हित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

कपड़ा तैयार करने की मशीनों का निर्यात

1816. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा कमाने के लिए कपड़ा तैयार करने की मशीनों का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी बाज़ारों में मांग तथा ऐसी मशीनों के प्रतियोगी मूल्यों के बारे में कोई अनुमान लगाया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : इंजीनियरी की सभी वस्तुएं जिनमें कपड़े की कुछ मशीनें भी शामिल हैं, का यथासम्भव निर्यात पहले से ही किया जा रहा है। सभी प्रकार की इंजीनियरी वस्तुओं के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद व्यापारी शिष्ट मण्डलों, अध्ययन दलों तथा इसके विदेशों में स्थित विदेशी कार्यालयों द्वारा बाज़ारों का सर्वेक्षण कराती है।

जी० टी० तथा दक्षिणी एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए डीजल इंजन

1817. **डा० श्री निवासन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० टी० तथा दक्षिणी एक्सप्रेस गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जब और जैसे मद्रास-दिल्ली मार्ग पर अनुरक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था कर ली जायेगी और माल यातायात की मांग को पूरा कर लेने के बाद पर्याप्त संख्या में डीज़ल रेल इंजन उपलब्ध होने लगेंगे, मद्रास और दिल्ली के बीच वातानुकूल।दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ियों को डीज़ल रेल इंजन से चलाने की योजना को 1966 में क्रियान्वित करने का विचार है। जी० टी० एक्सप्रेस गाड़ी को डीज़ल रेल-इंजन से चलाने के सवाल पर बाद में विचार किया जायेगा बशर्ते यात्री यातायात के लिए डीज़ल रेल इंजन उपलब्ध होने लगें।

Collision of Engine in Varanasi-Mughal Sarai Yard

1818. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that loss estimated at lakhs of rupees has been sustained recently due to the collision of an electric engine with two steam engines in Varanasi-Mughal Sarai Yard; and

(b) if so, the cause of the said collision?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The accident occurred on 12-11-65 in Mughal Sarai Yard. In this accident the electric engine sustained slight damage estimated at approximately Rs. 2,000.

(b) The accident was due to failure of the railway staff.

Copper Factory at Rakha

1819. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a copper factory is to be established at Rakha near Tatanagar with Russian assistance;

(b) if so, the details of the assistance to be given by Russia; and

(c) the quantity of copper likely to be produced?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) The question of setting up a copper smelting and refining plant based on the Rakha copper deposits with assistance from the U. S. S. R. is under active consideration.

(b) Experts from the U. S. S. R. have recently completed a fact finding mission and the nature and the extent of the assistance required is being assessed.

(c) The capacity of the proposed smelter will depend on the results of the detailed exploration which is in progress.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(एक) नागा विद्रोहीयों द्वारा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की सवारी गाडी पर गोली चलाये जाने के समाचार

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I call the attention of the Railway Minister. I had given a notice in the name of the Defence minister to the following matter of urgent public importance and requeast that he makes a statement thereon.

"Reported firing by Naga Hostiles on 27 up Passenger Train of North East Frontier Railway on 29th November, 1965 resulting in death of three persons and injury to light"

श्री दाजी (इंदोर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

यह सूचना प्रतिरक्षा मंत्री को दी गई थी परन्तु इसे रेलवे मंत्रालय में भेज दिया गया है। प्रश्न यह नहीं है कि रेलवे की कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई है। यह प्रश्न नागा विद्रोहियों द्वारा चलाई गई गोली से सम्बन्ध रखता है और इसलिये प्रतिरक्षा के बारे में है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैंने प्रार्थना की कि यदि प्रधान मंत्री महोदय अथवा गृह-कार्य मंत्री में से कोई यहां उपस्थित हो तो अच्छा हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रतिरक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह ऐसे प्रश्नों के उत्तर दें जो उनसे सम्बन्धित हो।

The Minister of State in the Ministry of Railway (Dr. Ram Subhag Singh) : At 15-20 hours on 29-11-1965, while 27 up passenger train was running between Daldali and Dhansiri stations on Lumbding-Mariani Section of North East Frontier Railway, the train was fired upon by Naga Hostiles near the UP Distant Signal of Dhansiri station. As a result of this, 3 coaches were afiected by bullet shots and 3 persons (1 Travelling Ticket Examiner, 1 Rakshak of the Special Emergency Force of the Railway Protection Force and a lady passenger aged about 60 years) died on the spot. Two persons received serious injuries and 5 simple injuries.

The train was stopped and first aid was rendered to the injured persons by 2 military doctors who were on the train. The injured persons were later on admitted in the Railway Hospital Lumding and are progressing.

According to the latest report, the snipers opened fire from approximately 100 yards from thick jungle. The whole area is covered with dense vegetation. The escort party in the train fired several rounds with bren guns, rifles and sten gun. A search party was immediately sent out from Dhansiri to comb the entire area, but with no avail. Investigations are proceeding.

The train was being escorted not only by an armed section of the Special Emergency Force of the Railway Protection Force, but also by a military guard. The entire area is under the operational control of the Army.

Shri Madhu Limaye : It has been said in the report I have received that the Naga Hostiles opened rifle and rocket fire on the train from both sides of the track. May I know whether the attention of the Government has been drawn towards this use of rockets? May I also know what concrete steps Government propose to take to defend the territory of our country?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मेरी जानकारी यह है कि अभी तक इस समाचार की पुष्टि नहीं की गई है कि राकेट का प्रयोग हुआ है।

Shri Madhu Limaye : What is the basis of the Hon. Ministers reply?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इंसपेक्टर जनरल तथा दूसरे लोग जांच कर रहे हैं और अभी उन से सूचना प्राप्त करनी है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know whether the trains in those areas would be run under the supervision of the military personnel so that these accidents may not take place there.

Dr. Ram Subhagh Singh : This area is in Assam and both military and civilian passengers travel by the trains here. The trains would be run even in spite of the hurdles put forth by the people.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी क्या इन नागा विद्रोहियों की विद्रोहात्मक कार्यवाहियां बढ़ रही हैं ? क्या इन लोगों को स्पष्ट रूप से यह बताया जायेगा कि जब तक वे यह आश्वासन नहीं देते कि वे तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां नहीं करेंगे तब तक प्रधान मंत्री अथवा सरकार उनसे कोई बातचीत नहीं करेगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : उन्होंने पहले आश्वाहन दिया था परन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो समझौते की शर्तों से सहमत नहीं है। कुछ लोगों ने इसकी अवहेलना की है। मैंने यह स्वीकार किया है कि मैं उनसे मिलूंगा और मेरा विचार है कि मुझे उनसे मिलना चाहिये। परन्तु जहां तक सरकार के लिये सम्भव है, इस प्रकार की विरोधी कार्यवाहियां रोकनी पड़ेंगी।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : क्योंकि ये लोग बार बार गोली चलाते हैं इसलिये क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि रेलवे लाइन की दोनों ओर एक मील तक जंगल साफ कर दिये जायें और वहां लोग बसाये जायें। क्या रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों तथा ड्राइवरों के लिये लोहे के ऐसे डिब्बों का प्रबन्ध किया जायेगा जिनपर गोली मार न कर सके।

डा० राम सुभग सिंह : यह एक अच्छा सुझाव है और कुछ क्षेत्रों में इसपर अमल भी किया जा चुका है। परन्तु जैसाकि मैंने पहले भी कहा यह लाईन आसाम में से होकर निकलती है। आसाम सरकार ने कुछ क्षेत्रों में से जंगल साफ कराये हैं परन्तु कुछ भागों में अभी घने जंगल बाकी हैं। हम नागालैण्ड तथा आसाम सरकार का ध्यान इस ओर दिलायगे। परन्तु वहां दूसरे क्षेत्रों में भी कठिनाई है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस बात के समाचार आये हैं कि इन नागा विद्रोहियों को पूर्वी पाकिस्तान में चीनी शिक्षकों से प्रशिक्षण मिला है ? यदि हां, तो युद्ध-विराम का इतना घोर उल्लंघन होने के बावजूद भी आसाम के मुख्य मंत्री ब्रिटेन के एक प्रचारक जो श्री फिजो के मित्र हैं तथा श्री जयप्रकाश नारायण के बीच इस विषय पर बातचीत का क्या परिणाम निकलेगा ?

श्री लाल बहादूर शास्त्री : श्री कामत ने जिस समाचार की ओर निर्देश किया है, वह जहां तक हमारी जानकारी है, ठीक है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि चीनी भी प्रशिक्षण दे रहे हैं परन्तु पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में हमारी भी यही जानकारी है। शान्ति मिशन एक प्रकार का समझौता करने का प्रयत्न कर रहा है जिससे नागा विद्रोही शान्तिपूर्वक ढंग से कार्य करें और यदि सम्भव हो तो सरकार को सहयोग दें। ये प्रयत्न जारी रहेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या डा० शिलू आओ भी इससे सहमत हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : डा० शिलू आओ भी इससे पूरी तरह सहमत हैं। जब कभी भी सीमावधि बढ़ाई गई है, हमने सदैव ही डा० शिलू आओ से सलाह की है और उन्होंने यह अनुभव किया है कि हमें अब भी वहां शान्ति बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिये और उन्हें इस बारे में कुछ आशा है। कम से कम जब पिछली बार वह यहां थे तो उन्होंने कहा था कि इस बातचीत में सफलता प्राप्त होगी, परन्तु मैं कुछ नहीं कह सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हाल ही की घटनाओं से हमें अवश्य ही कुछ चिन्ता हुई है।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि नागा विद्रोहियों द्वारा कभी कभी इस प्रकार गोली चलाये जाने से, जो वे केवल राज्य की परिवहन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिये चलाते हैं, रात को चलने वाली गाड़ियां बन्द नहीं की जायेंगी ?

डा० राम सुभग सिंह : हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि हम इस दुर्घटना से निरुत्साहित नहीं होंगे। इस लाइन की देखरेख के लिये हमने सर्चलाइट वाली गाड़ियां चलाई हैं और हम अपने गश्ती दलों को विशेष आपातकालीन दस्तों तथा सैनिकों से सुदृढ़ करेंगे ताकि वहां इस प्रकार की कोई घटना न हो। गाड़ियां ठीक प्रकार चलती रहेंगी।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : ऐसा समाचार है कि गोली दिन में चलाई गई। क्या मैं जान सकता हूं कि स्टेशन के क्षेत्र से जंगल कितनी दूर है और सरकार को जंगल में से नागाओं को भगाने में कितनी देर लगेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैंने कहा यह दुर्घटना सिगनल के पास हुई और नागा लोग लाइन से लगभग 100 गज़ की दूरी पर थे। जैसाकि मैंने पहले भी कहा, हम नागालैण्ड तथा आसाम सरकार का ध्यान इस ओर दिलायेंगे कि वे जंगल साफ करें। जंगल 100 मील के लगभग है और इसे साफ करने में समय लगेगा। हम इस बारे में प्रयत्न करेंगे।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने सभा को गलत सूचना दी है कि लाइन नागालैण्ड से हो कर निकलती है। उन्हें यह साफ बताना चाहिये कि नागा विद्रोही हमारे ही क्षेत्र में हमारी गाड़ियों पर आक्रमण कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि उस क्षेत्र में क्या दूसरी रेलवे लाइन भी बनाई जायेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : लाइन की रक्षा करने की आसाम सरकार की भारत सरकार से अधिक जिम्मेवारी है। उनका यह कर्त्तव्य है कि वह इस लाइन की रक्षा करे और फिर दूसरी लाइन बनाने के लिये कहे। फिर भी हम दूसरी लाइन बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री उ० मु० त्रिवेदी (मंदसौर) : क्या सरकार ने नागा विद्रोहियों के प्रति दृढ़ रवैया अपनाने और उन्हें बिल्कुल समाप्त करने का निर्णय किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नागालैण्ड भारत का भाग है और नागालैण्ड के निवासी भारत के नागरिक हैं। हम वार्ता जारी रखेंगे परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो हम स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला करेंगे।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : क्या सरकार बातचीत शीघ्र करेगी ताकि भारत के उस भाग में स्थायी रूप से शान्ति स्थापित की जा सके ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे आशा है कि बातचीत शीघ्र की जायेगी।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलसेर) : मैं जान सकता हूं कि क्या गाड़ियों पर गश्ती दस्ते नहीं रहते हैं ? क्या भविष्य में गाड़ियों पर यह प्रबन्ध किया जायेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : गाड़ियों पर गश्ती दस्ते रहते हैं और इस गाड़ी पर भी यह प्रबन्ध था।

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : क्या यह कहना सही है कि नागा विद्रोही आसाम राज्य में घुस आते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : वे आसाम राज्य में आये और गोली चलाई।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : May I know whether Government has enquired into the make of the bullets used by the Naga Hostiles?

Shri Lal Bahadur Shastri : It could be known only after the enquiry.

Shri Ram Harakh Yadav (Azamgarh) : May I know whether the Government is satisfied with the patrolling arrangements or whether they propose to strengthen the patrol?

Dr. Ram Subhag Singh : We are taking steps to strengthen the patrol.

Shri Bade (Khargone) : On one hand the Nagas are asking for peace talks and on the other they are causing disturbance on the borders with the help of Pakistan. In view of these circumstances may I know whether Government propose to do away with the Peace Talks and adopt some other measures?

Shri Lal Bahadur Shastri : The talks have yet to start. Every aspect of the situation would be discussed therein. Government is taking all these steps according to the suggestions of the Chief Minister of Nagaland.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारें में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक और ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार की है जो राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा भारी तोपों तथा टैंकों के साथ सेना के जमाव के बारे में है। या तो उत्तर सभा-पटल पर रख दिया जा सकता है और यदि सदस्यों की इच्छा इस विषय पर चर्चा करने की हो तो इसपर पौने पांच बजे चर्चा होगी।

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : We have submitted call attention notices on this question today morning. We should be allowed an opportunity to put questions.

Mr. Speaker : If some hon. Members have given notice today, they would be given opportunity to ask questions.

श्री दाजी (इन्दौर) : यदि इस प्रश्न पर 3 बजे चर्चा की जाये तो हम सब सदस्यों के लिये सुविधाजनक होगा।

एक माननीय सदस्य : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य भी तो है।

अध्यक्ष महोदय : तब इस विषय पर चर्चा ढाई बजे होगी।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO THE BILL

सचिव : मैं चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1955 जिसपर 26 नवम्बर, 1965 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं।

अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बारे में याचिका

PETITION RE : ADVOCATES ACT, 1961

श्री दाजी (इन्दौर) : मैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के विषय में श्री पुरुषोत्तम नामजोशी और अन्य याचिकदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश करता हूं।

श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस याचिका के बारे में सूचना शीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की जांच करूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बोकारो स्टील लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार की इस पर समीक्षा

इस्पात तथा खान मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मया) : मैं श्री संजीव रेड्डी की ओर से निम्न लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत बोकारो स्टील लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुई अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5293/65।]**

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्रियाकलापों सम्बधी प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1964-65 के क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5294/65।]**

सीमेंट निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा समीक्षा

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भारत का सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5295/65।]**

अध्यक्ष महोदय : मैं अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वे सावधानी बरतें। जब यह इस प्रकार चिपकाया जाता है तो मुझे पता नहीं लगता कि क्या इसके नीचे भी कोई पत्र है। इसलिये मुझ से यह रह गया। इसलिये सावधानी बरती जाये।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार 6 दिसम्बर, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) देश में खाद्य स्थिति तथा अनावृष्टि की स्थिति संबंधी प्रस्तावों पर आगे विचार ।

(2) दिल्ली प्रशासन विधेयक, 1965
(संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे विचार)

(3) संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1965
(विचार तथा पारित करना)

(4) अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक, 1965
(विचार तथा पारित करना)

(5) सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1965
(विचार तथा पारित करना)

(6) गोवा, दमण तथा दीव (समाविष्ट कर्मचारी) विधेयक, 1965
(विचार तथा पारित करना)

(7) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, 1965
(विचार तथा पारित करना)

(8) रेलवे अभिसमय समिति, 1965, के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प पर चर्चा ।

(9) बीज विधेयक, 1964, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में ।
(आगे विचार तथा प्रवर समिति को सौंपना)

(10) विदेश विवाह विधेयक, 1963
(संयुक्त समिति को सौंपना)

(11) विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक, 1965
(विचार तथा पारित करना)

(12) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक, 1965, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में ।
(विचार तथा पारित करना)

(13) मंत्रियों के निवास-स्थान (संशोधन) नियम 1965, में रुपभेद के लिये प्रस्ताव पर चर्चा जिसकी सूचना श्री हरि विष्णु कामत द्वारा दी गई है ।

(14) शुक्रवार, 10 दिसंबर, 1965 को प्रश्नों के निबटाये जाने के पश्चात श्री मधु लिमये तथा अन्य सदस्यों द्वारा देश भर में कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने और बन्द किये जाने की सम्भावना एवं इंजीनियरी, धातु तथा अन्य उद्योगों में भारी पैमाने पर छंटनी तथा जबरी छुट्टी के बारे में नियम, 193 के अधीन उठाई जाने वाली चर्चा ।

(15) दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक, 1965
वचार तथा पारित करना)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी सभा को आश्वासन दिया था कि मैं इस सम्बन्ध में जानकारी दिलाऊंगा। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह सूचना प्राप्त करें।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह प्रभाव उत्पन्न हुआ था कि उड़ीसा विधान मण्डल की अवधि बढ़ाई जायेगी ताकि उड़ीसा के चुनाव 1967 के सामान्य निर्वाचन के साथ ही हों। क्या यह बात ठीक है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अभी नहीं पूछा जा सकता है। यह सामान्य चर्चा नहीं है।

श्री दाजी (इन्दौर) : सरकार हमें बताये कि कौन कौन सा कार्य प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह वस्त्र मिलों के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य दें। सरकार ने सरकारी उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जिन पर बोनस अधिनियम लागू नहीं होता है, बोनस देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है या करने वाली है। क्या माननीय श्रम मंत्री इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करेंगे।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि हम दो दिन अधिक समय तक बैठ कर राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण के सम्बन्ध में चर्चा करें।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Speaker, Sir, it is not proper that not even single discussion has been held throughout the session regarding Pakistani aggression in Punjab, Rajasthan and Kashmir. The discussion on this subject must be held even if the session is extended by a day.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मुझे समझा नहीं आता कि तीन दिनों के अन्दर उन सभी विधेयकों पर चर्चा कैसे हो सकती है ? मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह कार्य की योजना सप्ताह के लिये बनाने की बजाय बहुत पहले बतायें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह इस सत्र का अन्तिम शुक्रवार है। इस लिये आप से निवेदन करता हूं कि हमें चर्चा उठाने की अनुमति दी जाये। समाचार भाग 2 में दिया गया बहुत सा कार्य अगले अधिवेशन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस लिए मेरा निवेदन यह है कि अगले अधिवेशन के लिये सभा के कार्य की उचित योजना बनाई जाये।

भाषा में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये। "एक विवरण (जिसे व्यापक नहीं समझा जाना चाहिये)" के स्थान पर "अस्थाई समझा जाये" शब्द होने चाहियें। इसके अतिरिक्त अगले अधिवेशन की तिथि सम्बन्धी भी जानकारी दी जायें।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : माननीय शिक्षा मंत्री ने पिछले अधिवेशन में आश्वासन दिया था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक इस अधिवेशन में प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpore) : Pakistani aggression on western borders and Chinese aggression on eastern borders should be discussed.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The Hon. Minister for Parliamentary Affairs should tell whether he is bringing forward Beedies Bill in this session or next session or does he not want to bring this bill under the pressure of certain capitalists?

Shri Gulshan (Bathinda) : There is a regular firing going on on the Borders of Punjab, Rajasthan and Jammu and Kashmir. Discussion may be he d in this regard.

Shri H. C. Soy (Singhbhum) : The question of abolition of contract labour may be discussed.

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh) : I would like to know the position with regard to Beedies Bill.

श्री सत्य नारायण सिंह : अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इसका बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय विधेयक से कुछ सम्बन्ध है।

ठेके पर श्रमिकों सम्बन्धी विधेयक के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। मैं इस बात का पूरा प्रयत्न करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य सभा पटल पर रखे जायें।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इतना कार्य इतने थोड़े समय में कैसे हो सकेगा। कुछ विधेयकों पर केवल आधा घंटा अथवा एक घंटा लगेगा। इन सभी बातों पर ध्यान रखा गया है। यदि कार्य मंत्रणा समिति किसी मद के लिये समय बढ़ाती है तो कुछ विधेयकों पर चर्चा नहीं होगी। मुझे आशा है कि सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये बोनस सम्बन्धी कोई वक्तव्य दिया जायेगा। उड़ीसा के निर्वाचन सम्बन्धी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं अगले अधिवेशन के सम्बन्ध में ठीक ठीक कुछ नहीं कह सकता। सत्र फरवरी के आरम्भ में होगा।

जो सवाल श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने उठाया है उस पर इस अधिवेशन में बहस नहीं हो सकेगा।

श्री नाथ पाई : जहां तक सत्र की तिथि का सम्बन्ध है लोक-सभा के अध्यक्ष से परामर्श किया जाना चाहिये।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : तिथि का अन्तिम निर्णय लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-सभा के सभापति के परामर्श से किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : तिथि के लिए सुझाव सरकार की ओर से आता है। यदि मैं सहमत हो जाऊं तभी इसे अन्तिम तिथि माना जाता है। मुझे इस सम्बन्ध में कोई शिकायत है।

आपराधिक विधि संशोधन (संशोधन) विधेयक
CRIMINAL LAW AMENDMENT (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री ह।थी): श्रीमान्, मैं श्री नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दंड आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री हाथी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन विधेयक)
INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

श्री मनुभाई शाह : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सीमेंट से नियंत्रण हटाने के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : DECONTROL OF CEMENT

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सीमेंट से नियंत्रण हटाने सम्बन्धी उद्योग मंत्री के वक्तव्य पर, जो 18 नवम्बर, 1965 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्रीमान्, न केवल संसद सदस्य, बल्कि इस देश का कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं है कि इस समय सीमेंट से नियंत्रण हटाया जाना आवश्यक है।

जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, यह सरकार नियंत्रण की समर्थक नहीं है। मैं इन विचारों से सहमत हूं। सत्तारुढ़ दल के सदस्यों ने भी यह डर व्यक्त किया है कि सीमेंट जमा किया जायेगा और दाम बढ़ेंगे। यह डर वास्तविक है क्योंकि सब कुछ उद्योगपतियों के हाथ में छोड़ दिया गया है।

उद्योगपति अपने अंशधारियों को लाभांश भी नहीं दे सके हैं। यदि सीमेंट उद्योगपतियों की दशा शोचनीय है तो सरकार को कुछ कारखानों को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। सीमेंट उद्योग विकासशील उद्योग है। यह उद्योग अपने अंशधारियों को लाभांश नहीं देना चाहते हैं परन्तु वह सरकार के पास आते हैं और मूल्यों में वृद्धि की मांग करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव के कारण ही सम्भवतः सीमेंट से नियंत्रण हटाया गया है। सम्भवतः यह काम इसलिए किया गया है कि आने वाले चुनाव के लिए चन्दे वसूल किये जा सकें।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मंत्री महोदय ने कहा है कि सीमेंट के वितरण के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीकृत प्रबन्ध करने का विचार है, ताकि वितरण प्रणाली बनाने में संसद सदस्य भी अपना योग दे सकें। सदस्यों को उसमें भाग नहीं लेना चाहिये, क्योंकि लोग सहायता लेने के लिए उनके पास पहुचेंगे। इसमें राजकीय व्यापार निगम के कुछ प्रतिनिधि भी होने चाहिये।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस सभा को विश्वास दें कि सीमेंट का नियंत्रण हटाना अनिवार्य है।

यदि देश की आवश्यकतायें उत्पादन से अधिक है तो नियंत्रण हटाने के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

देश में सीमेंट का उपभोग कितना है? क्या विनियंत्रण के पश्चात् यह आवश्यकता पूरी हो जायेगी? मैंने कानपुर में देखा है कि बड़े बड़े व्यापारी मन्दिर बनाने के नाम पर सीमेंट प्राप्त करते है। मंत्री महोदय सभा को यह विश्वास दिलायें कि सीमेंट के विनियंत्रण के बाद यदि बड़े व्यापारी, जो एक न एक

[श्री स० मो० बनर्जी]

बहाने से सीमेंट प्राप्त कर लेते है, ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते तथा चौथी योजना के निर्माण के काम में लूट खसूट और बेईमानी करते हैं, तो सरकार सीमेंट पर नियंत्रण पुनः लागू करने में कोई हिचकचाहट नहीं करेगी ।

मैं नहीं चाहता कि सरकार नियंत्रण और विनियंत्रण के मामले में अनिश्चितता रखे । मेरा निवेदन यह भी है कि सीमेंट के मूल्य में वृद्धि अनुचित है । सीमेंट उद्योग के कार्य-संचालन के बारे में जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये ।

इस बात का डर है कि सीमेंट की जमाखोरी शुरु हो जायेगी । इस बात को चेतावनी कुछ अधिकारियों ने दी है । मुझे खेद है कि मुझे इस मामले में मंत्री महोदय की आलोचना करनी पड़ी है क्योंकि इससे कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ है और देश में इस सम्बन्ध में गम्भीर चर्चा चल रही है ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह जनसाधारण की आशंकायें दूर करें जिन्हें अपने काम के लिये सीमेंट की आवश्यकता है । उन लोगों को आश्वासन दिया जाये कि उद्योगपतियों को विनियंत्रण का लाभ नहीं उठाने दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

"कि यह सभा सीमेंट से नियन्त्रण हटाने सम्बन्धी उद्योग मंत्री के वक्तव्य पर, जो 18 नवम्बर, 1965 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : उद्योग मंत्री द्वारा सीमेंट पर से नियन्त्रण हटाये जाने सम्बन्धी नीति की घोषणा का मैं समर्थन करता हूं । हमारे देश में आजकल सीमेंट की बहुत मांग है । सरकार ने चौथी योजना के लिये इसका उत्पादन लक्ष्य 2 करोड़ 50 लाख टन निर्धारित किया है । इस लक्ष्य और वर्तमान उत्पादन क्षमता में 74 लाख टन का अन्तर है । हमारी सरकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति है । इसलिये हमें सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिये । व्यक्तिगत रूप से मैं सरकारी क्षेत्र का समर्थक हूं। इस के कार्यसंचालन में कुछ त्रुटियां हैं । वे दूर की जानी चाहियें । इस के साथ साथ हमें गैर सरकारी क्षेत्र को भी देश के सभी उद्योगों में उचित स्थान देना है । आजकल हमें विदेशी मुद्रा के बारे में कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । हम सीमेंट का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में और बढा सकते हैं । जब हम ने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को साथ साथ चलाना है तो हमें इस बारे में कोई वाद खड़ा नहीं करना चाहिये । मुख्य बात तो देश में सीमेंट के उत्पादन बढाने की है । श्री स० मो० बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया हैं कि यह नीति पार्टी के लिये धन एकत्रित करने के लिये अपनायी गयी है । मैं इस आरोप को निराधार समझता हूं और कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष वाले देश के पूंजीपतियों से मिलकर अनुचित लाभ उठाते हैं । कांग्रेस पार्टी जो भी करती है सबको विदित होता है ।

सीमेंट पर नियन्त्रण के कारण लोगों को जो कठिनाई होती थी उसका हमें ज्ञान है । मैं जब भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि स्थिति कितनी खराब है । कई बार गैर-कानूनी कार्यवाही भी होती है । इस नियन्त्रण के कारण सीमेंट काले बाज़ार में बिकने लगा है । अब नियन्त्रण के हटने से गरीब लोगों को कुछ राहत मिलेगी । मेरे विचार में सभी दल सरकार के इस निर्णय का स्वागत करेंगे सरकार को सभी वस्तुओं पर से नियंत्रण हटा लेना चाहिये । इससे सरकार की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

सरकार को सीमेंट के मूल्य पर नियन्त्रण रखना चाहिये और देखना चाहिये कि लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार सीमेंट मिलता रहे । सरकार लोगों की समस्याओं को भली प्रकार जानती है । कुछ दिन हुए प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि वह स्वयंम लोगों की कठिनाईयों को समझते हैं ।

माननीय मंत्री ने कह भी दिया है कि नियन्त्रण एक वर्ष के लिये प्रयोग के रूप में हटाया जा रहा है । उस के पश्चात स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा और यदि आवश्यक समझा गया तो सरकार फिर नियंत्रण लागू कर सकती है । लोगों के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

मैं सरकार की नीति का समर्थन करता हूं और इस निर्णय का स्वागत करता हूं

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : सीमेंट पर नियन्त्रण के कारण लोगों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। राजकोट क्षेत्र के किसानों की मुश्किलों को मैं जानता हूं। माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि उनको नियंत्रण के कारण लोगों से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।

मेरे विचार में सीमेंट के अधिक मूल्य का कारण सीमेंट की कमी है। यह एक वास्तविकता है कि जब तक एक वस्तु की कमी रहेगी उसके मूल्य बढते ही जायेंगे। इस लिये समस्या के समाधान के लिये हमें सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। हमारे देश में सीमेंट की प्रतिव्यक्ति खपत बहुत कम ह। यह केवल 18 किलोग्राम है। अन्य देशों की खपत की अपेक्षा यह बहुत कम है। सरकार को सीमेंट के वितरण की व्यवस्था करने तथा मूल्यों पर नियंत्रण करने की अपेक्षा इसके उत्पादन में वृद्धि करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

सरकार की करारोपण की नीति के कारण सीमेंट उद्योग ने कोई प्रगति नहीं की है। इस उद्योग में लगाये गये धन से बहुत कम लाभ होता है। इस के फलस्वरूप इस उद्योग का विस्तार नहीं हुआ है। अब सरकार ने नियन्त्रण हटा कर एक अच्छा कार्य किया है। इस से सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा की जा सकती है और लक्ष्यों की पूर्ति भी हो जायेगी।

सरकार ने बहुत अनुचित मूल्य निर्धारित किये हैं। इससे उद्योग को कोई लाभ नहीं होगा। सीमेंट उद्योग को लक्ष्य प्राप्त करने के लिये आगामी 5 या 6 वर्षों में 150 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। नियन्त्रण हटाये जाने पर सीमेंट उद्योग में लगभग 24 करोड़ रूपये की अतिरिक्त पूंजी लगेगी। सरकार ने उद्योग की सहायता करने की बात कही है परन्तु मूल्य में जो वृद्धि की गई है वह बहुत कम है। सरकार सीमेंट का आधा भाग स्वयं ले लेगी और आधा भाग अन्य उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार ने लोगों के लिये मूल्य अधिक कर दिया है परन्तु अपने लिये कम मूल्य रखा है। यह भेदभाव नहीं होना चाहिये। सरकार को सभी के लिये एक समान मूल्य निर्धारित करने चाहियें।

उद्योग ने जितने मूल्य की मांग की थी उस से बहुत कम दर पर मूल्य निर्धारित किया गया है। इसी लिये मैंने इसे अनुचित मूल्य कहा है।

सरकार ने मूल्य पर से नियंत्रण नहीं हटाया। यह तो केवल सीमेंट की मात्रा से हटाया गया है। अब उपभोक्ता को सीमेंट आसानी से मिल सकेगा। राज्य व्यापार निगम इस बारे में बहुत मुनाफाखोरी करता रहा है। वह बहुत अधिक लाभ प्राप्त करता रहा है। ऐसी आशा है कि भविष्य में लोगों को सीमेंट सुविधा से और ठीक मूल्यों पर मिलेगा। उद्योग वालों ने इस बारे में एक अच्छी योजना तैयार की है और सरकार ने उसका अनुमोदन किया है। अब देश के सभी भागों में ठीक मूल्य पर सीमेंट उपलब्ध हुआ करेगा।

इस योजना के अनुसार अर्ध सरकारी निकायों कृषि से सम्बन्धित आवश्यकताओं, छोटे पैमाने के उद्योगों आदि को नियमित रूप से सीमेंट मिलता रहेगा। मैं सरकार के निन्यन्त्रण हटाने वाले इस निर्णय का स्वागत करता हूं। यह एक ठीक दिशा में कदम है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : सरकार ने नियंत्रण हटाकर ठीक नहीं किया है। इस से बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। सरकार की ओर से सभा में जो वक्तव्य दिया गया था वही वक्तव्य इस उद्योग के प्रधान ने पहल दिया था और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार इस सभा की उपेक्षा करना उचित नहीं है। सरकार को संसद को सब से पहला सूचित करना चाहिये।

अब मैं नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार ने एक सीमेंट निगम बनाया था। उसका क्या हुआ है? सरकार ने राज्य व्यापार निगम से यह काम वापिस क्यों ले लिया है? जिन वस्तुओं की देशमें कमी है उनके वितरण के लिये सरकार को इस निगम को काम में लाना चाहिये। सरकार ने

[श्री हरिश्चन्द्र माथूर]

13 रुपये प्रति टन बढ़ा दिये हैं। इसके क्या कारण हैं ? सरकार को, सीमेंट के मूल्य में वृद्धि नहीं करनी चाहिय। इससे देश के निर्धन वर्गों को मुश्किल होगी और उद्योगपतियों को अधिक लाभ होगा। मैं इस बात को समझ नहीं सका। इस प्रकार की नीति से सरकार एकाधिकार वाली प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रही है। तृतीय योजना में उद्योग ने आवश्यकतानुसार धन लगाया है। इसी प्रकार भविष्य में भी उद्योग धन लगा सकता है। सरकार को इस की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। सरकार उद्योगपतियों को अधिक लाभ देने का अधिकारी बना रही है। इस से सरकार को कोई लाभ नहीं होगा। सरकार की ओर से गर-सरकारी क्षेत्र की सहायता की जा सकती है परन्तु गरीब जनता पर बोझ नहीं डालना चाहिये। मैं आयात तथा निर्यात नियन्त्रक के विभाग से सम्बन्धित दो अध्ययन दलों का प्रधान रहा हूं। और उन दलों ने गर सरकारी क्षेत्र के पक्ष में बहुत सी सिफारिशें की हैं। इस का अर्थ यह नहीं कि गैर-सरकारी क्षेत्र को सभी अधिकार दे दिये जाये।

छोटे उद्योगों की सदैव यह शिकायत रही है कि सरकार भारी उद्योगों को अधिक सहायता देती है। मैं तो कहता हूं कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों के विस्तार में बहुत सहायता दी है जब कि लघु उद्योगों की उपेक्षा की गई है।

सरकार ने बहुत लोगों को नये नये उद्योगों की स्थापना तथा विस्तार के लिये लाइसेंस नहीं दिये और केवल कुछ ही को दिये हैं। इस प्रकार की भेदभाव वाली नीति ठीक नहीं है। सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति का अनुसरण करना चाहिये और चोर दरवाजे से लाइसेंस देने की नीति को छोड़ देना चाहिये।

वितरण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमें उद्योग के आचरण पर बहुत आपत्ति है। वितरण व्यवस्था का काम गैर-सरकारी क्षेत्र पर नहीं छोड़ना चाहिये। खाद्यान्नों के बारे में आप जानते हैं। हमारे देश में इतनी कमी नहीं है जितनी कि बताई जा रही है। यह सब व्यापारियों द्वारा हो रहा है। सीमेंट की नई वितरण व्यवस्था का सभी लोग विरोध करेंगे।

Shri Bade (Khargone) : We are opposed to the system of controls. The hon. Minister wants to give benefit to the big industrialists. I feel like that. These people are already getting huge profits. You want to make the rich richer and the poor poorer. The decontrol of cement is a step towards this direction. It is said that the margin of profit in this industry is very low and on account of this this industry is not expanding. If authorised figures are seen, it would be found the capital formation in this industry is also very low.

One reason for lesser profits is the excessive excise duty. If you reduce this duty the production will increase considerably. This decontrol is only for the consumers. Government should adopt a clearcut policy. There are many other articles which are still under control. There is no use in decontrolling one item. I am afraid that the industry would not behave properly once it is decontrolled. The State Trading Corporation has been making huge profits.

I want to request the Hon. Minister to devise such policy that the agriculturist get it easily and at cheap rates. Government's distribution machinery is very defective. This state of affairs prevails in the distribution of all items viz. sugar, foodgrains. This machinery is on the point of failure. Government must take immediate steps in this direction.

I want that control should be removed but it should not be done under the pressure of industrialists. My party favours decontrol. I feel that distribution should not be defective and excise duty should be reduced. There are some restrictions on the opening of new factories. These restrictions should also be removed.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : श्रीमान्, यदि अन्य देशों से तुलना की जाये तो हमारे देश में बहुत ही कम सीमेंट का उपयोग किया जाता है। जहां हमारे देश में इसका उपयोग केवल 18 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है जबकि स्विट्जरलैंड में 386 किलोग्राम, जर्मनी में 295 किलोग्राम, अमरीका 272 किलोग्राम, जापान में 226 किलोग्राम तथा ब्रिटेन और फ्रांस में 204 किलोग्राम सीमेंट उपयोग किया जाता है। अत: यह नितांत आवश्यक है कि सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि की जाये।

खेद है कि तीसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य से भी 20 लाख मीट्रीक टन कम सीमेंट का उत्पादन हुआ है और इससे बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन परिस्थितियों के फलस्वरूप सरकार ने सीमेंट के मूल्यों तथा वितरण से नियंत्रण हटाने की घोषणा की है। लोगों ने इस घोषणा का स्वागत किया है क्योंकि आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा, नागालैंड तथा उत्तरपूर्व सीमान्त अभिकरण जैसे अलग अलग स्थानों में सीमेंट हमें 10 रुपये से 15 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से मिला करता था और अब सुना है कि विनियंत्रण के पश्चात इसका मूल्य 8.80 रुपये प्रति बोरी निश्चित किया जा रहा है। यदि उन्हें कुछ अधिक खर्च करना पड़ेगा तब भी वे बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि सीमेंट सुलभता से उपलब्ध तो हो सकेगा।

चाहे हम नियंत्रण अथवा विनियंत्रण की नीति अपनायें, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये केवल एक साधन है। हमारा अन्तिम उद्देश्य तो यह है कि सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हो और यह लोगों को आसानी से मिल सके। हमें सीमेंट में चोर बाज़ारी तथा मुनाफाखोरी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। इस प्रश्न में राजनीति को लाने की बजाये हमें ऐसा ढंग अपनाना चाहिये जिससे हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। नियंत्रण होने के कारण इस उद्योग में लोगों ने अधिक पूंजी लगाना लाभकारी नहीं समझा जिससे उत्पादन में कम हो गई है। लोगों को सीमेंट मिलता नहीं है। यह चोर बाज़ार में बिकता है क्योंकि इसे अन्यथा प्राप्त करने के लिये लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूंकि नियन्त्रण से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहे हैं, अत: हमें कोई अन्य ढंग अपनाना चाहिये। जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। उद्योग-पतियों ने सरकार को विश्वास दिलाया है कि यदि सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लिया जायेगा तो वे सीमेंट का अधिक उत्पादन करेंगे। इस सुझाव पर विचार करने के पश्चात सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि सीमेंट पर से एक वर्ष के लिये नियंत्रण हटा दिया जाये। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करना उपभोक्ता उद्योगों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विस्तार करने की नीति के विरुद्ध है। किसी भी नीति को स्थायी रूप से नहीं अपनाया जा सकता है। प्रगतिशील समाज की अवश्यकताओं के अनुरुप नीति में भी अवश्य परिवर्तन किया जाना चाहिये।

तथ्य तो यह है कि यह विनियंत्रण वास्तविक अर्थों में विनियंत्रण नहीं है क्योंकि उत्पादन का 50 प्रतिशत तो सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के लिये तथा शेष 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के लिये निश्चित कर दिया गया है और इसके लिये दरें भी निश्चित कर दी गई हैं। उद्योग ने इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया है कि मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप जो आय में वृद्धि होगी उसे उद्योग में ही पुन: लगा दिया जायगा। अत: यह एक विचित्र ढंग का विनियंत्रण है जिसमें इतने प्रतिबंद लगे हुए हैं। अन्तर केवल इतना पड़ेगा कि वितरण पहले राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता था अब उद्योगवालों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

यह सुझाव दिया गया है कि यदि सीमेंट के उद्योगपतियों को ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाता, उनके अंशों को खरीद लिया जाता तथा मूल्यों में वृद्धि करने की उनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाता तो विनियंत्रण की कोई आवश्यकता ही न पड़ती। परन्तु मेरे विचार में विनियंत्रण करने की तुलना में ब्याज-मुक्त ऋणों पर अधिक खर्चा आयेगा। अब उन्हें संस्था सम्बन्धी ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा।

आशा है कि इस प्रोत्साहन से उद्योग में विस्तार होगा तथा इसके फलस्वरूप सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि होगी। आज देश को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इन परिस्थितियों में हमें

[श्री प्र० चं० बरुआ]

उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये । सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रश्न पर हमें राजनैतिक विवाद खड़े नहीं करने चाहिये । हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों का लाभ उठाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय तथा मंत्रालय को इस साहसपूर्ण कदम उठाने के लिये बधाई देता हूं और मैं विनियंत्रण की नीति का पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य इतना प्रभावपूर्ण नहीं था जिससे यह आशा की जा सके कि संसद एक ऐसे क्रांतिकारी उपाय के लिये अपनी सहमति दे देगी । मंत्री द्वारा दिये गये संक्षिप्त तथा असंतोषजनक वक्तव्य से हमारे मन में यह सन्देह उत्पन्न हो गया है कि संसद् को धीरे धीरे केवल परामर्श देने वाला निकाय बनाया जा रहा है । सरकार ने उद्योगपतियों से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर समझौता कर लिया है परन्तु संसद् से सलाह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी गई है । हमारे देश में नौकरशाही हमेशा शक्तिशाली रही है परन्तु स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात तो यह और भी शक्तिशाली हो गई है । कुछ समझ में नहीं आता है कि किन विचारों से प्रभावित होकर सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने की बात की गई है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि विनियंत्रण का वास्तविक कारण यह है कि भारतीय सीमेंट निगम देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहा है और न ही वह भविष्य में इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकने की स्थिति में है। मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये प्रतिवेदन तथा इस पर की गई सरकार द्वारा समीक्षा में किसी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं किया गया है । इसमें सरकार की सीमेंट के उत्पादन के बारे में उस महत्वाकांक्षापूर्ण योजना का कोई संकेत नहीं दिया गया है जोकि एक समय सरकार के मस्तिष्क में थी ।

मैं नहीं चाहता हूं कि इस मामले में कोई सैद्धान्तिक ढंग अपनाया जाये । इस लिये सरकार ने अब महसूस किया है कि अब केवल मात्र नारे लगाने से सफलता नहीं मिलेगी और सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे । यदि इस मामले पर इस संदर्भ में विचार किया जाये तो इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं करेगा कि यह कार्यवाही किस प्रयोजन से की जा रही है परन्तु सीमेंट के पर्याप्त तथा समुचित वितरण के बारे में अभी तक आशंका बनी हुई है । हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि क्या सीमेंट की इस नई योजना के नियंत्रण के फलस्वरूप जितनी बुराइयां तथा कमियां थी, वे सभी दूर हो जायेंगी जो देश में इस समय विद्यमान हैं । मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से स्पष्ट पता चलता है कि सीमेंट पर नियंत्रण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है । मंत्री महोदय विश्वास दिलायें कि इस प्रकार के विनियंत्रण से कहीं भ्रष्टाचार एक स्थान से हट कर दूसरे स्थान में तो नहीं होने लगेगा ।

दूसरा बात, जो मैं चाहता हूं कि की जाये, वह यह है कि मंत्री महोदय, को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उद्योग को जितना भी मुनाफा हो वह सारी की सारी राशि पुनः उद्योग में ही लगा दी जाये । यदि ऐसा नहीं होगा तो इससे केवल मुठ्ठी भर लोगों को ही लाभ होगा और उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी । अतः पहले की सभा अपनी सहमति प्रकट करे इन सभी बातों के बारे में मंत्री महोदय हमें पूरी तथा सही जानकारी दें कि इन्होंने इन सभी बातों के बारे में अपना समाधान कर लिया है ।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, सीमेंट पर से नियंत्रण का हटाये जाना एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है कि हमारे देश में पूंजी पतियों का कितना प्रभाव है और वे हमारी नीतियों तथा माने हुए सिद्धांतो के विरुद्ध कार्यवाही कराने में कितने शक्तिशाली हैं । यह एक खेदजनक बात है कि हमारी सरकार जोकि आदर्शवादी तथा समाजवादी नीतियों का अनुसरण कर रही है, उनके दबाव तथा चालों में आ गई है ।

मैं माननीय सदस्य, श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा दिये गये तर्कों से पूर्णतया सहमत हूं कि अभाव होने के बावजूद सीमेंट पर से नियत्रण हटाया जा रहा है । इस के परिणामस्वरूप सीमेंट का मूल्य बहुत बढ़

जायेगा और जहां एक ओर पूंजीपति भारी मुनाफा कमायेंगे वहां जनसाधारण के लिये इसका मिलना दुर्लभ हो जायेगा। यह एक विचित्र बात है कि एक ओर तो सरकार सरकारी क्षेत्र को सबल बनाना चाहती है और दूसरी ओर ऐसे कदम उठाये जाते हैं जिस से केवल गैर-सरकारी क्षेत्र को ही लाभ होता है। जब खाद्यान्न पर नियंत्रण तथा राशन व्यवस्था के विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो यह तर्क दिया जाता है कि खाद्यान्नों का अभाव है परन्तु दूसरी ओर सीमेंट की कमी को विनियंत्रण द्वारा पूरा करने की बात कही जा रही है। यही गलती वनस्पति तेल के बारे में की गई थी और स्थिति यह है कि खाद्य तेल बाजार में मिलते ही नहीं हैं और इन पर पूंजीपतियों ने करोड़ों रूपये मुनाफा कमाया है। वही बात अब सीमेंट के बारे में की जा रही है।

चूंकि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढंग को अपनाने का निर्णय किया है अतः गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास के लिये पर्याप्त स्वतंत्रता तथा सहायता दी जानी चाहिये। परन्तु यह स्वतंत्रता इतनी नहीं होनी चाहिये कि इससे उपभोक्ताओं का शोषण हो। अब भी समय है जबकि माननीय मंत्री सम्पूर्ण प्रश्न की पुनः जांच करे और ऐसी कार्यवाही करें जो समाजवाद की हमारी नीति के अनुरूप हो।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा अब किसी अन्य दिन की जायेगी। अब हम अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर चर्चा करेंगे।

अविलम्बनीय-लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—(जारी)

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

(2) राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं के जमाव के समाचार

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Depty Speaker, Sir, I draw the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent Public importance and request him that he make a statement thereon :

"Reported concentration of Pakistan army with heavy artillery and tanks in the Barmer Sector of Rajasthan".

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, युद्ध-विराम के समय राजस्थान सीमा के उस पार गदरा के आसपास पाकिस्तान के 150 वर्ग मील क्षेत्र पर भारत का कब्जा था। पाकिस्तान ने भारतीय राज्यक्षेत्र में मुनाबई पर कब्जा कर रखा था। परन्तु युद्ध-विराम की घोषणा हो जाने के तुरन्त बाद पाकिस्तान ने राजस्थान में घुसपैठ करने के विफल प्रयत्न किये ताकि भारत द्वारा पाकिस्तान तथा पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर के बड़े क्षेत्र पर कब्जा हो जाने के कारण अपनी कटी हुई नाक को छुपाने के लिये इस क्षेत्र में भारतीय राज्यक्षेत्र पर अपना दावा जताने में सफल हो सके। जैसा कि सदस्य जानते हैं कि वह रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहां पर बहुत कम आबादी है, युद्ध-विराम के पश्चात पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ के फलस्वरूप उन्होंने कुछ अलग-अलग चौकियों तथा ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने इस प्रकार हमारी कुछ इक्का-दुक्का ठिकानों पर कब्जा कर लिया, हमारे सैनिक सीमा तक निरंतर गश्त लगाते रहे अर्थात पाकिस्तान द्वारा वास्तव में कब्जे में किये गये कुछ स्थानों के अतिरिक्त शेष समूचे क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण रहा है।

बाड़मेर क्षेत्र के उस पार पाकिस्तान की ओर पाकिस्तान द्वारा काफी सैनिक जमाव का, जिसमें पैदल सेना, टैंको तथा तोपखाने से सुसज्जीत सेना का तैनात किया जाना शामिल है, पता चला है। पाकिस्तान ने हमारे कुछ ठिकानों की ओर अपनी सेना भेजी है। पिछले 48 घंटों में तनोट क्षेत्र में गश्ती टुकड़ियों के बीच थोड़ी मुठ भेड़ है।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि इन गतिविधियों को आरम्भ करने के पीछे पाकिस्तान के इरादे क्या हैं। सम्भव है कि चूंकि जनरल मुरम्बिओ शीघ्र ही इस देश में पहुंच रहे हैं, इस लिये पाकिस्तान हमारे क्षेत्रों में घुसने का प्रयत्न कर रहा है। वह शायद हमारे गश्त लगाने वाले सैनिकों को सीमा तक जाने से रोकने का प्रयत्न कर रहा है, ताकि वह अधिक क्षेत्र पर अपने कब्जे का दावा कर सके तथा सैनिकों की वापसी सम्बन्धी बातचीत में सौदाबाज़ी करने के लिये अधिक अच्छी स्थिति में हो सके। यह भी सम्भव है कि वह पाकिस्तान प्रेसीडेंट तथा हमारे प्रधान मंत्री के बीच होने वाली मुलाकात तक अपना आधार बना रहा हो।

कुछ भी हो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान को भूमि हथियाने नहीं दी जायेगी जिसको हथियाने का वह प्रयत्न कर रहा है। हमें पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे अतिक्रमणों तथा आक्रमणों का ऐसा जबाब देना होगा जो सैनिक दृष्टिकोण से उचित हो। पाकिस्तान ने धोखे से जिस राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है उसे मुक्त करने के लिये हमारी सेनाओं के मार्ग में युद्ध-विराम समझौता बाधक नहीं हो सकता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the stringent action proposed to be taken to see that Pakistan dose not succeed in its bad intentions of grabbing our territory.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : युद्ध-विराम की घोषणा होने के तुरन्त बाद पाकिस्तान ने हमारे 22 से 23 स्थानों पर कब्जा कर लिया था। पिछले कुछ सप्ताहों में उनको 9 या 10 स्थानों से निकाल दिया गया है। वर्तमान स्थिति के बारे में मैंने अपने वक्तव्य में बता दिया है और यह भी बता दिया है कि हम उन से कैसा व्यवहार करना चाहते हैं।

Shri Bade (Khargone) : Have all these things been brought to the notice of the U.N. Observers.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां। यह सभी जानकारी संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के पास है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या इन सब बातों के बारे में रूसी सरकार को अवगत कराया गया है और क्या अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान द्वारा इस युद्ध में नष्ट हो गये हथियारों के स्थान पर पाकिस्तान का अन्य हथियार अथवा नये हथियार न देने के लिये मान लिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जितनी हमें जानकारी है उसके बारे में मैंने विवरण दे दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : नवीनतम जानकारी क्या है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक स्वाभाविक बात है कि हम अपने मित्र देशों को नयी घटनाओं के बारे में बताते रहते हैं।

प्रश्न के पिछले भाग के बारे में मेरा विचार नहीं है कि अमरीकी सरकार इस प्रकार की तुरन्त कोई सहायता देगी।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे इस दावे में कहां तक सच्चाई है कि उसने हमारे लगभग 2,000 से 2,500 वर्ग मील राज्यक्षेत्र पर कब्ज़ा कर रखा है और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ने के लिये हमारी सेनाओं द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक पाकिस्तानी दावे का सम्बन्ध है, यह हवाई कल्पना है और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जैसाकि मैंने पहले बताया है कि युद्ध-विराम के समय उनका केवल मुनाबाओ तक कब्जा था। हम इस स्थिति को तो मानते हैं परन्तु इस के अतिरिक्त हम एक इंच राज्यक्षेत्र पर भी उनका कब्जा मानने के लिये तैयार नहीं है। फिर भी वे उस क्षेत्र में घुस आये हैं और हम उनको वहां से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक उनकी तैयारी का सम्बन्ध है, मेरे विचार में हम भी तैयार हैं। परन्तु हम युद्ध-विराम का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। हम समझौते का सम्मान करना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye (M onghyr) : The Minister of Defence stated that immediately after the announcement of cease fire, Pakistani forces intruded into our territory and occupied a number of our posts, may I know whether our posts were not being guarded by our forces at that time or due to our carelessness they occupied them or seven sarpanchas of gram panchayat of those posts had left for Pakistan of their own accord or had been kidnapped and the action being taken to get the remaining 12 to 13 posts vacated?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक 13 स्थानों के बारे में कार्यवाही करने का संबंध है मैं यह नहीं बतला सकता कि हमें क्या करना है, हम उसे कब तथा कैसे कर सकते हैं यह संबंधित अधिकारियों पर निर्भर करेगा।

Shri Madhu Limaye : I wanted to ask whether they would be turned out or not before the agreement to withdraw the forces.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने नीति का आशय बता दिया है अर्थात् हमने उनके दावे को स्वीकार नहीं किया है। उस मामले में हम अपनी नीति पर चलेंगे।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, the question of announcement of cease fire and the enforcement of the same is very vital for the country. According to the information available to me the Rajasthan Chief Minister had recalled them from the border and consequently these posts went into Pakistani hands.

Shri Vishwanath Pandey : Pakistan has been concentrating its forces on the Rajasthan Border, as has just been stated by the Hon. Minister. In the Barmer area there is acute scarcity of water and the communications are not good. So I want to know what our Government is doing to remove these difficulties keeping in view the concentration of Pakistani forces on the other side.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में जो उपाय किये जा रहे हैं मैं उन्हें नहीं बता सकता। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण वहां पर पानी तथा संचार की कठिनाइयां होना स्वाभाविक है। हमें इनका सामना करना होगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : सरकार की भारी लापरवाही पर कुछ न कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन प्रादेशिक सेना की पांच बड़ी टुकड़ियों को हटा लिया गया। चूंकि मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि वहां पर पाकिस्तान अपनी सेना जमा करता जा रहा है और ऐसा किसी विशष उद्देश्य से ही किया जा रहा है। उन्हें पाकिस्तानी हमले के बारे में सतर्क रहना चाहिये। और इस दृष्टि से इस स्थिति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य के सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री दाजी : इस समाचार से ऐसा प्रतीत होता है कि यह जमाव कोई छुटपुट सीमा उल्लंघन की चाल नहीं है अपितु यह राजस्थानी रेगिस्तान पर बड़े पैमाने पर हमला करने की चाल है। यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस बारे में सतर्क है और क्या वह इसका अच्छी तरह से मुकाबला करेगी?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक सबल सीमा उल्लंघन का मामला है। हम उनकी हरकतों को जानते हैं और उनका सामना कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसा कि मंत्री जी ने कहा है पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त किये गये जनरल के आने से पहले अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। तो क्या हम पाकिस्तान के वास्तविक दावेका खण्डन करने अथवा संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों शिकायत भेजने पर निर्भर कर रहे हैं या पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ने की अपनी शक्ति पर निर्भर कर रहे हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्हें वापस खदेड़ने की अपनी शक्ति पर।

Shri Prakash Vir Shashtri : The Government has not shown the same preparedness in the Rajasthan area as they have shown in Punjab and Kashmir. Also the border area there was not got vacated from the civilian population even on the suggestion of army authorities. I want to know from the hon. Minister as to how many posts have been taken back and how many are still in Pakistan's possession?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यही कुछ कह रहा हूं। 13 स्थान उनके कब्जे में हैं और वे उन्हें एक दूसरे से ज़ोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम होने नहीं दे रहे हैं। इसीलिये हमारे गश्ती दल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर जा रहे हैं। वे जहां पर थे वहीं पर है और उन्होंने किसी अन्य स्थान पर कब्जा नहीं किया है। काश्मीर तथा पाकिस्तान में हुई घटनाओं को देखते हुए अन्य क्षेत्रों में अधिक सावधानी बरती जानी चाहिये थी। परन्तु परिस्थिति ऐसी है कि हम प्रत्येक चप्पे की चौकसाई नहीं कर सकते। कुछ घटनाएं हुई हैं और हमने उनसे सबक सीखा है।

(3) भारत और पाकिस्तान के बीच माल की समस्या को समाप्त करने की ब्रिटेन की योजना को भारत द्वारा स्वीकार किये जाने के समाचार

श्री दाजी : मैं परिवहन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :-

"भारत तथा पाकिस्तान के बीच माल समस्या को समाप्त करने की ब्रिटेन की योजना की भारत द्वारा कथित स्वीकृति।"

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन की ऐसी कोई योजना नहीं थी, अत: उसे स्वीकार किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन शब्दों के साथ मैं विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5292/65।]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों संबधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

पिंचहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पिचहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 1 दिसंबर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा के समक्ष है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Unfortunately I had gone out side with a sub-Committee of the Public Accounts Committee and I could not present my case before the committee. I therefore submit that the Bill regarding abrogation of Article 370 of the Constitution should be discussed in the House, as this has been the tradition here.

My second Bill is regarding the substitution of the word "Bharat" for the words "India, that is Bharat" mentioned in our Constitution. When we are Indianising all the words, why not this one too. The word "India" is no more necessary as sufficient time has passed since we achieved Independence. My submission is that this Bill should also be allowed to be introduced in the House in the following session. I hope the House will respect my sentiments.

श्री हेम राज : जहां तक माननीय सदस्य के विधेयक का संबंध है उस पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन में दिये गये सिद्धांतों का दृष्टि से विचार किया गया था और यह समझा गया कि चूंकि इस मामले पर संविधान सभा द्वारा सिस्तार से विचार किया गया था और उसके बाद कोई ऐसी नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिससे कि यह विधेयक पेश करना न्यायोचित हो इसलिये समिति ने यह निर्णय किया कि इस विधेयक को पेश करने की अनुमति न दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : समिति ने श्री प्रकाशवीर के इस विधेयक को कि संविधान से "इंडिया दैट इज" शब्द निकाल दिये जायें पेश किये जाने की सिफारिश नहीं की है। समिति इस पर पुर्न-विचार करे, इस आशय से माननीय सदस्य ने यह संशोधन पेश किया है। मैं इसे अब मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये, अर्थात्

'इस रूप भेद के साथ कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1965 (अनु-च्छेद 1 अदि का संशोधन) समिति को उक्त विधेयक के बारे में अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिये वापिस भेज दिया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ। /*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 15; विपक्ष में 73/Ayes 15; Noes 73

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The motion was Negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पिचहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो 1 दिसम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

भारतीय सशस्त्र सेना कार्मिक (अनिवार्य बीमा) विधेयक

INDIAN ARMED FORCES PERSONNEL (COMPULSORY INSURANCE) BILL

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : I beg to move for leave to introduce a bill to provide for the compulsory insurance of the Armed forces personnel.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र सेना के कार्मिकों के लिये अनिवार्य बीमे का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The motion was adopted.*

Shri M. L. Dwivedi : I introduce the Bill.

हिंदू विवाह (संशोधन) विधेयक के बारे में

RE : HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा के नाम में एक विधेयक है। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक—(जारी)

(धारा 24 और 55 का संशोधन)

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL—*contd.*

(Amendment of Sections 24 and 55)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री पाराशर के विधेयक को लेंगे। पिछली बार विचार प्रस्ताव पर मत विभाजन होना था परन्तु वह हो नहीं सका था।

प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । / *The motion was negatived*

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1965

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1965

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य अन्दमान तथा निकोबार द्वीप का नाम स्वराज तथा शहीद द्वीप रखना है क्योंकि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की यही इच्छा थी और दिसम्बर, 1964 में इन्हें ब्रिटिश सत्ता से मुक्त कराने के पश्चात् उन्होंने इसे यही नाम दिया था।

इन द्वीपों का नाम बदलने का सुझाव कुछ वर्ष पहले प्रश्न-काल के दौरान सभा में उठाया गया था। अभी हाल ही में संघ राज्य क्षेत्र (लोक-सभा के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन) विधेयक को प्रस्तुत करते समय श्री हाथी ने इसकी ओर निर्देश किया था। माननीय मंत्री ने कहा था कि इन द्वीपों के बारे में माननीय सदस्यों ने कई नाम सुझाये थे। उन्होंने आगे कहा था कि इस बारे में उचित समय पर विचार किया जायगा क्योंकि यह उस विधेयक के उद्देश्यों से मेल नहीं खाता था। मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन द्वीपों का नाम बदलने के सुझाव के खिलाप नहीं थे।

नेताजी ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान सिंगापूर में आर्जी हुकमतेहिंद कायम की थी और आजाद हिन्द फौज का निर्माण किया था। उन्होंने अपनी बहादुरी तथा देशभक्ति के कारण संसार के लोगों के दिल में जगह बना दी है। उन्होंने अपने देश से दूर दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में लोगों को किस प्रकार अपने झंडे के नीचे इकट्ठा किया था यह एक वीरता से भरी कहानी है। अगस्त 1945 में उनके विमान दुर्घटना में मारे जाने का समाचार सुन कर विश्व स्तब्ध रह गया था। मैं इस समय इस विवाद में नही जाना चाहता कि वह मर गये है अथवा जिन्दा हैं। देशवासियों को उन्हें बहुत अधिक सम्मान देना चाहिये। हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनकी स्मृति में इन द्वीपों का नाम बदल कर स्वराज तथा शहीद द्वीप रख दिया जाये। मैं सभा से यह अनुरोध करुंगा कि वह इस मामले में अपनी अनुमति प्रदान करे।

यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोगों द्वारा भारत को आजाद कराने में उनके योगदान को दबाने की कोशिश की गई। इसका एक उदाहरण "डिस्कवरी आफ इंडिया" में मिलता है। इसके पहले संस्करण में नेताजी के बारे में अशिष्ट बातें लिखि हुई थी। 1946 में मैंने इस पुस्तक के लेखक स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू से बातचीत की थी और उनका ध्यान इस ओर दिलाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें उस समय यह सूझा नहीं और दूसरे संस्करण में इसकी ओर ध्यान दिया जायेगा। मुझे द्वितीय संस्करण 360 को अभी एक पढ़ने का मौका नहीं मिला है परन्तु जिन्होंने उसे पढ़ा है वे मुझे दुरुस्त कर सकते हैं कि आया नेताजी संबंधी निर्देशों में कोई बात जोड़ी गई है या उनमें उचित परिवर्तन किया गया है अथवा नहीं।

सोंए लुमियेर में भी नेताजी की आवाज कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलती। पहले आजाद हिन्द फौज का एक गाना तो सुनने को मिलता था परन्तु अब उसे भी निकाल दिया गया है। मैंने पिछले सप्ताह एक प्रश्न किया हुआ था। परन्तु उसका उत्तर नहीं दिया जा सका क्योंकि वह प्रश्न-सूची में काफी नीचे था। मैंने पूछा था कि क्या नेताजी के आगामी जन्म दिवस 23 जनवरी, 1966 को आकाशवाणी से कोई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा। समाचार पत्रों में छपे समाचारों के अनुसार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने कुछ आदेश निकाले है कि केवल महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर प्रति वर्ष विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे और नेताजी तथा सरदार पटेल जैसे द्वितीय श्रेणी के नेताओं के जन्मदिवस पर केवल दो वर्ष में एक बार ही विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे। मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या ये समाचार ठीक हैं। नेताजी यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़े नेता नहीं हैं तो कम से कम उनके बराबर के अवश्य हैं। सभा इससे सहमत होगी कि वे महात्मा गांधी के बाद भारत के दूसरे नेता है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जबकि सरकार तथा कुछ निहित-स्वार्थ नेताजी के योगदान को महत्वहीन करार देने की कोशिश कर रहे हैं सभा को उनके योगदान को नहीं भूलाना चाहिये और मेरे इस विधेयक को स्वीकार करके उस दिशा में एक कदम उठाना चाहिये।

[श्री हरि विष्णु कामत]

श्री एस० ए० आइयर नेताजी की केबिनेट में प्रचार मंत्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक "अन्टू हिम ए विटनेस" में कहा है 31 दिसम्बर, 1943 को नेताजी ने प्रथम स्वतन्त्र भारतीय प्रदेश अन्दमान की भूमि पर कदम रखा। वहां पर आजाद हिन्द फौज की अस्थायी सरकार की केबिनेट ने अन्दमान और निकोबार द्वीपों का नाम क्रमशः शहीद और स्वराज्य रखा। एक अंग्रेज आई० सी० एस० अधिकारी को बन्दी बना कर टोकियों ले जाया गया था और वहां उसको एक होटल में काम करना पड़ा था। अनेक देशभक्तों ने वहां पर मुसीबतें उठाई है और अपने प्राण दिये हैं। स्वराज्य के लिये लड़ने वाले अनेक देशभक्तों को अन्दमान भेजा गया था। इसलिये नेताजी इन द्वीपों का नाम स्वराज्य और शहीद रखना चाहते थे। हमें नेताजी की इस इच्छा को स्वीकार करना चाहिये सरकार से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय हितों को दल के हितों से ऊपर रखा जाना चाहिये। श्री हेम राज के संशोधन को स्वीकार करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। यदि सरकार इस विधेयक को सिद्धान्ततः में स्वीकार कर लेती है तो मेरा निवेदन है कि बाद में सरकार उपयुक्त समय पर एक सरकारी विधेयक लाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब, व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के अनुसार श्री कामत का विधेयक असंवैधानिक है। संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। इस समय श्री कामत के समर्थन में राष्ट्रपति की कोई सिफारिश नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अनुच्छेद (1) को भी पढ़िये। भारत राज्यों का एक संघ होगा। आगे चल कर कहा गया है कि इसके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में होंगे। पहली अनुसूची में दो भाग होंगे, पहला राज्यों के बारे में है और दूसरा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में।

श्री गो० ना० दीक्षित : संशोधन प्रथम भाग के बारे में है और अन्दमान और निकोबार दूसरे भाग में आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भाग दो के अन्तर्गत आता है।

श्री गो० ना० दीक्षित : प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 और 4 पर लागू होगी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके दो भाग हैं।

श्री गो० ना० दीक्षित : राज्यों में संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं। संघ राज्य क्षेत्र राज्य भी हैं।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : उपखंड (3) में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का अन्तर स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कामत के संशोधन विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। 'अन्दमान' शब्द हनुमान से बिगड कर बना है। हनुमान शब्द बिगड़ कर अन्दुमान हो गया और अन्दुमान शब्द बिगड़ कर अन्दमान हो गया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की इच्छा के अनुसार इन द्वीपों के नाम शहीद और स्वराज्य रखे जाने चाहिये।

नेताजी भारतीय देशभक्ति के प्रतीक है और मैं चाहता हूं कि हमें भारतीय महाद्वीप का नाम ही सुभाष भूमि रखना चाहिये था हिमालय का नाम 'सुभाष पर्वत' रखना चाहिये।

Shri Nirnjan Lal (Nominated Andaman and Nicobar Islands) : There is a history behind these names of the islands and of change the names we will have to change the history. We should try to know the history behind these names.

It will not be proper to name these islands after the name of Subhash Bose. He was a very great leader and we achieved our Independence forty years earlier due to him. These small islands are no match to his great name.

[श्री प्र० के० देब पीठासीन हुए
SHRI P. K. DEO *in the Chair*]

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : श्रीमन्, मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि 'अन्दमान' नाम जानबूझ कर रखा गया था। पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने इस विषय पर चर्चा की थी और उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि यह नाम किसी आदिम जातीय शब्द से निकला है। मेरी समझ में नहीं आता कि शासक दल को सुभाष चन्द्र बोस के नाम से इतनी चिड क्यों है।

बड़े खेद की बात है कि सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति की महानता पर इस सभा में तर्कवितर्क किये जाते हैं। यह और भी खेद की बात है कि सरकारी विभाग नेताओं के वर्गीकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने आज़ाद हिन्द फौज को बनाया था, देश को 'जय हिन्द' का नारा दिया था और कहा था 'दिल्ली चलो'। ये ऐतिहासिक बातें हैं और शासक दल इनको समझ नहीं रहा है। सुभाषचन्द्र बोस इस देश के सब से बड़े नेताओं में से थे। अच्छा होगा यदि हम उनके नाम के लिये इन द्वीपों के नामों में परिवर्तन करें। नेताजी हमारे देश के लोगों के हृदयों में समाये हुए हैं और केवल सरकार की उदासीनता ही बाधक सिद्ध होती है। सुभाषचन्द्र बोस के काम से कांग्रेस को सब से अधिक लाभ पहुंचा है। इसलिये कांग्रेस दल को सुभाष चन्द्र बोस के नाम से घबराना नहीं चाहिये। उनका स्थान उन भारतीय नेताओं में है जिनकी याद हमारे देशवासियों के हृदयों में हमेशा ताज़ा बनी रहनी चाहिये।

हमने बार बार यह प्रश्न उठाया है कि सरकारी कार्यालयों में सुभाष चन्द्र बोस का चित्र क्यों नहीं लगाया जाता है। कई वर्षों से हम कह रहे हैं कि संसद् भवन में सेंट्रल हाल में नेताजी का चित्र होना चाहिये और हमें एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बताया कि कुछ फ्रेम उन व्यक्तियों के चित्रों के लिये रखे गये जो भविष्य में मरेंगे। यह एक बहुत ही गलत चीज़ है। सरकार को सिद्धान्त रूप में इस चीज़ को मान लेना चाहिये।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : श्रीमन्, क्योंकि माननीय सदस्य ने मेरे मंत्रालय का नाम लिया है और आकाशवाणी द्वारा नेताजी के जन्मदिवस पर प्रसारित नाटक पर आपत्ति उठाई है, मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूं। हमने नेताओं का श्रेणीकरण नहीं किया है। एक निर्णय किया गया था कि केवल महात्मा गांधी का जन्मदिवस ही प्रति वर्ष मनाया जायेगा। अन्य नेताओं का जन्म दिवस प्रत्येक पांच वर्ष के बाद मनाया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : इस निर्णय का आधार क्या था ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझे इसके आधार का तो पता नहीं है। नेताजी के जन्मदिवस के बारे में हमने उत्तर दिया था कि उनकी सत्तरवीं वर्षगांठ अगले वर्ष है और हम उसके लिये योजना बना रहे हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि 1966 में एसा होना चाहिये तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : ऐसा होना चाहिये।

श्रीमती इंदिरा गांधी : निश्चय ही हम इसपर विचार कर सकते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि सत्तरवे जन्म दिवस को 1966 में मनाना चाहिये या 1967 में। यदि 1966 में इसको मना लेते हैं तो 1967 में फिर नहीं मना सकते।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न प्रत्येक वर्ष मनाने का है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। परन्तु उस समय प्रश्न 70 वें जन्म दिवस को मनाने का था।

श्रीमन्, मैं नहीं समझती कि सरकार में एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको नेताजी का नाम बुरा लगता हो। हमें उनपर बहुत गर्व है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या सभा यह समझे कि नेताजी जयन्ती पर प्रति वर्ष विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा न कि प्रत्येक पांचवें वर्ष जैसा कि पहले किसी ने निश्चय किया था?

श्रीमती इंदिरा गांधी : क्योंकि यह मामला अभी लाया गया है, मैं आश्वासन देती हूं कि इस पर विचार किया जायेगा।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : सभापति महोदय, इस विधेयक के लिये मैं श्री कामत का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमें भारत के उस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर दिया है जो बहुत क्रांतिकारी थे और जो अपने देश को स्वतन्त्र कराने के लिये उस कठिन समय में समुद्रों और पर्वतों में मारे मारे फिरे।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बड़ी कठिन परिस्थितियों में देश से बाहर निकले और उन्होंने आज़ाद हिन्द फौज का गठन किया। उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था और कोई सहायता भी नहीं थी। कुछ न होते हुए भी उन्होंने एक सेना का गठन किया। उस समय अमरीकी सेना के एक व्यक्ति ने कहा था "भारत ने एक गलती की है। जब सुभाष ने देश के पूर्वी भाग पर आक्रमण किया तो भारत में क्रान्ति होनी चाहिये थी"। यदि ऐसा होता तो बाद की कई घटनाएं जिन पर हमें दुख है नहीं होती। आज हम इस विधेयक पर उस महान नेता का ज़िक्र कर रहे हैं।

हम महसूस करते हैं कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिये क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता बताया है कि हम किस तरीके से अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आज हमारे सामने एक समस्या भाषा की है। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों की वह पल भर में किस प्रकार एक आज़ाद हिन्द फौज बना पाये? उनके नीचे सब यह महसूस करते थे कि हम सब एक हैं। इस तरीके से हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। इसी तरीके से हमें अपने लोगों और राज्यों में सुधार करना है। इसलिये इन द्वीपों के बारे में हमें उनकी इच्छाओं का आदर करना चाहिये। मैं श्री कामत के विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Bade (Khargon) : Mr. Chairman, I rise to support this Bill, Chhatrapati Shivaji had escaped from the Agra Jail of Aurangazeb and similarly Subhash Babu escaped out of India and took a firm resolve to liberate his country. From outside India be raised the slogan March to Delhi. He worked studiously for this.

A memorial should be built in Andman in his memory. This will serve as a deterrent to the enemy coning from Sea side. He had made great sacrifices. Whenever his name is taken the picture of a great patriot appears before our eyes. It will be just proper if these islands are named as "Swarajya" and "Shaheed" to cherish his memory.

I do not understand why Government is taking objection to it. Government is prejudiced to the name of Subhash and arrogant unless this prejudice and arrogance are done away with we cannot give a proper history to our country.

Shrimati Savitri Nigam (Bauda) : I am simply surprised to hear the arguments put forward by some of the Hon. Members. Regarding this Bill the Hon. Home Minister himself has said that he has no objection to it. I do not understand why Government and Congress have been criticised in this manner. This is not a controversial issue and any criticism of Government is unjustified.

The arguments put forward by the Hon. Member Shri Niranjan Lal of Andaman are quite baseless and they should not be given any consideration.

The Hon. Home Minister should repeat the assurance given in the earlier speech that this Bill will be considered in future and thus the names of the Islands changed. There cannot be any names better than the ones given in this Bill. They give us the picture of our struggle for freedom.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : सभापति महोदय, भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जो योगदान है उसको देखते हुए हमने उनके नाम के साथ न्याय नहीं किया है। बंगाल के लोगों में यह भावना है कि आजकल जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वे नेताजी के महत्व को कम करना चाहते हैं।

यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है और संशोधन पारित हो जाता है तो मुझे विश्वास है कि सारे देश के लोग इसका स्वागत करेंगे। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम सब को याद रखना चाहिये कि सुभाष चन्द्र और उनके त्याग के बिना भारत आज स्वतन्त्र न होता। सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। जो आयोग बाहर भेजा गया था उसके प्रतिवेदन से यह राष्ट्र संतुष्ट नहीं है। नेताजी सुभाष के भाई श्री सुरेश चन्द्र बोस का विमति टिप्पण इस सभापटल पर कभी नहीं रखा गया।

आज भी लाखों लोग यह जानना चाहते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। एक भूतपूर्व संसद् सदस्य ने खुले आम घोषणा की थी कि वह एक विशिष्ट जेल में है। उन्होंने संख्या आदि सभी कुछ बता दिये हैं, परन्तु सरकार द्वारा अभी कुछ भी नहीं किया गया है।

इस विधेयक को स्वीकार करके हम अपनी पिछली गलतियों में कुछ सुधार कर सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय हित तथा सम्मान, उनका महान कार्य जो उन्होंने किया तथा उनका त्याग यह चाहता है कि इस विधेयक पर विवाद नहीं होना चाहिये और एकमत से इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : Mr. Chairman, I congratulate Shri Kamath for having brought this Bill. An impression seems to have been created in this House that Congress Party is reluctant to pay respect to Netaji Subhash Chander Bose or is allergic to perpetuate his memory. He was the President of Congress and very life and blood of this organisation. The role played by him finds a pride of place in the history of India and the world. He has written the history of this Country with his blood. I want that a large sized statue of Netaji should be erected out side Red Fort. We should do something concrete to perpetuate the memory of that great leader.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Chairman, Sir, I congratulate Shri Kamath for having afforded us an opportunity to express our sentiments about Netaji. Subhash Babu has a great place in the heart of every Indian. The ruling party has not done justice to him. Even now there is the statue of George V at a corner of Rajpath. It is a very shameful thing. This should be replaced by a statue of Netaj. To fulfil his wishes we should name these islands as Swarajya and Shaheed. With Andaman the names of many martyrs are associated.

श्री हनुमन्तैया (बंगलोर नगर) : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को सम्मानित करने की बात का स्वागत सभा के सभी दलों के सदस्यों ने किया है।

मैंने तो प्रधान पद के चुनाव में सुभाष चन्द्र बोस को ही अपना मत दिया था चाहे महात्मा गांधी जी ने अपने नामज़द व्यक्ति को मत देने के लिये मुझे कहा था।

जब मैं पूना के लॉ कालेज में पढ़ रहा था तो एक दो बार मेरा उन से परिचय भी हुआ था। इस में कोई सन्देह नहीं है कि वह आधुनिक भारत को बनाने वाले थे। श्री मधु लिमये जी ने उनको ठीक ही महात्मा गांधीजी की श्रेणी में रखा है। गांधीजी की अहिन्सा नीति से तो राष्ट्रीय आन्दोलन को बढ़ावा मिला था परन्तु सुभाषचन्द्रजी के अंग्रेजों से लड़ने के ढंग से तुरन्त परिणाम निकले। यह आज़ाद हिन्द फौज़ के बनने का ही परिणाम था कि अंग्रेजों को हमारी मांग स्वीकार करनी पड़ी। उनको यह पता लग गया था कि स्वाधीनता के मामले में अब वे देरी नहीं कर सकते। उन्होंने जो वीरता दिखाई है उसके कारण उनको महात्मा गांधी जी के समान ही श्रेय मिलना चाहिये।

मेरे विचार से श्री मधु लिमये जी की यह बात सही नहीं है कि सरकार तथा इस सभा के कांग्रेसी सदस्य आदर और सम्मान के मामले में सुभाष जी को महात्मा गांधी से कम समझते हैं क्योंकि जहां किंग जॉर्ज का बुत था वहां पर महात्मा गांधी का बुत लगाया जा रहा है और जहां लाल किला है उसके सामने सुभाष जी का बुत लगाया जायेगा।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिन व्यक्तियों ने सुभाष जी के साथ काम किया था उनमें से दो व्यक्ति उपमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं।

मैं इसलिये भी प्रसन्न हूं कि इस विधेयक के प्रस्तावक श्री कामत जी ने सुभाष जी की याद ताज़ा कर दी है। परन्तु इस विधेयक से सुभाष जी का सीधा सम्मान नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस में तो उनकी इच्छा के अनुसार कुछ विशिष्ट द्वीपों के नाम बदलने के लिये कहा गया है। इसके लिये संविधान में संशोधन करना पड़ता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

जब संविधान में संशोधन करना होता है तो उसके लिये संपूर्ण सभा का बहुमत लेना होता है। संपूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिये मंत्रिगण को विश्वास में लिया जाता है। इसलिये इस प्रकार विधेयक को सभा में लाने का यह विचित्र ही ढंग है।

श्री हरि विष्णु कामत : इसे सैद्धान्ततः स्वीकार कर लिया जाये।

श्री हनुमन्तैया : श्री कामत को इसे सरकार पर छोड़ देना चाहिये। मेरे विचार से कुछ वर्ष पहले उस समय के गृह-कार्य मंत्री ने इस सुझाव पर विचार करने का वचन दिया था।

श्री हरि विष्णु कामत : वर्तमान गृह-कार्य मंत्री ने भी।

श्री हनुमन्तैया : इसलिये हमें इसे सरकार पर छोड़ देना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने भी यही कहा है। इसे देर सवेर लाया जाये।

श्री हनुमन्तैया : मैं एक और बात कहना चाहता हूं। स्थानों के नाम बदलना बहुत कठिन होता है। यह केवल इन द्वीपों के नाम बदलने की ही बात नहीं है। भारत में बहुत से स्थान हैं जिनके नाम अंग्रेजों के नामों पर रखे गये हैं। इस लिये स्थानों के नामों को बदलने के लिये हमें निश्चित नीति अपनानी चाहिये। यदि दोनों की एक ही राय हो तो यह बहुत अच्छा शकुन है।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं प्रसन्न हूं कि श्री कामत जी ने यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक को लाने से हम अपना वह कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं जो गत 17 वर्षों में नहीं कर पाये। स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हमारा यह पहला कर्त्तव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने में जिन लोगों ने योगदान दिया है हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। यदि इस बारे में ठीक इतिहास लिखा जाये तो सुभाष जी का नाम पहले तीन व्यक्तियों में लिखा जाना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र श्री हनुमन्तैया ने ठीक ही कहा है कि विधेयक में जो सुझाव दिया गया है वह बहुत छोटा है परन्तु यदि हम इस लोकोक्ति को ध्यान में रखें कि अल्पारम्भः क्षेमकरः अर्थात् थोड़ा सा काम करना बाद में बहुत से वचनों को पूरा करने के बराबर होता है तो हमें इस विधेयक पर अवश्य विचार करना चाहिये।

श्री सुभाष चन्द्र बोस कितने महान व्यक्ति थे इस बात से पता चल जायेगा कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रधानगी में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई और उस समिति का सभापति श्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जो उस समय उनके राजनैतिक प्रतिद्वन्दी थे। उन्होंने श्री जवाहरलाल जी को ही उचित ठहराया और उन्होंने भी अपना काम बहुत श्रद्धा से किया। यह इन महान व्यक्तियों की विशेषता है। आज के विशाल योजना आयोग का बीज तभी बोया गया था।

अन्दमान और निकोबार की अपनी विशेष कहानी है। सावरकर, भाई परमानन्द आदि अनेक व्यक्तियों ने वहां ही कठिनाइयां सहन की थी। स्वतंत्र होने वाले भारत का झंडा सब से पहले वहीं लहराया था। इसलिये श्री सुभाष चन्द्र बोस की याद मनाने के लिये हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। अतः मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : The Hon. Speaker has appointed a portrait Committee the duty of which is to decide to place a portrait in the Parliament House. As no panel is left in the Central Hall the same might be placed in the library Hall. This responsibility has been put on us. We are of this opinion that twenty rupees should be collected from each Member for the portrait in stead of taking the whole amount from any one capitalists.

Another idea is to install a full-size statue in full military uniform in front of Red Fort.

Keeping thes e two things in view it cannot be said that much attention is not paid in this behalf.

Hence I would request hon. Member to contribute Rs. twenty each.

Shri Hem Raj (Kangra) : I congratulate Shri Kamath for having brought forward this Bill before the House.

As far as Netaji's name is concerned it has already been written in golden words in our history. In this connection he is at the same footing as Guru Gobind Singh was. He formed military when he was abroad and then fought against the English people. This made the British feel that they could no longer delay the conceding of Independence to India.

It was the suggestion of Subhash Chandra Bose that the Islands where he had set up independent Government he named as "Swarajjya and Shaheed". But I don't support this idea. I am not in favour of this name. Because many people were martyred and India too could not get independence by that time. I am of

[Shri Hem Raj]

this opinion, therefore, that the islands be named as Netaji Islands or Netaji Subhas Islands. By this it will be clear that he had set up first independent Government there.

Hence I hope that Government will accept this Bill in principle.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : इस में कोई सन्देह नहीं कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नेता जी के नाम से ही पुकारा जाता है। प्राय: नेताओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है परन्तु उनको केवल एक ही नाम से पुकारा जाता है। इससे उनकी वीरता का पता चलता है।

मुझे स्मरण है कि उन दिनों नेताजी का नाम सुनते ही नवयुवकों को प्रेरणा मिलती थी। इस लिये कुछ सदस्यों ने जो टिप्पणी की है, विशेषकर श्री मुकर्जी ने जो टिप्पणी की है, उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी सर्किल में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दिल में नेताजी के प्रति बहुत आदर और सम्मान है।

श्री रघुनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि सुभाष चन्द्र जी के बुत और पोरट्रेट का होना आवश्यक है परन्तु मैं अपने भाषण में इन द्वीपों को नेताजी के नाम से रखने के बारे में ही अपने विचार प्रकट करूंगा।

यह कोई नया प्रश्न नहीं है। इस बारे में 1948 से प्रश्न उठाये जा रहे हैं। सब से पहले 19 फरवरी, 1948 को प्रश्न उठाया गया था। इस समय सरदार पटेल गृहमंत्री थे। बाद में इस प्रश्न को श्री कामत ने उठाया। उसके बाद 1956 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसमें श्री कामत ने प्रस्ताव रखा कि इस द्वीप का नाम स्वराज्य और शहीद अथवा जवाहर और सुभाष द्वीप रखा जाये।

इस द्वीप का क्या नाम रखा जाय यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। जब संघ राज्यक्षेत्रों में आम चुनाओं से सम्बन्धित बिल लाया गया था तो मैं ने यही कहा था कि यदि इस का नाम बदलना है तो इसमें कोई विवादास्पद बात नहीं होनी चाहिये। यह कहना कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है गलत बात है। इस पर इतने लम्बे अर्से तक विचार न करने के कई कारण हैं।

सब से पहले यह विचार किया गया था कि इसका नाम सुभाष बोस द्वीप रखा जाये। परन्तु सरद चन्द्र बाबू ने कहा कि इस छोटे से द्वीप का नाम नेताजी द्वीप रखने की बात मुझे पसन्द नहीं है। एक ओर तो यह बात थी और दूसरी ओर बहुत से लोगों ने गृह मंत्री जी को लिखा कि इस द्वीप का नाम सुभाष द्वीप बिल्कुल उचित रहेगा।

नाम तो बहुत से बताये गये हैं परन्तु देखना तो यह है कि क्या नाम रखा जाये। जैसे श्री हेम राज जी ने कहा है जब 1943 में स्वराज्य और शहीद द्वीप का नाम रखने का सुझाव दिया गया था तो उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम संविधान में संशोधन करने का विचार कर रहे हैं तो हम प्रशासनिक अथवा संवैधानिक प्रयोजन के लिये इस नाम को सीधा नहीं बदल रहे हैं। जब हम नाम बदल रहे हैं तो हमारा उद्देश्य नेताजी की याद को ताजा करना है। जहां तक नेताजी के प्रति आदर अथवा सम्मान का प्रश्न है यह जरूरी नहीं है कि उनके प्रति सभी का उतना ही सम्मान हो जितना कि प्रस्तावक महोदय को है।

मैं श्री कामत का बहुत आभारी हूं कि वह इस बात को समझते हैं कि इस प्रकार से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। वह केवल आश्वासन चाहते हैं। जहां तक आश्वासन का सम्बन्ध है उस बारे में पन्त जी पहले ही कह गये है कि इस प्रश्न पर अवश्य विचार किया जायेगा

कि नाम में परिवर्तन करना उचित है अथवा नहीं और यदि उचित है तो इसका क्या नाम रखा जाये। क्योंकि बहुत से नाम बताये गये हैं इस लिये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा नाम रखा जाय। जो पन्त जी ने लिखा है मेरा भी वही विचार है।

नेताजी का नाम एक पवित्र नाम है। इसलिये इस के लिये कोई विवादास्पद बात नहीं होनी चाहिये।

श्री बड़े : आप विचार ही विचार करते रहते है और कुछ नहीं करते।

श्री हाथी : बहुत से नाम हैं इसलिये परिवर्तन करने से पहले हमें उसपर विचार करना चाहिये। मैं ने और कुछ नहीं कहना है।

श्री हरि विष्णु कामत : इस विधेयक को लगभग शत प्रतिशत समर्थन मिला है; केवल अन्दमान के सदस्य ने विमति टिप्पण प्रस्तुत किया है। मैं उन्हें भी आश्वासन देना चाहता हूं कि वहां के लोग स्वराज्य और शहीद नाम से बहुत प्रसन्न होंगे। उनमें से बहुत से लोग हिन्दी बोलते है इस लिये वे इस नाम को पसन्द करेंगे।

लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और नेताजी स्वतंत्रता संग्राम के पहले तीन नेता थे। इन तीनों नेताओं को उचित श्रेणी में ही रखा गया है।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रश्न पर सभी एक मत हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की नीव नेताजी ने ही रखी थी। मैं भी उस समिति का कुछ महीनों तक मंत्री रहा हूं। इसलिये उस बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने देश में रह कर ही नहीं बल्कि बाहर जा कर भी बहुत अंशदान दिया है। 1941 से 1945 तक जो काम उन्होंने बाहर से किया वह उल्लेखनीय है। इस बारे में लोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा है कि अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने की यह पहली निशानी थी। उस समय बहुत से लोगों को कारावास भेजा गया जिन में मैं भी सम्मिलित था। मेरा ख्याल है कि उनमें आप भी थे। अंग्रेजों ने प्रचार द्वारा इस मामले को दबा दिया और हमें सुभाष जी के बारे में कुछ पता न लगा। समाचारपत्रों में यही प्रकाशित होता था कि जापानी सिपाही इधर उधर आ रहे है।

श्री हीरेन मुकर्जी को उस समय पता ही नहीं था कि अज्ञानतावश उनकी पार्टी क्या कर रही है। मैं प्रसन्न हूं कि उन्होंने अब काफी उन्नति कर ली है और श्री हीरेन मुकर्जी ने भी नेताजी के कारनामों की अब प्रशंसा की है।

जहां तक विधेयक को पारित करने का सम्बन्ध है मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि संविधान संशोधन विधेयक होने के नाते इस पर विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि उस के लिये दो-तिहाई सदस्यों का होना आवश्यक होता है। क्योंकि ऐसा आज सम्भव नहीं है इस लिय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन पर मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आगामी सत्र में एसा विधेयक आवश्य लाया जायेगा। अतः अब मैं इसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना विधेयक वापिस ले सकते है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

विधेयक, सभा की अनुमति से वापीस ले लिया गया। / *The Bill was, by leave, withdrawn.*

अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक

ALL-INDIA SERVICES (AMENDMENT) BILL

(नई धारा 3-क का रखा जाना)

(Insertion of New Section 3A)

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी कर सकते है।

कार्य मंत्रणा समिती

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बयालीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलढाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

*"टिस्को" और "इस्को" द्वारा ऋण की अदायगी

**PAYMENT OF LOAN BY TISCO AND IISCO

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker. I want to raise discussion regarding the loan advanced by Government to TISCO and IISCO about twelve years ago. Many questions have been put and answered but none of the Member is satisfied with that. Most of the Members are of the opinion that Government has been lenient towards capitalists otherwise they could have taken some other step against them.

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAWANE *in the Chair*]

I want to remind that rupees ten crores were paid to Tata's Steel Workshop and also the same amount to Biren Mookerji's Workshop. By this it appears as if they are doing something for which we will have to be thankful to them for ever.

Now I want to tell to the House the facilities that have been given by Government to these persons. I have got the Report of Tariff Commission with me. It has been said in the Report that Rs. 10 crores have been given on loan but the time by which this amount should be returned has not been mentioned. Nothing has been mentioned about interest also. Had they not been given this assistance, they could not have got loan from World Bank also.

---

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-hour discussion.

Then there was a question regarding the price of steel. While fixing the price this aspect was kept in view that though the cost of production of IISCO is high yet they should get some profit. But cost of production in Tata's Workshop being low they earned sufficient profit. They were given many such facilities. But I fail to understand the capitalists of India. When their cost of production is low then they become the followers of Adam Smith otherwise they become the followers of Federish list and want protection from Government. They don't like to pay back the loan.

May I, therefore, know for how long Government will go on giving them assistance in this way. Even after industrial revolution and mechanisation we have not been able to make much progress.

I think that in case this protection is denied then the private sector cannot withstand world competition.

It has been seen that Government is hard towards, small persons but is lenient towards persons like Tata, Birla etc.

Government has always been increasing the price of steel. But day before yesterday Bill was brought before the House regarding metal Corporation. It was proved that the price was fixed low intentionally so that the Company may not show profit. Later on that company was nationalised because they refused to take Birla Sahib as partner. I am not against nationalisation. But I am of the opinion that unless big industries are nationalised corruption cannot be removed. But it is a sorry state of affairs that only small industries are nationalised and not big ones.

I agree that it is not the personal responsibility of the Hon. Minister because at the time of agreement he was not in the Central Government but it is quite evident that the agreement was entered into without keeping the interest of the common man in mind.

At the end I would like to say that people will only be satisfied and will feel that Government is stepping towards socialism if small persons are not suppressed and the big persons dealt with severely if they do any wrong. Government should keep this aspect in view.

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह प्रश्न पिछले बारह वर्षों से उलझा हुआ है, जैसा कि श्री मधु लिमये ने कहा। उनका भाषण यद्यपि हिन्दी में था फिर भी बहुत स्पष्ट था। यह समझौता इसलिये किया गया था क्योंकि कम्पनियां उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ सहायता चाहती थीं। अत: सरकार ने इस्को और टिस्को को कुछ ऋण दिया। उन दिनों की परिस्थितियों यह समझौता राष्ट्रीय हित में किया गया था।

कम्पनियों ने सरकार को ऋण वापिस करने के लिये विशेष सहायता मांगी थी। इस विशेष सहायता को निश्चित करने का कार्य हमने टैरिफ कमीशन को सौंप दिया। टैरिफ कमीशन ने 8 रुपये प्रति टन की विशेष सहायता की सिफारिश की। परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। अत: कम्पनियों ने भी रुपया वापिस करने से इन्कार कर दिया; वे यह कह सकती थीं सरकार ने टैरिफ कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।

श्री के० दे० मालवीय : क्या टरिफ कमीशन की सिफारिश को मानना सरकार के लिये अनिवार्य है।

श्री संजीव रेड्डी : यह सरकार के लिये अनिवार्य नहीं है। परन्तु कम्पनियां यह बहाना बना सकती थी कि क्योंकि हमने सरकार की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है, अतः वे भुगतान नहीं कर सकतीं। अब क्योंकि नियंत्रण पूरी तरह से नहीं हटाया गया, अतः विशेष सहायता निश्चित करने में कुछ कठिनाई हो रही थी। यह मामला राज्य सभा में भी उठाया गया था। मैंने वहां यह वचन दिया था कि इस मामले को दोबारा टैरिफ कमीशन को सौंपा जायेगा और जो भी पैसा देय होगा उसे वसूल किया जायेगा। मैं यह वचन यहां भी देता हूं। पूरा नियंत्रण न होने के कारण वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि बातचीत द्वारा ही इस धन को वसूल करना अच्छा होगा। वित्त मंत्रालय ने इस्को के श्री बीरेन मुकर्जी से इस सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ कर दी थी और यह बातचीत कुछ निष्कर्ष तक पहुंच गई थी। वित्त मंत्री ने भी श्री बीरेन मुकर्जी से भी बातचीत की। यह मामला मंत्रिमंडल को भी सौंपा गया था और मंत्रिमंडल ने भी इसे मंजूर कर दिया था। इस समझौत के अन्तर्गत हमने 5 करोड़ रुपये वसूल कर लिये हैं। बाकी रुपया मार्च 1969 से मार्च, 1972 तक किश्तों में वसूल किया जायेगा।

इस्को के साथ समझौता करने के पश्चात्, हमने टिस्को से भी पूछा है कि क्या वह इसी प्रकार का समझौता करने के लिये तयार हैं। उन्होंने इस समझौते में कुछ परिवर्तन करने के लिये कहा है। हमने उन्हें बता दिया है, क्योंकि इस्को ने बैंक में पसा जमा कर दिया है, अतः यह परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। हमने उनको बताया कि अच्छा यही होगा कि वह भी इस्को की तरह 5 करोड़ रुपये बैंक में जमा करा दें। मुझे आशा है कि वह भी समझौते के अनुसार 5 करोड़ रुपया जमा करा देंगे।

यह कम्पनियां लिमिटेड हैं और सरकार के भी इनमें शेयर्स हैं। सरकार का भी इन पर नियंत्रण है। यह भी कहा गया है कि हमने ऋण का इक्विटी शेयर्स में परिवर्तन कर देना, परन्तु यह करना उचित न होगा। परन्तु यदि कम्पनी ने समझौता करके उसे पूरा न किया तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करके उसे वसूल कर लेंगे।

निर्वाचन निकट होने के कारण हम इस मामले को बहुत सावधानी से कर रहे हैं। प्रत्येक स्तर पर हम वित्त मंत्रालय से परामर्श करते रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने बातचीत आरम्भ की थी, परन्तु अन्तिम निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया था। यह समस्या पिछले बारह वर्षों से उलझी हुई थी परन्तु अब यह सुलझ गई है और हमें नकद 5 करोड़ रुपये मिल गये हैं। मुझे आशा है कि टिस्को भी इस समझौते से सहमत हो जायगी और आधी राशि तुरन्त बैंक में जमा करा देगी।

सभापति महोदय : पहली जुलाई 1958 से 31 मार्च 1961 तक का सूद छोड़ने का क्या कारण है ?

श्री संजीव रेड्डी : जब बातचीत चल रही थी तो इस बात से दोनों सहमत थे कि 2 या 3 वर्ष तक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ था अतः कम्पनियों को उस राशि से कोई लाभ नहीं हुआ था जो उनको ऋण के रूप में मिली थी। जब कोई बातचीत चल रही हो तो दोनों तरफों से कुछ न कुछ रियायतें दनी पड़ती ह।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 6 दिसम्बर, 1965/15 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 6, 1965/*Agrahayana* 15, 1887 (*Saka*).